खण्ड-279, अंक-3
गुरूवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1891
(21 अगस्त, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२८१–२८५
व्यवस्था के प्रश्न	२८५–२८६
प्रश्नोत्तर	२८६–३२०
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	३२०
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद के लिये समय निर्धारण पर विचार ..	३२०–३२१
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	३२१–३२२
जिलाधीश, कानपुर द्वारा सच्ची रामायण की प्रतियों की जब्ती के संबंध में वक्तव्य	३२२–३२३
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२––सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८––बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्थगित)	३२३–३७७
देहरादून नगर के बीच ऋषि पर्णा नदी में एक ट्राली के बह जाने से ४० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३७७
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	३७८–३८१
कन्धारी बाजार, लखनऊ में हरिजनों के मकान गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३८१–३८८
अविवाहित लोगों की नसबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	३८८–३९४
नत्थियां	३९५–४११

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीस रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, त्रिपाठी श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चितर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर

प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भान प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भान प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भामो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदनमोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महानन्द, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्नीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहताब सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री

रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसुरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री

राव अब्दुर रफी खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू श्री
लालाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
सचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रसन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शीनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

व्यवस्था के प्रश्न

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

इस चुनाव के बाद चूंकि माननीय गुप्ता जी की सरकार अक्लियत में आ गई है इसलिये उनको अब हाउस चलाने का अधिकार नहीं रहा। तो आप व्यवस्था दें और गुप्ता जी वक्तव्य दें इसके मुताल्लिक और अगर मारल कैरेक्टर, जनतंत्र, जम्हूरियत को जिन्दा रखना है तो वह इस्तीफ़ा दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था देता हूं कि यह प्रश्न उठ नहीं सकता सदन में, इससे कोई संबंध सदन का नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रपति के चुनाव में श्री वी०वी० गिरि निर्वाचित हुये हैं, इस उपलक्ष्य में मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की तरफ़ से यह माला और उनको बधाई माननीय मुख्य मंत्री जी भिजवा दें।

(श्री सुखपाल पांडेय ने एक माला ले जाकर श्री चन्द्रभानु गुप्त को दी।)

श्री नसीमउद्दीन (जिला कानपुर)---

पूरे सदन की तरफ़ से उनको बधाई का संदेश भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष---

अभी तो हर एक आदमी अपनी-अपनी बधाई दे रहा है।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आलमबाग, लखनऊ में जगदीश प्रसाद का मकान गिराया जाना

**१---श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ जुलाई, १९६९ को मकान नं० ५५१-ख १२, कोरियाना, भिलावां, आलमबाग, लखनऊ जो एक हरिजन हरीलाल का था, जिसे नगर महापालिका, लखनऊ ने गिरवा कर दस हजार रुपये से अधिक का नुकसान किया, मकान का तमाम सामान गायब किया और औरतों को बेइज्जत किया इस विषय में मकान मालिक को मकान गिराने के लिये नगर महापालिका के अधिकारी ने कोई नोटिस दी थी? यदि दी थी, कब और किसको? यदि नहीं, तो क्यों? यदि नोटिस नहीं दी गई तो क्या सरकार जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)---

विगत २२ जुलाई, १९६९ को प्रश्नगत मकान का एक कमरा तथा बरामदा गिराया गया। यह मकान श्री हरीलाल का नहीं है वरन् श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गाजी का है। श्री जगदीश प्रसाद ने अपने मकान में एक बरामदा तथा कमरा बिना चार फ़ुट सेट बैक छोड़े बना रहे थे उन्हें ८ सितम्बर, ६८ को महापालिका द्वारा एक नोटिस उत्तर प्रदेश (विनियम निर्माण कार्य) अधिनियम १९५८ की प्रतिबन्ध धारा १० के अन्तर्गत दी गई थी। इस नोटिस का उत्तर भी श्री जगदीश प्रसाद ने १३-९-६८ को दिया, उत्तर सन्तोषजनक न होने के कारण उनको भवन गिराने का अन्तिम नोटिस ५-४-६९ को दिया गया। श्री जगदीश प्रसाद ने अपने उत्तर, दिनांक १६-४-६९ में दोनों नोटिसों की प्राप्ति स्वीकार की है। यह भी सही नहीं है कि मकान का सामान गायब किया गया था या औरतों को बेहज्जत किया गया।

शासन द्वारा मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सच्चिदानन्द---

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मकान नं० ५५१-ख/१२ पर किसकी ओनरशिप है और वाटर टैक्स व हाउस टैक्स किसके नाम से जमा होता है?

श्री अतीकुर्रहमान---

वाटर टैक्स किसके नाम से जमा होता है इसकी सूचना नहीं है। यह कांस्ट्रक्शन अनआथराइज्ड हुआ था और ८ सितम्बर, १९६८ को इसके लिए नोटिस दी गई थी और जगदीश ने इसको तसलीम कियाकि यह मकान उनका है और उन्होंने जवाब दिया, फिर १२ मार्च १९६९

को इंसपेक्शन किया गया और ११ अप्रैल, १९६९ को डिमालिशन की नोटिस की सर्विस हुई। उस वक्त भी जगदीश ने अपना मकान बतलाया और जिस वक्त गिराने गये उस वक्त भी अपना ही मकान बतलाया।

श्री सच्चिदानन्द—

इस मकान की ओनरशिप किसके नाम है?

श्री अतीकुर्रहमान—

मुझको यह इत्तला मिली है। यह भी अर्ज करूंगा कि जो हीरालाल साहब की एप्लीकेशन है वह २६ की है। २२ को डिमालीशन हुआ है। इतने अर्से के अन्दर उन्होंने कभी अपना मकान नहीं बताया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मंत्री जी ने यह कहा कि औरतों की बेइज्जती नहीं हुई। लेकिन क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उनको हाथ पकड़ कर मकान के बाहर खींचा गया?

श्री अतीकुर्रहमान—

मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

यह बहुत अहम सवाल है। इस पर और सवाल पूछने हैं। जिसका मकान है उसको नोटिस ही नहीं दिया गया और मकान गिरा दिया गया।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

मैं महापालिका का सदस्य रहा हूं। मुझे जानकारी है। मुझे बोलने का मौका दीजिये। (व्यवधान) उस क्षेत्र में कोई भी मकान ऐसा नहीं है जिसका नक्शा पास हुआ हो। चूंकि यह मकान बी० के० डी० के आदमी का था इसलिए जानबूझकर गिराया गया। मैंने कामरोको प्रस्ताव रखा वह भी मंजूर नहीं किया गया। ऐसी चीजें चलती हैं तो ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इससे सम्बन्धित आदरणीय टंडन जी की रूलिंग है उसको मैं पढ़ता हूं। "प्रश्नोत्तर के समय माननीय सदस्य सीधा प्रश्न कर सकते हैं परन्तु टीका टिप्पणी नहीं कर सकते।" इतना ही नहीं यह भी है "अनुपूरक प्रश्न उन्हीं विषयों पर पूछे जा सकते हैं जो मूल प्रश्न के उत्तर में से निकलते हैं।" दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि "सरकार को किसी खास किस्म का उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।" जो उन्हें मालूम है वही बतला सकते हैं।

एक बात और बतलाना चाहता हूं कि यह फ़ैसले हो चुके हैं कि ऐसी स्वायत्त संस्थाओं के बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं पूछा जा सकता। आपने पूछा मैंने इजाजत दे दी लेकिन और अधिक डिटेल्स पूछना चाहते हैं तो वह महापालिका में पूछे जाने चाहिए न कि यहां पर। नियम २८ का १२वां भाग पढ़ता हूं—"उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य अर्द्ध स्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेंगे जो उनके और शासन के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के भंग होने से सम्बद्ध हों या सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखते हों।"

आपने पूछा कि हाथ पकड़ कर खींचा तो इसमें सार्वजनिक हित की यह चीज है यदि कोई अत्याचार स्त्रियों पर हुआ हो। लेकिन आप सूचना देकर नहीं कह सकते कि यह हमारी सूचना है। प्रश्न पूछिये।

श्री डी० पी० बोरा—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। एक प्रश्न के ऊपर कितने प्रश्न करने की इजाजत आप देते हैं? दूसरी बात है कि माननीय सदस्य उसी से सम्बन्धित प्रश्न कर रहे थे कि मकान

[श्री डी० पी० बोरा]

का मालिक कोई और है और मकान गिराने की नोटिस किसी और को दी गयी और जो सही मालिक है उसको न मकान गिराने की नोटिस, न इत्तिला है।

श्रीमन् जी, जिस मकान को गिरवाया गया है उसमें भारतीय क्रान्ति दल का आफ़िस बना हुआ था। इस मकान को श्री बालकराम वैश्य ने गिरवाया है जो कि चुनाव हार चुके हैं। इस पर आप हमें सवाल करने की इजाजत दें, वर्ना हम आगे काम नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष---

आप नियम के अनुसार चलिए। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंफ़ारमेशन भी मांग सकते हैं, मगर आप तो खुद ही इंफारमेशन दे रहे हैं। मंत्री जी ने, जितनी इंफारमेशन उनके पास है, उसके अनुसार जवाब दे दिया है। अगर आप समझते हैं कि यह इंफारमेशन उचित नहीं हुई तो नियम ४९ में उसे मेरे पास विषय उठाने के लिये भिजवायें। आप पहले से ही ऐसा क्यों सोच लेते हैं, यह ठीक नहीं है, पहले आप मेरे पास भेजिए तो सही। जब आप उसे मेरे पास भेज देंगे तो उस पर मैं विचार करूंगा।

श्री डी० पी० बोरा---

मैं श्रीमन्, यह पूछना चाहता हूं कि एक प्रश्न पर आप कितने प्रश्न और पूछने की इजाजत देंगे। इस प्रश्न के विषय में केवल दो ही प्रश्न किये गये हैं। काफ़ी सदस्य इस पर प्रश्न करना चाहते हैं कि नगर प्रमुख ने, जो कि वहां से इलेक्शन में हारे हैं, उस मकान को गिरवाया है।

श्री अध्यक्ष---

आप खुद सूचना दे रहे हैं। सूचना आपको लेनी है, सूचना देना आपका काम नहीं है। नगर महापालिकाओं से संबंधित प्रश्नों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं। नगर महापालिकाओं में इनके विषय में सवाल किये जा सकते हैं। मैं उनसे संबंधित हर प्रश्न करने के विषय में यहां इजाजत नहीं दूंगा। जिन उत्तरों से आप सन्तुष्ट नहीं हैं उन्हें कृपा करके नियम ४९ में मेरे पास भेजिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यह प्रश्न मेरे नाम से है, मैं इसका उत्तर नहीं चाहता। परन्तु एक प्रार्थना मैं अवश्य करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जब मैंने प्रश्न भेजा तो बड़े अन्तरात्मा के द्वन्द्व के बाद भेजा इस कारण कि जैसे किसी दूसरे की कन्या वैसे ही मेरी कन्या, लेकिन जिस अधिकारी के बारे में प्रश्न भेजा था उसके बाद जैसे बाढ़ आ गयी, शिकायतों की मेरे पास और एक अन्य कन्या का मामला मेरे सामने आया। मैं उसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं मैं प्रश्न नहीं करूंगा, मुझे सूचना मिला है कि आज भी वह अफ़सर नित्य प्रति मंत्रिमंडल में पहुंच रहे हैं और आज भी उस विभाग की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन इतने नीचे स्तर पर गिर कर अपनी सर्विस के मुंह में काला धब्बा लगाया है। पुलिस केस चाहे हो या न हो, मैं उस कन्या के हित में और परिवार के हित में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वह अब भी सर्विस में है, उनको तो मारल ग्राउंड पर सीवरेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिये। मेरे पास इटावा से, मैनपुरी से कई शिकायतें मिलीं। अगर उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया तो लोग ऐसा समझेंगे कि मंत्रिमंडल ने इम्मारल काम की भी रक्षा की। मुझे आशा है कि गुप्ता जी उनको सीवरेस्ट पनिशमेंट देंगे।

श्री सच्चिदानन्द---

व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे नाम से पहला प्रश्न था। मैं सुन नहीं सका।

श्री अध्यक्ष---

कल भी आप सोते रहे, आपका नाम पुकारा गया, आप उठते ही नहीं हैं। मैं बाद में देखूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, जि। अधिकारी के विषय में माननीय नेता जनसंघ ने अभी चर्चा की है, मैं आपके जरिये से यह सूचना देता हूं कि उस विषय की प्रारंभिक जांच मैंने लखनऊ डिवीजन के मंडल के कमिश्नर को सुपुर्द की थी।

उनकी जांच की रिपोर्ट दो रोज के अन्दर आ गई और उसी रोज मैंने उसे देखकर उनको निलम्बित कर दिया। मुझे इस बात की बिलकुल सूचना नहीं है कि वह विभाग की गाड़ी लिये घूमते हैं। उनकी जगह दूसरा आदमी भी नियुक्त कर दिया गया है चार्ज लेने के लिये और जो सूचनायें उन्होंने दी हैं मैं उनकी जानकारी करूंगा और यदि ऐसी बात हुई है तो मैं विभागीय अधिकारियों से इस बात को जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सदस्य ने कहा कि हमें प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिये और साथ ही साथ उन्होंने सारी बातें कह दीं और खासा वक्तव्य दे दिया। एक तरफ़ तो श्रीमन्, जब हम लोगों को अवसर मिलता है तो बोलने नहीं पाते और दूसरी तरफ विषयान्तर बातें भी की जाती हैं। तो आप इन चीजों की व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष---

तो आप वापस लेते हैं इस प्रश्न को ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जी हां। इस बात को जलन हुई कि मैंने अच्छी बात कही। यह बात कितनी निन्दनीय है, मान्यवर।

**२---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री हिम्मत सिंह---

[माननीय सदस्यों द्वारा वापस लिया गया]

श्री रामधारी (जिला देवरिया)---

मैं प्रश्न २ के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं.....

श्री अ यक्ष---

यह तो खत्म हो गया।

श्री रामधारी---

उन्हें वापस लेने का अधिकार नहीं है। नियम ४० के अनुसार वह वापस नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---

किसी वक्त भी वापस हो सकता है।

श्री रामधारी---

श्रीमन्, नियम ४० में "प्रश्नों की वापसी अथवा उनका स्थगन" में यह दिया हुआ है :

कोई भी सदस्य उस उपवेशन के पूर्व जिसके लिये उसका प्रश्न सूचीबद्ध किया गया हो, सूचना देकर अध्यक्ष की सहमति से किसी भी समय अपने प्रश्न को वापस ले सकेंगे।

तो श्रीमन् यह प्रश्न तो आज किया है और उपवेशन शुरू हो गया है इसलिए वापस नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आज वापस हो सकता है। वह तो एक अधिकार है। सदन के अधिकार की बात लायी और मैंने कहा वापस लेते हैं -किसी को एतराज नहीं हुआ।

श्री रामधारी--

किसको एतराज नहीं है ?

अध्यक्ष--

बहुत देर की बात हो गई है और उसकी वापसी स्वीकार भी हो गई है।

मऊआयमा थानान्तर्गत भगवत प्रसाद के घर डकैती

**३--श्री राम देव (जिला प्रतागगढ़), श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले के मऊ आयमा थाना के अन्तर्गत ग्राम पूरे फ़ौजशाह के भगवत प्रसाद प्रयागदत्त पांडे के यहां १९/२० जुलाई, १९६९ ई० को रात में एक भीषण डकैती पड़ी और अनेक स्त्री-पुरुषों को मार से बेदम करके डकैतों ने लगभग ५ हजार रुपये का माल लूट लिया, नामजद रपट भी थाने में की गई, माल भी बरामद हुआ ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई, कितने डकैत पकड़े गये और कितने फरार हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

श्री भगवतप्रसाद पुत्र प्रयागदत्त पांडे, निवासी ग्राम पूरे फ़ौजशाह, थाना मऊ-आयमा, जिला इलाहाबाद के यहां दिनांक १९/२०-७-६९ की रात में नहीं बल्कि १९/२०-६-१९६९ की रात में एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी। जिसमें लगभग ५,००० रु० की सम्पत्ति लूटी गई और उनमें घर वालों को चोटें आई। श्री भगवत प्रसाद पांडे ने २०-६-६९ को मऊ आयमा थाने पर एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें दो अभियुक्तों को नामांकित किया तथा १० अज्ञात अभियुक्तों का उल्लेख किया। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया और जांच प्रारम्भ की गई। अभी तक की जांच से लगभग १०० रु० की कीमत का माल बरामद हुआ है, तीन अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और दोनों नामांकित तथा अन्य अज्ञात अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं।

श्री रामदेव--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नामांकित अभियुक्तों के क्या नाम हैं और अभी तक उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

नामांकित अभियुक्तों के नाम हैं--भुगवा व शरीफ़, निवासी थाना रानीगंज। श्रीमन्, ये गांव में स्थायी रूप से रहते नहीं हैं और भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं, इधर-उधर बाहर चले जाते हैं, इसलिये अभी तक पकड़े नहीं गये हैं।

श्री रामदेव--

श्रीमन्, क्या इनके खिलाफ़ कुर्की की कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि कुर्की की कार्यवाही हो गयी है, तो क्या नतीजा निकला ?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, ८७/८८ की कार्यवाही के आदेश हो गये हैं लेकिन उनके यहां घर में कुछ नहीं है, भीख मांगने वाले आदमी हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि डकैतों ने जो मारपीट की है उसमें कितने लोगों के चोटें आई हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, ५ आदमियों को चोटें आई हैं। उनके नाम हैं भगवत प्रसाद पुत्र प्रयाग, शिवबाबू पुत्र कन्हई, कैलाश नाथ पुत्र राम दुलार, श्रीमती रजवन्ती देवी स्त्री भगवात प्रसाद और श्रीमती राम राजी स्त्री शिव बाबू। दो व्यक्तियों की चोटों की डाक्टरी रिपोर्ट्स प्राप्त हो गई है वह सिम्पुल हैं और ३ के मामूली चोटें थीं।

श्री राम देव—

पकड़े हुये आदमियों के नाम क्या हैं? क्या वह और भी कभी पकड़े गये थे?

श्री कृष्णानन्द राय—

पकड़े हुये आदमियों के नाम राजाराम पुत्र शिवमंगल, हनीफ़ पुत्र रज्जब और शमीउल्ला पुत्र छोटू हैं। वह पहले कभी भी पकड़े गये या नहीं इस बारे में सूचना नहीं है।

श्री राजित राम पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने कृपा करेंगे कि जो अभियुक्त भगे हुये हैं और नामौजूद हैं उनके नाम जानने की कोई व्यवस्था की है?

श्री कृष्णानन्द राय—

१० आदमियों के अज्ञात नाम हैं, उनके बारे में तफ़तीश चल रही है। जब अभियुक्त पकड़े जायेंगे तो पता चल जावेगा।

श्री राम देव—

श्रीमन्, डकैती में किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया और लोगों को किस प्रकार की चोटें आई हैं?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा, चोटें लाठी की हैं। एफ़० आई० आर० में है कि बन्दक भी लौटते वक्त हवाई फ़ायर में चलाई गई थी।

शकुन्तला, निवासिनी ग्राम घाटमपुर, जिला प्रतापगढ़ का अपहरण

**४—श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़), श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि, शकुन्तला, ग्राम घाटमपुर थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ का अपहरण हो गया? यदि हां, तो अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है?

श्री कृष्णानन्द राय—

दिनांक १२-८-६९ को थाना बाबू पुरवा, कानपुर में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शकुन्तला नामक लड़की निवासिनी ग्राम घाटमपुर, जिला प्रतापगढ़ को बाबू पुरवा के एक मकान से कुछ व्यक्तियों द्वारा बरामद किया गया और थाने लाया गया। रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई कि लड़की का अपहरण किया गया है। इस सूचना के आधार पर धारा ५४/३६३/३६६/३४२ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक अभियोग अंकित करके विवेचना की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि लड़की किस तारीख को बरामद हुई और किस घर में बरामद हुई?

श्री कृष्णानन्द राय—

१२-८-६९ को बरामद हुई थी और कल्लू नाम के व्यक्ति के घर से बरामद हुई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो थाने में रिपोर्ट है वह पूरी रिपोर्ट क्या है और किसने लिखी है?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, थाने में रिपोर्ट देवीदास आर्य, प्रधान, आर्य समाज, गोविन्दनगर, कानपुर ने तारीख १२-८-६९ को लिखी है और पूरी रिपोर्ट यह है:--

"श्रीमान् थानाध्यक्ष, थाना बाबूपुरवा, कानपुर, महोदय, निवेदन है कि आज सायंकाल ८ बजे मुझे श्री शिवकुमार निगम १३२/३६३, बाबू पुरवा ने सूचना दी है कि उनके घर के निकट कल्लू नाम के एक मुसलमान के घर में एक शकुन्तला नामक हिन्दू लड़की जिसकी उम्र १५-१६ साल होगी बन्द है। वह उसको बदनियती से रक्खे है। उसको वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिये। उसने यह भी सूचित किया कि कल्लू व उसका भाई फतेह मुहम्मद एक साथ एक कोठरी में रहते हैं। मैंने लगभग ७ बजे उक्त पते पर पहुंचकर देखा कि उक्त लड़की रो रही थी। मैंने मुहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया। उसमें से श्री काशीराम तिवारी, राममूर्ति शर्मा, राजाराम, पाचू, गुलाब सिंह, बाबू राम मिश्रा आदि के नाम लेखनीय हैं। उन सबकी सहायता से उक्त लड़की को तथा कल्लू को पकड़ कर थाने पर लाया हूं। मुझे विश्वास है कि इस लड़की का अपहरण किया गया है। कृपया आप रिपोर्ट दर्ज करें और उचित कार्यवाही करें।"

श्री जैराम--

यह घाटमपुर, थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ की घटना है, तो क्या वहां भी रिपोर्ट अंकित की गई है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जी नहीं, प्रतापगढ़ में इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री जैराम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तारीख को घाटमपुर से लड़की का अपहरण किया गया?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, इसकी अभी तफतीश हो रही है। लड़की कानपुर में बरामद हुई और प्रतापगढ़ में कोई रिपोर्ट नहीं है। कानपुर से केस आया है, प्रतापगढ़ में जांच हो रही है।

उम्र १५-१६ वर्ष। कानपुर में पकड़ी गयी है। वहीं कहीं पर है। रेडियोग्राम से तो खबर मिली है, और कितनी सूचना दे सकते हैं श्रीमन्, इतनी जल्दी में।

तुरहा जाति की पिछड़ी जातियों में सम्मिलित करने की प्रार्थना
हरिजन कल्याण योजना तथा मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट

**५--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री भाभी (जिला आजमगढ़,) श्री श्याम लाल, श्री हरिवंश (जिला देवरिया,) चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर), श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़), श्री राम विलास, (जिला आजमगढ़) तथा श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)--

क्या सरकार बतायेगी कि हरिजन सहायक विभाग पत्र संख्या २८४७/एक्स-एक्स-बी-आई-७४२-१९६४, दिनांक २१ अगस्त, १९६४ के उत्तर द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेशीय नुरहा जातीय महासभा के मंत्री को नुरहा जाति को पिछड़ी जातियों में गणना करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आश्वासन के आधार पर नुरहा जाति की गणना पिछड़ी जातियों में करने का आदेश प्रसारित करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)--

जी नहीं।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

**६--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री भाभी, श्री श्याम लाल, श्री हरिवंश, चौधरी रामपाल सिंह यादव, श्री अनीसुर्रहमान, श्री राम बिलास तथा श्री छेदा लाल चौधरी--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सरकार ने १९६४-६५ में पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन समिति बनाई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख कर प्रकाशित करेगी ?

श्रीमती बिद्यावती राठौर---

१९६४-६५ में पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन समिति नाम की कोई समिति नहीं बनी थी। जून, १९६४ में जो मूल्यांकन समिति आचार्य श्री जुगल किशोर जी की अध्यक्षता में हरिजन सहायक विभाग की योजनाओं की कार्य-प्रणाली इत्यादि की जांच करने तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट † की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन, प्रश्न गलत छपा है। हमारा प्रश्न नुरहा जाति के बारे में था।

श्री अध्यक्ष---

अभी उन्होंने उत्तर कहां दिया है, पहले उन्हें उत्तर देने दीजिये।

(उत्तर पढ़े जाने के बाद)

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो प्रश्न छपा है और जो उत्तर है वह नुरहा जाति के बारे में है जब कि मैंने तुरहा जाति के बारे में पूछा था। तो इस में संशोधन होना चाहिये। मैंने स्पष्ट उल्लेख किया था और शासन के पत्र की कापी मेरे पास है, जो उत्तर प्रदेश तुरहा जाति .....

श्री अध्यक्ष---

अगर कोई दूसरा प्रश्न था तो हम कल ले लेंगे। आप हमारे पास भेज दीजिये, मैं उसको सही करा दूंगा।

इण्टर की विज्ञान परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य न होना

**७---श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंटरमीडियेट में विज्ञान वर्ग के लिये अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री राम जी लाल सहायक)---

जी नहीं। इंटरमीडियेट परीक्षा के विज्ञान अथवा किसी वर्ग के लिये अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष इंटर की परीक्षा में चार विषय थे और इस वर्ष पांच कर दिये गये हैं और इसी कारण अनेक विद्यालयों में अंग्रेजी को करीब-करीब अनिवार्यता का स्वरूप दे दिया गया है और मेरठ में तथा और अनेक जगह हड़ताल चल रही है, तो क्या मंत्री जी इस दशा में पुनः इस नीति पर विचार करके पांच की जगह चार विषय करेंगे?

श्री रामजी लाल सहायक---

चार की जगह पांच विषय स्थिति के अनुसार किये गये। जब चार विषय वाले लड़के दूसरी जगह दाखिल नहीं हो सके, मेडिकल या इंजीनियरिंग में, तो पांच किये गये। ऐसा ही लड़के और उनके वालडैन भी चाहते थे।

---

†छापी नहीं गई।

श्री मोहन लाल कपूर--

जो लड़के ४ विषय लेकर अनुत्तीर्ण हो गये हैं, उन्हें फिर चार ही विषयों में परीक्षा देने के लिये क्या सरकार आज्ञा देगी ?

श्री रामजीलाल सहायक--

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है, इस पर जल्दी निर्णय होगा ।

श्री डी० पी० बोरा--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि साइंस के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी कम्पलसरी नहीं है । किन्तु हमारे यहां के जयनारायण इंटर कालेज में प्रास्पेक्टस में ही सभी वर्गों के लिये अंग्रेजी कम्पलसरी कर रखी है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

श्रीमन्, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें अनिवार्य नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

जब अंग्रेजी ऐच्छिक विषय है, तो एक स्थानीय कालेज में जिसका जिक्र अभी माननीय बोरा ने किया, वहां कम्पलसरी क्यों कर दी गयी है, क्या उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों किया है ।

तम्बौर थाने में गुलाब पुरवा निवासी श्री महावीर के घर की लूट

**८---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) रामबचन यादव तथा श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर, थाना तम्बौर के अन्तर्गत, दिनांक २४ मार्च, १९६८, ८ बजे प्रातः ग्राम गुलाब पुरवा, मजरा, रमुआपुर के महावीर पुत्र गोकरन के मकान को नींव से खोद कर ढाह दिया और सारा माल लूट कर ले गये ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार प्रथम सूचना की रिपोर्ट सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णानन्द राय--

यह सही है कि दिनांक २४-३-६९ को सुबह श्री महाबीर पुत्र गोकरन का घर गिरया गया तथा सम्पत्ति लूटी गई । इस घटना के संबंध में धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० का मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है । ४ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा १६ अभियुक्त हाजिर अदालत हुए हैं । शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९५-३९६ पर)

**९---श्री कल्यान सिंह, श्री हिम्मत सिंह, श्री राम बचन यादव तथा श्री उमाशंकर शुक्ला---

क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले में मुल्जिमान सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि पुलिस अधिकारी इस कांड में अन्तिम रिपोर्ट दे दें ? यदि हां, तो किन कारणों से इस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह बात सही नहीं है । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्यान सिंह--

इन ४ अभियुक्तों को गिरफ्तार कब किया गया ? जिन्होंने १६ व्यक्तियों ने आत्म-समर्पण किया है वह कब किया है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

तारीख पत्रावली में नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या यह सही है कि यह लोग खड़ी फसल को भी लूट ले गये ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जी हां, दो खेतों की फसल भी लूट ले गये ।

श्री हिम्मत सिंह--

जब सब कुछ उसका लूट ले गये तो क्या माननीय मंत्री जी वहां के लोगों पर सामूहिक जुर्माना आदि करके उस व्यक्ति की क्षति पूर्ति करेंगे ?

श्री कृष्णा नन्द राय--

एफ० आई० आर० में जो नाम दिये गये हैं तथा जो बाद में नाम बताये गये हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐक्शन होगा, सामूहिक जुर्माने का प्रश्न इसमें नहीं उठता है ।

श्री शिव कुमार--

वह व्यक्ति जिन्दा रह सके, इसके लिये क्या सरकार कोई सहायता उसको देगी और उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री कृष्णानन्द राय--

ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं है, प्रार्थना पत्र इसके लिये आने पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कल्यान सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि अभी कितने अभियुक्त रह गये हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और वह कौन कौन हैं और उनके खिलाफ क्या दफा ८७-८८ के अनुसार कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं नाम पूछने की इजाजत नहीं देता हूं । पहले वे उत्तर दें कि कितने आदमी बाकी हैं गिरफ्तार होने ?

श्री कृष्णानन्द राय--

चार आदमी गिरफ्तार किये गये हैं । १६ अदालत में हाजिर हुये हैं । १८ आदमी गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं ? जिन पर ८७-८८ की कार्यवाही हो रही है ।

नक्सलपंथियों द्वारा पवायां तहसील में जमीन पर नाजायज कब्जा

**१०-- श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर) तथा श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर जिला की तहसील पुवायां में नक्सलपंथियों का बहुत जोर बढ़ गया है और श्री माया प्रकाश व श्री मुहम्मद मियां नक्सलपंथी ट्रेनिंग करके हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चला है और सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

यह सही नहीं है कि तहसील पुवायां में नक्सपंथियों का जोर बढ़ गया है और इस कारण जन-जीवन अस्त व्यस्त है तथा सुरक्षा को खतरा है। किन्तु सर्वश्री माया प्रकाश, मोहम्मद मियां व अन्य व्यक्ति जो नक्सलवादी विचारधारा के बताये जाते हैं, इस तहसील के अन्तर्गत लगभग ८८७ एकड़ ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा बनाये रखने के पक्ष में आन्दोलन कर रहे हैं। जनता पर इस आन्दोलन का कोई प्रभाव नहीं है और न उन्हें इससे कोई सहानुभूति है। इस विषय के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना पर १९ अगस्त, १९६९ को दिये गये वक्तव्य में विस्तृत सूचना दी जा चुकी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि पुवायां में बी० के० डी० और कांग्रेस ने मिल कर बड़ा भारी जुलूस निकाला और जिलाधिकारियों से मांग की कि इनका दमन किया जाय? क्या सरकार इस पर विचार करेगी जिससे भविष्य में गड़बड़ी न हो?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह तो सही है कि इनके खिलाफ़ जुलूस निकला था और मुहम्मद मियां और तेज सिंह ११ तारीख को गिरफ्तार हो चुके हैं और इन पर मुकदमा चल रहा है। और किसी आवश्यक आदेश की आवश्यकता होगी तो दे दिया जायेगा। जिले के लोग सतर्क हैं।

श्री हरनारायन (जिला पीलीभीत)---

क्या मन्त्री महोदय इस बात की जानकारी रखते हैं कि श्री मायाप्रकाश और श्री मुहम्मद मियां कहमारिया में दस बारह साल से भूमि पर काबिज हैं? उनको पी० ए० सी० द्वारा निकाला जा रहा है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह सूचना मेरे पास बिलकुल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या यह बात सही है, जैसा कि अभी बतलाया गया कि श्री मुहम्मद मियां और तेज सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, और जिलाधिकारी इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि उन पर से मुकदमा वापस ले लिया जाय?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

दबाव का कोई सवाल नहीं होता। इस सदन में इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है।

श्री महरम सिंह---

श्री मुहम्मद मियां ने जबरन बहुत से लोगों को कब्जा कराया था और उनसे वैधानिक रूप से.....

श्री अध्यक्ष---

यह तो सूचना है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री महरम सिंह---

जब सरकार ने ग्राम सभा सुपरसीड कर दी तो उन्होंने उन्हीं लोगों को काबिज रखवाने के लिये ऐसा आन्दोलन कर दिया है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

इस बारे में सदन में काफ़ी बहस हो चुकी थी। बात यह थी कि यहां कुछ ग्राम समाज की भूमि थी। बाहर के लोगों ने जिनके पास यहां काफी जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया।

जब एस० डी० ओ० की नोटिस में यह आया कि यहां बाहर के लोग काफ़ी जमीन पर कब्जा किये हुए हैं तो उन्होंने जाकर देखा और इस बात का प्रयास किया कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको पांच पांच एकड़ के हिसाब से जमीन दे दें। ग्राम सभापति ने इसमें आपत्ति की और उन को सस्पेंड किया गया। उसका पूरा विवरण शायद १९ तारीख को दे दिया गया है।

मुरादाबाद जिले में गन्ने में कीड़े लगना

**११---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत शिवहारा के सुरक्षित गन्ना क्षेत्र (सेंटर छजलैट) में अगोले को काट देने वाला कीड़े के कारण सुण्डी नामक बीमारी महामारी के रूप में व्यापक रूप से फ़ैली है? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

मुरादाबाद जिले के बिजनौर से लगे हुये कुछ गन्ने के क्षेत्र में गुरदासपुर बोरर का असर हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु उपचार किया जा रहा है।

श्री नौनिहाल सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये अभी तक क्या उपचार किया गया है और कहां कहां किया गया है?

डाक्टर सीताराम---

बिजनौर जिले से लगा हुआ मुरादाबाद जिले का जो हिस्सा पड़ता है वहां पर गन्ने के इस रोग का उपचार किया गया है, १०४ एकड़ में यह अटैक हुआ है उसमें से ३२ एकड़ कब्जे में आ गया है और ७२ एकड़ में अभी काम जारी है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या यह सही है कि कृषि मंत्री जी के पास प्रदेश की सम्पूर्ण कृषि के सम्बन्ध में फ़ोर्टनाइटली रिपोर्ट आती है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायत उन को कहां कहां से प्राप्त हुई और कब?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यापक प्रश्न नहीं है, केवल मुरादाबाद का यह है।

डाक्टर सीताराम---

रिपोर्ट जुलाई के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी अनेक जिलों में इस रोग का प्रकोप देखते हुए क्या गरीब किसानों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि उन को जो दवा बेची जाती है वह मुफ्त दी जाय?

डाक्टर सीताराम---

इसके लिये कोई दवा है ही नहीं।

श्री नौनिहाल सिंह---

मैं जानना चाहता हूं जब इस रोग की कोई दवा नहीं है तो उसका उपचार क्या किया गया है?

डाक्टर सीताराम–

सुन्डी वह कीड़ा है जो गन्ने में जुलाई के मास में जब वह ३–४–५ फ़िट का होता है उस वक्त लगता है जो ऊपर से अगोले को अन्दर से काट देता है, उस में छेद कर देता है और बैठ कर उसका रस सक करता है। उसका इलाज यही है कि वहीं से उस के नीचे से उस को निकाल दिया जाता है। हमारे रिसर्च सेन्टर्स पर इस पर कोई बायोकेमिकल या केमिकल इलाज नहीं निकला है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मंत्री जी ने अभी बताया कि सुन्डी का कोई इलाज नहीं है, तो यदि प्रदेश में अभी इस की जानकारी नहीं है तो क्या मंत्री जी भारत की किसी अन्य निरीक्षणशाला से इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करेंगे ?

डाक्टर सीताराम–

भारत सरकार का शुगर केन रिसर्च स्टेशन लखनऊ में ही है और प्रादेशिक सरकार का भी शाहजहांपुर में है, इस दोनों ही जगह पर कोई वैज्ञानिक बायोकेमिकल या केमिकल इलाज सुन्डी का नहीं निकला है, केवल मेकिनिकल उपचार ही होता है।

श्री नौनिहाल सिंह–

मेरा प्रश्न सुरक्षित गन्ना क्षेत्र छजलेट के बारे में था तो उस क्षेत्र में सुन्डी के रोग के लिये क्या कार्य किया गया और कहां उसकी रोकथाम की गई। मेरी जानकारी यह है कि १८ तारीख की शाम तक कोई कार्य इस दिशा में वहां नहीं हुआ, क्या यह सही है ?

डाक्टर सीताराम–

यह विभाग की ही रिपोर्ट है कि १०४ एकड़ में से ३२ एकड़ में उपचार हो चुका है और ७२ एकड़ में अभी होना बाकी है और काम जारी है। मैं आप को आश्वासन दिलाता हूं कि कमिश्नर, मेरठ डिवीजन को आदेश दिया गया है कि मुजफ़्फ़रनगर, मेरठ, मुरादाबाद, देहरादून और बिजनौर जहां पर यह कीड़ा लगा हुआ है वहां जाकर देखें और इत्तिला दें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अलीगढ़ जिले में लोहियानगर के हबूड़ों पर पुलिस अत्याचार की शिकायत

*१–श्री अनीसुर्रहमान–

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला अलीगढ़, थाना सिविल लाइन की पुलिस ने दिनांक १७ जुलाई, १९६९ को ७।। बजे सांय लोहिया नगर स्थित हबूड़ों की बस्ती पर खाना तलाशी के सिलसिले में एक महिला को इतना पीटा कि उसका गर्भपात हो गया तथा रामस्वरूप नामक व्यक्ति की मृत्यु थाने पर हो गई ? यदि हां, तो घटना क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्णानन्द राय–

इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुईं।

कथित घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सही तथ्यों का पता चलेगा।

*२--श्री अनीसुर्रहमान--

क्या गृह मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि हबूड़ों तथा शहर के नागरिक जिलाधिकारी के यहां भूख हड़ताल करके धरना दे रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

भूख हड़ताल तो नहीं परन्तु कुछ हबूड़ों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की कोठी पर धरना दिया गया था जो स्वतः उठा लिया गया।

श्री अनीसुर्रहमान--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री स्वर्गीय रामस्वरूप को थाने पर मारा गया और वहीं पर पंचायतनामा भरा गया ?

श्री कृष्णानन्द राय--

इनके प्रश्न का आशय यह है कि श्री रामस्वरूप की लाश थाने पर थी और पुलिस का यह कहना है कि इसको चारपाई पर लाया गया था....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, सवाल कुछ पूछा जाता है और उत्तर कुछ दिया जाता है। इनका सीधा सादा सवाल है कि श्री राम स्वरूप की लाश थाने में प्राप्त हुई अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

केवल इतना ही सवाल नहीं किया गया था।

श्री कृष्णानन्द राय--

पुलिस यह कहती है कि लाश प्राप्त हुई और ये लोग थाने पर लाश ले गये। ये कहते हैं कि थाने पर मार दिया गया, लाश थाने पर थी और वहां पर पंचायतनामा हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मरहूम (मृतक) की लाश पर कितने चोट के निशान पाये गये ?

श्री कृष्णानन्द राय--

पंचायतनामे के अनुसार मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस महिला का गर्भपात हुआ, उसका डाक्टरी मुआयना कराया गया और उनकी क्या रिपोर्ट थी ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जी हां। डाक्टर ने लिखा है "नो मार्क्स आफ़ इन्जरी नेयर फ़ाउंड आन दी बाडी।"

श्री अनीसुर्रहमान--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हबूड़ों ने शिकायतें कीं कि हमारे डाक्टर को भी आज्ञा दी जाय कि वह भी पोस्टमार्टम के समय रहे ? या उससे पोस्टमार्टम कराया जाय ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह सही है कि हबूड़ों ने यह कहा था कि उन लोगों का जो डाक्टर है, उससे पोस्टमार्टम कराया जाय लेकिन जिलाधीश ने उन लोगों से बातें कीं और उन्होंने कहा कि एसिस्टैन्ट सिविल सर्जन के साथ सिविल सर्जन भी रहेंगे और तब पोस्टमार्टम कराया जायगा।

*३---श्री शिवराज सिंह---

[प्रश्न में संशोधन होने के कारण ७वें गुरुवार के प्र०सं० १ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया]

नेहरू मेमोरियल तिब्बती फाउण्डेशन, देहरादून को सहायता

*४---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून स्थित तिब्बतियों के केन्द्र नेहरू मेमोरियल तिब्बती फ़ाउन्डेशन में राज्य सरकार के रुपये तथा खादी बोर्ड के लाखों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है जिसकी जानकारी खुफ़िया विभाग को भी है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा देहरादून स्थित नेहरू मेमोरियल तिब्बती फ़ाउन्डेशन को कोई भी आर्थिक सहायता ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित नहीं की गयी।

अतः राज्य सरकार व खादी बोर्ड के लाखों रुपये का दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस नेहरू मेमोरियल तिब्बती फ़ाउन्डेशन में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनके खिलाफ़ सी० आई० डी० की रिपोर्ट आयी है कि वे विदेशियों के एजेन्ट्स हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

इसके बारे में मेरे पास यहां कोई सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह फाउन्डेशन स्थापित किया गया है सरकार ने इसको कितनी सहायता दी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मेरे पास जो पत्रावली है, उसमें यह है कि यू० पी० का जो खादी तथा ग्रामोद्योग है बल्कि जो भारत सरकार का खादी कमीशन है वह सहायता देता है जिसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की ओर से जो खादी ग्रामोद्योग है, उसन प्रारम्भ से लेकर जो सहायता अब तक रुपये के रूप में दी है वह कितनी है और जो जमीन दी गयी है, वह कितनी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

विभाग से उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को कोई सहायता डायरेक्ट नहीं दी जाती है। जो भी सहायता उसे मिलती है वह केन्द्रीय सरकार से मिलती है। जमीन का जहां तक सम्बन्ध है, वह उन्हें भूदान वालों ने दी है।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में एण्टी डिप्थीरिक सीरम न होना

*५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ के समस्त अस्पतालों व मेडिकल कालिज, लखनऊ में डिप्थीरिया की बीमारी की एकमात्र दवाई एन्टी डिप्थीरिक सीरम काफी समय से नहीं है ? यदि हां, तो कब से तथा सरकार उपरोक्त दवाई का क्या प्रबन्ध कर रही है, और कब तक ?

श्री कृष्णानन्द राय—

डिप्थीरिया बीमारी के इलाज की सुविधा अभी तक लखनऊ में केवल गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में उपलब्ध थी। इस चिकित्सालय में एन्टी डिप्थीरिक सीरम केवल चार दिन। (५-७-१९६९ से ८-७-१९६९ तक) उपलब्ध नहीं रहा।

*६—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उपरोक्त दवाई के न होने से कारण मेडिकल कालिज, लखनऊ व लखनऊ के अन्य सरकारी अस्पतालों में कितने बच्चों की मृत्यु हुई है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

प्राप्त सूचना के अनुसार गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ में ऐसे बच्चों की भी जिन्हें एन्टी डिप्थीरिक सीरम दिया गया था, मृत्यु हुई है और दूसरी ओर ऐसे बच्चे जिन्हें सीरम नहीं उपलब्ध हुआ, अच्छे हो गये। अतः यह बताना कि सीरम उपलब्ध न होने के कारण कितने बच्चों की मृत्यु हुई, सम्भव नहीं है। लखनऊ के अन्य सरकारी चिकित्सालयों में चूंकि इस रोग के इलाज की व्यवस्था अभी तक नहीं थी, अतः वहां इस रोग से पीड़ित बच्चों की मृत्यु होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलायेंगे कि गांधी स्मारक और उससे संबंधित अस्पताल में इस बीमारी के कितने बेड्स हैं और नये अस्पतालों में क्यों इसका प्रबन्ध नहीं हो पाता है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

क्यों प्रबन्ध नहीं हो पाया है इसका कारण साधन न होना ही होगा लेकिन अब बलरामपुर अस्पताल में इस बीमारी के इलाज का प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि दवा दी तब भी मर गये और नहीं दी तो बच गये तो क्या वह इन बच्चों की तादाद बतलायेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जून, १९६९ में १४ रोगी भर्ती हुए जिसमें ४ की मृत्यु हुई। इन १४ रोगियों में से २ को एंटी डिप्थीरिक सीरम नहीं दिया गया इसमें १ अच्छा हो गया और दूसरे की मृत्यु हो गयी। इस माह जो अन्य ३ मृत्यु में हुईं वे ऐसे रोगी थे जिन्हें सीरम दिया गया था।

जुलाई, १९६९ में ३८ रोगी भर्ती किये गये। इनमें से १४ को सीरम नहीं दिया गया। इन १४ में से ११ अच्छे हो गये थे और ३ की मृत्यु हो गई थी। इस माह में भर्ती किये गये ३८ रोगियों में से ५ की मृत्यु हो गयी थी। शेष २ रोगी जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे थे जिनको सीरम दिया गया था।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को शिकायती-पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि सीरम सस्ते भाव से बाजार के मेडिकल स्टोर्स में चला जाता है और बाद में बाजार से खरीदने के लिये लोगों को मजबूर किया जाता है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

लिखित सूचना तो नहीं मिली है। कुछ लोगों ने मेरे कार्यालय में यह बात कही थी और उसका पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

*७-८—श्री जगदीश गांधी—

(६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।)

[उत्तरप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया]

कर्णप्रयाग–रामनगर मोटर मार्ग में ली गयी जमीन का मुआवजा

*२—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी कितने मामले (केसेज) ऐसे रह गये हैं जिनका कर्णप्रयाग–रामनगर मोटर मार्ग के निर्माण से पन्डवारवाल, जिला चमोली तक ली गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३—श्री शेरसिंह दानू (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्णप्रयाग–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण के लिये ली गई कितनी खेती व भवनों की जमीनों का मुआवजा देना बाकी रह गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कर्णप्रयाग–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण के लिये ली गयी भूमि के किसी मामले में मुआवजा देना बाकी नहीं है।

[२१ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हिन्दी में कार्य करने का आदेश

*१—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश प्रसारित किया है कि जिसके अन्तर्गत जिला स्थानों पर सभी स्तरों पर एवं सभी कार्यालयों में कार्य हिन्दी में हो तथा अंग्रेजी का प्रयोग बिल्कुल समाप्त कर दिया जावे ? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस सरकार ने ऐसे आदेश दिनांक १ मार्च, १९६९ तथा २७ अप्रैल, १९६९ को प्रसारित किये। उनकी एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९७ पर)

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि इन आदेशों की जिला स्तर पर जो अधिकारी अवहेलना करके अंग्रेजी में नोटिंग कर रहे हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हमने दूसरा आदेश दिया है और उसमें विभागाध्यक्षों से कहा है कि देखें कि आदेशों का पालन हो। मुझे विश्वास है कि आदेशों का पालन होगा।

पनियाली ग्राम में रेशम उद्योग के लिये भूमि

*२--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक दिनांक २५ मार्च, १९६५ ई० को प्रश्न संख्या ६१ से ६३ तक के उत्तर के क्रम पर, क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि, जो १० एकड़ भूमि रेशम उद्योग विभाग द्वारा सन् १९६२ ई० में खरीदी गयी है, उसमें ३१ मार्च, सन १९६९ तक सम्बन्धित विभाग ने कितनी धनराशि किन-किन मदों में व्यय की है और उससे कितना फायदा विभाग को मिला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कथित पनियाली भूमि के ऊपर ३१ मार्च, १९६९ तक खर्चे का विवरण इस प्रकार है :--

क्रम-सं०	मद	धनराशि
		रु०
१	भूमि के झाड़झंखाड़ उखाड़ने, समतल करने इत्यादि पर ..	२,६४९.४५
२	भूमि के तार-बाड़ इत्यादि में	१,६४५.३६
	योग ..	४,२९४.८१

इस भूमि के क्रय करने से विभाग को सीधा लाभ नहीं मिला है। वृक्षारोपण के पश्चात् लगभग ४ साल में पत्तियां उपलब्ध हो सकेंगी जिससे कि कीटपालन का कार्य किया जायेगा।

*३--श्री इन्द्रलाल--

क्या यह सही है कि जितनी भूमि रजिस्टर्ड बैनामे में विभाग को लिखी गई थी उस पर विभाग अभी तक पूर्ण रूप से काबिज नहीं हो सका ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां। पूर्ण भूमि पर आधिपत्य न होने का कारण यही है कि विक्रेता को पूर्ण भूमि के विक्रय करने का अधिकार नहीं था।

श्री इन्द्रलाल--

क्या उद्योग मन्त्री महोदय मेरे इस प्रश्न को सूचना मान कर कि इसमें बड़ा गोलमाल हुआ है और यह जो रिपोर्ट की गयी कि २,६४९.४५ रु० खर्च हुआ है यह बिल्कुल झूठ है .....

श्री अध्यक्ष--

आप यह नहीं कह सकते। आप प्रश्न कीजिये।

श्री इन्द्रलाल--

तो मेरे प्रश्न को सूचना मान कर क्या पुनः जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

आप तो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं। आप कहेंगे तो जरूर जांच करायेंगे और अगर किसी ने कसूर किया होगा तो उसको सजा भी देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों के सम्बन्ध में बहुत सी जमीन खरीदी गयी या एक्वायर की गयी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्या उद्योग मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी भूमि जो अभी पड़ी हुई है और उसका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है वह जिससे खरीदी गयी है उसको वापस कर दी जायगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

ऐसा तो विचार नहीं है लेकिन यह विचार जरूर है कि उद्योगों को बढ़ाकर उसका इस्तेमाल करें। आपकी भी उसमें मदद लेंगे।

देहरादून जिले में नक्सलपन्थियों की गतिविधियां

*४--श्री निस्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि पर्वतीय जिलों में नक्सलवाड़ियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, खुलेआम माओ के चित्र लगा कर सशस्त्र खूनी क्रांति के द्वारा सरकार को बदलने के पोस्टर भी देहरादून जैसी जगह पर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

नक्सलवादियों की गतिविधियां जिला नैनीताल तथा देहरादून को छोड़कर राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों में दृष्टिगोचर नहीं हुई हैं। जिला देहरादून में ये गतिविधियां उग्रवादी विचारधारा के पर्चे छपवाने तथा चुनाव विरोधी तथा माओ समर्थक पोस्टरों के चिपकाने के रूप में देखी गई। इसमें से कुछ पोस्टरों पर लेनिन, स्टालिन व माओ के चित्र तथा कुछ नारे लिखे थे। आवश्यक साक्ष्य न मिलने के कारण इनके आधार पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही न की जा सकी।

नैनीताल जिले में नक्सलपंथियों का एक प्रशिक्षण शिविर लगने की भी सूचना है। इनकी गतिविधियों की ओर शासन जागरूक है तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पोस्टरों की देहरादून के अन्दर बिल्टी कहां से आयी, किस व्यक्ति ने उसको छुड़ाया यह सब सूचना पुलिस अधिकारी को दिये जाने के बाद भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किये गये ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मुझे दुःख है मेरी पत्रावली में यह सूचना नहीं है जो स्वामी जी दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सूचना दी गयी होगी तो उसकी मैं जांच करा लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं पोस्टर भी हाथ में लिये हूं जिसके नीचे बिल्कुल देशद्रोही बात लिखी हुई है.....

श्री अध्यक्ष--

वह आप भिजवा दें मंत्री जी के पास।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

तो इन पोस्टर के लगने की घटना की इत्तला को कितना समय बीत चुका है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

यह चुनाव के सिलसिले में पहला पोस्टर २८ अगस्त, १९६८ को निकला था जो पता चला था एक रमेश बेरी ऐडवोकेट हैं उन्होंने निकलवाया था और दूसरा पोस्टर नेकीराम गुप्ता और राधाकृष्ण कुकरेती ने निकलवाया था। उनके ऊपर २४-ए का मुकदमा चल रहा है जो न्यायालय में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह जो पोस्टर मैंने बतलाया है जिसके नीचे यह लिखा है कि, "राजसत्ता का जन्म बन्दूक की नली से होता है" इस पोस्टर के लगाने वाले रमेश बेरी ऐडवोकेट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

रमेश बेरी के इस पोस्टर में तो इलैक्शन्स का बायकाट करो आदि की सूचना मिली थी। जो सूचना आप दे रहे हैं मैं उस को देख लूंगा।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के अपराधी

*५--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने वाला कानून लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में व्यापारी वर्ग खुलेआम वस्तुओं में मिलावट कर रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जी हां, खाद्य पदार्थों में मिलावट खुलेआम नहीं हो रही है।

*६--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में कितने बड़े व्यापारियों और फर्मों को मिलावट के अभियोग में दंडित करने हेतु कदम उठाये गये हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

पिछले तीन वर्षों में २००५६ व्यापारियों और फर्मों के विरुद्ध मिलावट के अभियोग में दंडित करने हेतु कदम उठाये गये हैं।

गढ़वाल मण्डल में वन सम्पदा के यातायात साधन

*७--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन सम्पदा के उपयोग के लिये जो यातायात एवं संचार साधनों का विकास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके अनुसार गढ़वाल मंडल में क्या-क्या योजनायें प्राप्त की गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

गढ़वाल मण्डल में वन सम्पदा के उपयोग के लिये यातायात एवं संचार साधनों के विकास के लिये निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं :--

१--मोटर मार्गों का बनाना।
२--अश्व (ब्राइडिल) मार्गों का बनाना।
३--मोटर एवं अश्व मार्गों का जीर्णोद्धार ।
४--टेलीफोन लाइनों का बनाना।

नोट--तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

माण्डाखाल—पैठाणी—थैलीसैण सड़क

८८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले के अन्तर्गत बनने वाली वन विभाग की माण्डाखाल पैठाणी—थैलीसैण सड़क तथा द्वारी खाल— सिलोंगी सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वन विभाग की माण्डाखाल–पैठाणी–थैलीसैण सड़क माण्डाखाल से चरी तक बन चुकी है। इस सड़क को चरी से पैठाणी तक, जिसकी दूरी २०.२५ किलोमीटर है, बनाने का विचार है और जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता रहेगा यह सड़क बनाई जायगी। इसमें ४–५ वर्ष लग जायेंगे। पैठाणी से थैलीसैण तक सड़क को वन विभाग द्वारा बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

द्वारीखाल–सिलोंगी सड़क वन विभाग के अधीन नहीं है। अतः वन विभाग द्वारा इस सड़क को बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

आजमगढ़ जिले में रोडवेज कर्मचारियों की नियुक्ति

*९—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में वर्तमान ए० जी० एम० द्वारा कितने आदमियों की नियुक्ति कंडक्टरों और अन्य पदों पर की गई और उसमें से कितने लोग वेटिंग लिस्ट में से रक्खे गये और वे किस जाति के हैं इसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

आजमगढ़ जिले में वर्तमान सहायक प्रधान प्रबन्धक द्वारा अपने कार्यकाल में (८–६–६७ से ३१–७–१९६९) कण्डक्टरों तथा अन्य पदों पर १०३ रैगुलर तथा १४६ अल्पकालीन नियुक्तियां की गयीं। इन नियुक्तियों की सूची † जिस में अन्य सूचना भी दी गयी है सदन की मेज पर रख दी गयी है।

किठौर में अस्पताल खोलने की मांग

*१०—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार जिला मेरठ के अन्तर्गत क्षेत्र किठौर में कब तक सरकारी अस्पताल खोलने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

चालू वित्तीय वर्ष में किठौर जिला मेरठ में सरकारी अस्पताल खोलने की व्यवस्था करने का विचार नहीं है। यह कहना कठिन है कि वहां सरकारी अस्पताल खोलने की व्यवस्था कब तक हो जायगी।

देवगांव थाने में लालगंज गांव की कथित डकैती

*११—श्री दलसिंगार—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि लालगंज गांव, जिला आजमगढ़ के देवगांव थाने में इस वर्ष १९६९ में कोई ऐसी डकैती पड़ी जिसमें डाकू मौके पर मारा गया और कुछ डाकू मौके पर

---

† छापी नहीं गयी।

पकड़े गये? क्या यह सच है कि रिमांड आर्डर के उक्त केस में मुलजिम छोड़ दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सन् १९६९ में ग्राम लालगंज-थाना देवगांव, जिला आजमगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

*१२—श्री डूंगर सिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

विदेशी शराब के लाइसेन्स

*१३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में अब तक विदेशी शराब को बेचने के लाइसेन्स शराब विक्रेताओं को नीलाम नहीं किये जाते?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, उत्तर प्रदेश में विदेशी मदिरा के लाइसेंसों का नीलाम नहीं किया जाता है।

*१४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार देशी शराब के ठेकों की तरह विदेशी शराब के ठेकों का भी नीलाम आरम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

विदेशी शराब के लाइसेंसों को देशी शराब के ठेकों की तरह नीलाम करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*१५—श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों पर अलग-अलग गन्ने के मूल्य का किस वर्ष का कितना रुपया किसानों को अभी तक देना बाकी है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

प्रदेश की चीनी मिलों पर ३०-६-६९ तक अलग-अलग गन्ने के मूल्य का वर्षवार विवरण जो किसानों को उक्त समय तक देना बाकी था संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९८-४०१ पर)

*१६—श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या उद्योग मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त चीनी मिलों से किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की? और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

बकाया गन्ना मूल्य की वसूली के लिये ८ मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। सरसावा, रामपुर, बाराबंकी और बुढ़वल चीनी मिलें कुर्क कर ली गई हैं और उनके लिये रिसीवर नियुक्त हुये हैं। जरवल चीनी मिल ने शासन से समझौता किया है और यह मिल एक सरकारी अधिकारी की देख रेख में चल रही है। दीवान शुगर मिल्स सकोती टांडा, जिला मेरठ भारत सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड आफ मैनेजमेंट द्वारा चलाई जा रही है। शेष धन की वसूली के लिये हर संभव कार्यवाही की जा रही है।

*१७-१८--श्री श्याम लाल--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये]

जिला उद्योग अधिकारी का पद

*१९--श्री राम निहोर राय (जिला बिजनौर)--

क्या उद्योग मंत्री जिला उद्योग अधिकारी का पद पुनः सृजित करने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां । अभी विचार हो रहा है अतः निश्चित समय बताना संभव नहीं है ।

पिथौरागढ़ में शराब की दुकानें

*२०--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि शराब की दृष्टि से पिथौरागढ़ प्रोहिबिटेड एरिया होने के बाद भी अभी उस जिले में सरकारी तौर पर शराब के कुछ ठेके अथवा दूकानें कायम हैं ? यदि हां, तो अभी भी लाइसेंस कायम रखने का क्या कारण है ? इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पिथौरागढ़ प्रोहिबिटेड एरिया है, तो क्या पिथौरागढ़ जिले के शराब की दूकान के सभी लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पिथौरागढ़ जिले में १-४-६९ से मद्य निषेध लागू होने के बाद देशी शराब की कोई दूकान नहीं चल रही है । केवल विदेशी शराब की फुटकर बिक्री की एक दुकान है जो यू० पी० इंटौक्सीकेंट प्रोहिबिशन रूल्स, १९४७ के अन्तर्गत परमिट धारक व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिये है ।

देहरादून में राष्ट्रीय एकता शपथ दिवस

*२१--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्यपाल के शासन काल में दिनांक २१ अक्तूबर सन् १९६८ को देहरादून में प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पिछले साल भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि आइन्दा राष्ट्रीय एकता शपथ तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के दो पृथक् अभियानों के स्थान पर, गांधी जयन्ती सप्ताह में ही राष्ट्रीय एकता शपथ का एक ही अभियान चलाया जाय । इसी आधार पर राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किये थे और उसी के अनुसार देहरादून में प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता शपथ दिनांक ९ अक्टूबर, १९६८ को ली गई थी । सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ जिले के केवराग्राम की डकैती

*२२--श्री रामदेव--

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रानीगंज थाने के केवराग्राम के सात परिवारों को १२/१३ जून, १९६९ की रात में डकैतों ने लूट लिया और एक व्यक्ति गोलियों से घायल हो कर अस्पताल में दाखिल है ? यदि हां, तो कितने डकैत गिरफ्तार किये गये और कितने अभी फ़रार हैं ? क्या नामजद रपट थाने में की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रानीगंज थाने के ग्राम केराकलां में १२/१३ जून, १९६९ की रात में एक डकैती पड़ी, जिसमें १५-२० डकैतों द्वारा आस-पास के छः घरों में लूट-पाट की गई। इस घटना में एक व्यक्ति गोली से घायल हुआ था और अस्पताल में दाखिल रहा। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और शेष फ़रार हैं। चार व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थाने में की गई थी।

*२३---श्री रामदेव---

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रानीगंज थाने के संसारपुर ग्राम में जून, १९६९ मास में दो पक्षों के बीच गोलियां चलीं ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे, कितने घायल हैं, कितने जेल में बन्द हैं तथा कितने फ़रार हैं ? संबंधित थानेदार ने अभी तक चार्ज शीट भेजा या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जी हां। संसार पुर ग्राम में २१ जून, १९६९ को दो पक्षों के बीच मारपीट हुयी, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति ने गोली चलायी। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एक घायल हुआ। इस घटना के संबंध में ५ अभियुक्त जेल में बन्द हैं। कोई अभियुक्त फ़रार नहीं है। इस घटना के संबंध में दो क्रास केसेज धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भा० द० वि० तथा धारा १४७/१४८/१४९/३२४ भा० द० वि० के अन्तर्गत अंकित किये गये। पहले मामले में चार्जशीट अदालत में भेजी जा चुकी हैं और दूसरे मामले में विवेचना जारी है।

उर्दू की तरक्की

*२४---श्री मंजूर अहमद---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की राज-काज की भाषा में उर्दू को दूसरा दर्जा प्रदान कर रही है और उसके प्रसार के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इस प्रदेश में उर्दू बोलने वालों को शिक्षा एवं प्रशासन के क्षेत्रों में सभी आवश्यक सुविधायें और संरक्षण उपलब्ध हैं। शासन की चेष्टा भी यही है कि उर्दू बोलने वालों को वास्तव में कोई कठिनाई न हो। ऐसी दशा में उर्दू को इस प्रदेश के राजकाज की भाषा में दूसरा दर्जा प्रदान करने की जरूरत नहीं है।

उर्दू की तरक्की और उसके पढ़ने-पढ़ाने को हर मुमकिन तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। इसलिये दूसरी जबान की शक्ल में उर्दू के प्रसार के लिये कोई योजना बनाने का सरकार का इरादा नहीं है।

हरदोई जिले के पुलिस स्टाफ में वृद्धि

*२५---श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)---

क्या सरकार १९६१ से १९६९ तक हरदोई जनपद की जनसंख्या व अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुये पुलिस स्टाफ की संख्या में वृद्धि करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, १९६० की सिफ़ारिशों के आधार पर थानों व चौकियों के पुनर्संगठन की एक योजना बनाई गई है जिसको हरदोई जिले में लागू करने के आदेश

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अप्रैल, १९६९ में जारी कर दिये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत वहां ४ हैड कांस्टेबिलों व ४२ कांस्टेबिलों की वृद्धि कर दी गई है।

मथुरा जिले में चौकीपुरा गांव का हत्याकाण्ड

*२६—श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८/२९ जून, १९६९ को जिला मथुरा, थाना फ़रह के ग्राम चौकीपुरा में १० आदमियों को एक साथ गोली मार कर हत्या कर दी गई? आज तक इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गये और कितने नहीं? क्या गृह मंत्री इस संबंध में की गई कार्यवाही को बतलाने का कष्ट करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। दिनांक २८/२९-६-६९ की रात में ग्राम चौकीपुरा, थाना फ़रह, जिला मथुरा में इस प्रकार की घटना हुई थी, इस संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा चार अभियुक्त अभी पकड़े नहीं जा सके हैं। घटना की सूचना प्राप्त होने पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अधीन मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है।

आबकारी इन्स्पेक्टरों के पदों का चुनाव

*२७—श्री डी० पी० बोरा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग में विभागीय कर्मचारियों के लिये इंस्पेक्टर के पदों पर चुनाव द्वारा पदोन्नति कई वर्षों से नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री आबकारी इंस्पेक्टर के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव शीघ्र कराने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, यह मामला शासन के विचाराधीन है और लोक-सेवा-आयोग के माध्यम से शीघ्र चुनाव कराने की आशा है।

देवरिया जिले में कत्ल, डकैतियां, बल्वे

*२८—श्री हरिवंश—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पहली जनवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक देवरिया जिले में कितने कत्ल कहां-कहां हुये तथा कितनी डकैतियां और कितने बलवे हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१-१-६९ से ३०-६-६९ तक की अवधि में जिला देवरिया में २२ कत्ल, ९ डकैती तथा ८३ बल्वे की घटनाओं के होने की सूचनायें विभिन्न थानों पर प्राप्त हुयीं। कत्लों के घटना-स्थलों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०१ पर)

*२९-३०—श्री गोविन्द सिंह—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३१—श्री उपेन्द्र नाथ—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

हिन्दी में सरकारी प्रकाशन तथा तार

*३२--श्री राम गोपाल संड--

क्या राज्य सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने सरकारी प्रकाशन, मार्च, १९६९ से अब तक हिन्दी और अंग्रेजी में हुये ? तथा उपर्युक्त अवधि से अब तक कुल कितने तार सचिवालय से हिन्दी भाषी क्षेत्र, केन्द्र तथा अन्य राज्यों में भेजे गये ? तारों की संख्या बताई जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

दिनांक १ मार्च, १९६९ से अब तक हिन्दी में ११० और अंग्रेजी में २९ सरकारी प्रकाशन हुए तथा उपर्युक्त दिनांक से अब तक सचिवालय से हिन्दी भाषी क्षेत्र को ७१, केन्द्र को ५६५ तथा अन्य राज्यों को ८९ तार भेजे गये ।

सचिवालय में हिन्दी टाइपराइटर

*३३--श्री राम गोपाल संड--

क्या सरकार बतायेगी कि हिन्दी व अंग्रेजी के कुल कितने टाइपराइटर सचिवालय में हैं तथा पिछले पांच वर्षों में कितने हिन्दी व अंग्रेजी के टाइपराइटर राज्य सरकार के द्वारा खरीदे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

सचिवालय में हिन्दी के ६७० तथा अंग्रेजी के ७०८ टाइपराइटर हैं । पिछले पांच वर्षों में सचिवालय के लिये हिन्दी के ३०२ तथा अंग्रेजी के ६९ टाइपराइटर खरीदे गये ।

बस्ती, गोंडा तथा देवरिया चीनी मिलों में गन्ने की पेराई

*३४--श्री सुख लाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती, गोंडा, देवरिया की चीनी मिलों ने गत सीजन में कितना गन्ना पेरा और कितनी चीनी पैदा की और किस दर से गन्ने का दाम दिया ? उनमें से प्रत्येक की क्षमता क्या थी और उन्होंने कब तक पेराई की ? जिन चीनी मिलों ने गन्ने का दाम घटा करके दिया उनसे पूरा दाम दिलाने का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

गोंडा, बस्ती व देवरिया की चीनी मिलों ने वर्ष १९६८-६९ में २६४.६८ लाख कुन्तल गन्ना पेरा व २५.२३ लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया । प्रत्येक चीनी मिल की पेराई क्षमता, पेराई बन्द करने की तिथि व गन्ना क्रय की दरें संलग्न तालिका में दर्शित हैं । प्रत्येक मिल ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य दर या उस से अधिक पर गन्ना क्रय किया ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०३-४०५ पर)

सचिवालय में हिन्दी

*३५--श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या लखनऊ के हिन्दी दैनिक दिनांक १९ जुलाई, १९६९ के पृष्ठ तीन पर सचिवालय में 'अभी तक अंग्रेजी ही चालू' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर शासन का ध्यान गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां ।

*३६---श्री शिवकैलाश---

यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री उपर्युक्त विषय पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सचिवालय का लगभग सब काम हिन्दी में हो रहा है। सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि किसी कर्मचारी को हिन्दी में कार्य करने के कारण दण्ड भोगना पड़ा हो।

*३७-३८---श्री महरम सिंह ---

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३९---श्री शम्भू नाथ चौधरी---

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

थानाध्यक्ष, किच्छा का स्थानान्तरण स्थगित करना

*४०---श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)---

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला नैनीताल के वर्तमान थाना इंचार्ज, किच्छा के विरुद्ध स्थानीय जनता द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन ने इन थाना इंचार्ज का ट्रांसफर कर दिया था ? यदि हां, तो फिर यह ट्रान्सफर किन कारणों से स्थगित किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह सही है कि किच्छा के वर्तमान थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे परन्तु ऐसा किसी शिकायत के आधार पर नहीं किया गया था।

उनकी इस प्रार्थना पर कि उनकी पत्नी ब्लड कैन्सर से पीड़ित हैं और जिनका इलाज किच्छा में रह कर ही, जो बरेली से करीब है, सुचारु रूप से हो सकता है, उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया है।

प्रतापगढ़ जिले में बस सर्विस

*४१---श्री जैराम---

क्या परिवहन मन्त्री बता सकते हैं कि जिला प्रतापगढ़ में किन-किन सड़कों पर पूरे अथवा आंशिक रूप में प्राइवेट बसें तथा राजकीय बसें दोनों चलती हैं ? क्या यह सही है कि प्राइवेट बसों के कम्पटीशन के कारण राजकीय बसों की आमदनी निरन्तर गिर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*४२---श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

[१वें बुधवार के लिये प्र० सं० ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

गाजियाबाद थाने के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

*४३---श्री प्यारेलाल---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १३ मई, १९६९ को गाजियाबाद थाने के खाली रोजनामचे की फ़ोटू स्टेट कापी के साथ प्रश्नकर्ता ने एस० एस० पी०, मेरठ को शिकायत की थी ? यदि हां, तो उक्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्नकर्ता ने १३-५-१९६९ को थाना गाजियाबाद ,जिला मेरठ के ८-१२-१९६८ के रोजनामचे के तीन पृष्ठों की फ़ोटू स्टेट प्रतियां ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को दीं। इस सम्बन्ध में श्री प्यारेलाल विधायक का एक शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ।

इस मामले में मेरठ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांच कर रहे हैं। ८ अगस्त, १९६९ को प्राप्त सूचना के अनुसार जनरल डायरी के मूल पृष्ठ प्रश्नकर्ता द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी है।

*४४-४५—श्री रियासत हुसेन—

[५व शुक्रवार के प्रश्न सं० ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

*४६—श्री रामलाल राही—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ की इमारत

*४७—श्री मैनेजर सिंह—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह निश्चित रूप से बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ से कब तक पूर्ण-रूपेण सूचना भवन के नये भवन में चला जायेगा ?

श्री कृष्णानन्द राय—

चूंकि अब यह निश्चय किया गया है कि सूचना भवन में सूचना विभाग ही बना रहेगा और सिविल अस्पताल के लिये नये भवन का निर्माण कराया जाय, अतः अब पूरे सिविल अस्पताल को सूचना भवन में ले जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

विधि परामर्शी न्याय सचिव

*४८—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या यह सही है कि २६ फ़रवरी को अपना कार्य-भार संभालने के तुरन्त बाद मुख्य मंत्री जी ने यह हुक्म दिया था कि विधि परामर्शी न्याय सचिव का तुरन्त तबादला किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

*४९—श्री वासुदेव सिंह—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में वेतन आयोग की सिफारिशें

*५०—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चुर्क सीमेंट फ़ैक्टरी, मिर्जापुर में सीमेंट वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

नक्सलवाड़ियों की गतिविधियां

*५१—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर) तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सूबे के किस-किस जिले में नक्सलवाड़ियों की कार्यवाहियां चल रही हैं और सरकार ने उनके खिलाफ़ क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

नक्सलवाड़ियों की गतिविधियां प्रदेश के तराई क्षेत्र के खीरी, पीलीभीत, नैनीताल, बहराइच, बस्ती एवं गोरखपुर में दृष्टिगोचर हुई हैं। इन जिलों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में भी नक्सलवाड़ी गतिविधियां दृष्टिगोचर हुई हैं, सहारनपुर, बरेली, देहरादून, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बांदा, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर एवं बलिया। उनकी गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रक्खी जा रही है। जहां सम्भव होगा वहां उचित कानूनी कार्यवाही की जायगी।

*५२—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश के तराई के जंगली इलाके में तथा बुन्देलखंड में जिला झांसी तथा बांदा के जंगलों में नक्सलवाड़ियों के ट्रेनिंग कैम्प्स लगे थे ? यदि हां, तो सरकार ने इन के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, १९६८ तथा फ़रवरी, १९६९ में उग्रपंथियों ने नैनीताल जिले के जंगलों में एक प्रशिक्षण शिविर चलाया जिसमें राइफ़ल आदि चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी सतर्क हैं। परन्तु बुन्देलखंड में जिला झांसी तथा बांदा के जंगलों में नक्सलवाड़ियों द्वारा ट्रेनिंग कैम्प्स लगाये जाने के विषय में कोई सूचना नहीं है।

परगनाधिकारी, तिलहर द्वारा आग्नेयास्त्रों की स्वीकृति

*५३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

द्वितीय सत्र १९६९ के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संबंध में मुख्य मन्त्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि २४७ प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय न होने के क्या कारण हैं और क्या इन प्रार्थना-पत्रों में ग्रा. सुरक्षा समिति (बी० डी० ए०) के अन्तर्गत आये हुये प्रार्थना-पत्र भी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

शेष प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय न होने का कारण परगनाधिकारी तिलहर द्वारा शीतकालीन भ्रमण, मध्यावधि निर्वाचन तथा वसूली से संबंधित कार्य का अधिक होना था। अनिर्णीत प्रार्थना-पत्रों में ग्राम सुरक्षा समिति के अन्तर्गत आए हुए प्रार्थना-पत्र भी थे।

अतिरिक्त सिविल सर्जन

*५४—श्री धर्म वीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश के जिन जिला अस्पतालों पर अतिरिक्त सिविल सर्जन की नियुक्तियों के आदेश शासन से जुलाई सन् १९६८ ई० से हुये थे, ऐसे अतिरिक्त सिविल सर्जनों को क्या-क्या अधिकार प्रदान किये गये ?

श्री कृष्ण नन्द राय—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४०६-४०७ पर)

श्री चन्द्रप्रकाश नारायण शुक्ला के मामले में कानपुर जिला एस० पी० द्वारा जांच

*५५—श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के अमर शहीद श्री सालिगराम शुक्ला के नाती श्री चन्द्र प्रकाश नारायण शुक्ला को थानाध्यक्ष सचेन्डी, जिला कानपुर द्वारा झूठी डकैती के अपराध में फंसाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक १४ अक्तूबर, १९६८ को विधिवत जांच के हेतु उप-पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर ने आदेश दिये थे? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की थी, उसके परिणाम क्या रहे? क्या सरकार उस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

थानाध्यक्ष, सचेन्डी, जिला कानपुर के विरुद्ध श्री चन्द्र प्रकाश नारायण शुक्ला को झूठी डकैती के अपराध में फंसाने के संबंध में एक आवेदन-पत्र पर उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर ने १४ अक्टूबर, १९६८ को जांच के आदेश दिये थ। जांच पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, कानपुर ने की थी। जांच से आरोप सही पाया गया। रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करना जनहित में नहीं होगा।

*५६—श्री जगदीश गांधी—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५७-५८—श्री रामदेव तथा श्री रामकिंकर—

[केन्द्र से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

खीरी जिले में थानों का पुनस्संगठन

*५९—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले में नये गठित पुलिस थानों का पुनः गठन किया जा रहा है? यदि हां, तो वह पुनर्गठन का कार्य शासन द्वारा खीरी जिले में कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

खीरी जिले में थानों को पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत सन् १९६६ में चार नये थाने खोले गये थे। योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये सभी नये थानों के सुचारुरूप से कार्य करने में जो कठिनाइयां सामने आयी हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से सम्बन्धित थाने के कार्यक्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करने के सामान्य प्रश्न पर विचार हो रहा है। इस विषय में निर्णय होने में कुछ समय लगने की संभावना है।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

*६०—श्री हरिवंश, श्री शिवराज सिंह तथा श्री ओमप्रकाश सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ७२ चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की योजना सरकार के विचाराधीन है और उसके कार्यान्वयन की घोषणा कब की जायेगी?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह विषय केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*६१-६२—श्री महीलाल—

[पुनरावृति के कारण निरस्त किये गये।]

एटा जिले में पुलिस सिपाहियों की भर्ती

*६३—श्री बदन सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में जुलाई, सन् १९६९ में पुलिस सिपाहियों की हुई भर्ती में कितने उम्मीदवार आये थे जिसमें परिगणित व पिछड़े वर्ग के कितने उम्मीदवार थे तथा कितने व्यक्ति कुल भर्ती किये गये जिसमें परिगणित व पिछड़े वर्ग के कितने लिये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जुलाई, १९६९ में पुलिस के सिपाहियों में भर्ती होने के लिये जिला एटा में कुल ३५१ उम्मीदवार आये थे जिनमें से १५ परिगणित जाति के तथा ९५ पिछड़े वर्ग के थे। उक्त उम्मीदवारों में से ५७ को तथा उनके अतिरिक्त तीन को जिला मैनपुरी में की गई भर्ती में से सम्मिलित करके जिला एटा में कुल ६० सिपाही भर्ती किये गये, जिनमें से ५८ अपने कार्य पर आ चुके हैं तथा २ अभी आना शेष हैं। इन ६० उम्मीदवारों में से २ परिगणित जाति के तथा २९ पिछड़े वर्ग के हैं।

श्री रामजीलाल शर्मा, थानाध्यक्ष, सिंहपुरा, के समय असलहा ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें

*६४—श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना सिंहपुरा, जिला एटा के थाना अध्यक्ष श्री रामजी लाल शर्मा के कार्य-काल में असलहा ऐक्ट, दफा २५ में कितने चालान हुये, कितने सजायाब, कितने छूट गये, कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगी व कितने विचाराधीन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

थानाध्यक्ष सिंहपुरा, जिला एटा के वर्तमान थानाध्यक्ष श्री रामजी लाल शर्मा के कार्यकाल में असलहा ऐक्ट की दफा २५ के अन्तर्गत ९९ मामले चालान हुये, जिनमें से १० सजायाब हुये, ३ छूटे तथा १६ न्यायालय के विचाराधीन हैं। तीन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी जिसमें से दो खारिज भी हुये।

ग्राम ठाठी, थाना सिढ़पुरा, जिला एटा में रुकमणी का कत्ल

*६५—श्री गंगा सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम ठाठी, थाना सिढ़पुरा, जिला एटा में रुकमणी नाम की लड़की के कत्ल के विवरण से सरकार सदन को सूचित करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक २१-३-६९ व २२-३-६९ को थाना सिढ़पुरा जिला एटा पर इस आशय के दो गुमनाम प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये कि शिवगंज एटा निवासी शादी लाल की पुत्री रुकमणी से राजपाल सिंह निवासी ग्राम पैगानी, थाना [illegible] का अनुचित संबंध था। राज्यपाल सिंह के साले अभिलाष सिंह, विजयपाल सिंह व [illegible] सिंह, निवासी ग्राम ठाठी उस लड़की को अपने घर ले गये और उसका कत्ल कर दिया। लड़की की लाश बगरी वाले बम्बे से निकाली गई और उसका सिर तीन दिन तक ठाठी के पुल के पास रास्ते के किनारे पड़ा रहा। यह सूचनायें प्राप्त होते ही जांच प्रारम्भ की गई।

दिनांक ६-४-६९ को गुलजारी चौकीदार ग्राम ठाठी ने थाने पर सूचना दी कि ग्राम लखनपुर के पास सत्य प्रकाश के बाग में एक मनुष्य की खोपड़ी पड़ी है। थानाध्यक्ष ने घटना-स्थल पर जाकर खोपड़ी का पंचायतनामा तैयार किया और उसे पोस्टमार्टम जांच के लिये भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खोपड़ी किसी स्त्री की पाई गई। इस संबंध में धारा ३०२ भा० द० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच जारी है।

उद्योग विभाग, मुरादाबाद के श्री राम औतार गुप्ता को वेतन न मिलना

*६६--श्री कल्यान सिंह--

क्या उद्योग मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार गुप्ता, भूतपूर्व उत्पादन लिपिक, राजकीय अलौहधातु योजना (उद्योग विभाग) मुरादाबाद का दिनांक १६ अप्रैल, १९६७ से दिनांक ३ दिसम्बर, १९६७ तक का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया है। जबकि उपरोक्त वेतन देने के आदेश, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (उत्तरी क्षेत्र), बरेली ने जिला उद्योग अधिकारी, मुरादाबाद को एक वर्ष पूर्व ही दे दिये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्री गुप्ता को कथित अवधि के वेतन का भुगतान न किये जा सकने के कारण यह है कि श्री गुप्ता के वेतन बिल पर पहले तो कोषाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गयीं और उसके बाद वेतन बिल जब महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रीआडिट के लिये भेजा गया तो उन्होंने उसे तीन बार आपत्तियां लगा कर लौटा दिया। आपत्तियां दूर करके बिल अब पुनः उनको प्रीआडिट के लिये भेजा गया है।

जौनपुर में कथित मुस्लिम-सेना-समारोह

*६७--श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २९ जून, १९६९ की रात के ९ बजे जौनपुर में मुस्लिम सेना की शाखा खोलने का समारोह हुआ है और उसके पैम्फलेट्स-पोस्टर बांटे गये ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस प्रकार के समारोह की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ जिले में श्री जयप्रकाश पर दफा ३५३ का मुकदमा

*६८--श्री तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १७ जून, १९६९ ई० को परगनाधिकारी, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ ने अपनी इजलास पर कमरे को बन्द कराके जय प्रकाश को पिटवाया और कोतवाली की हवालात में बन्द करा दिया, जिसके खिलाफ प्रतापगढ़ के एक वकील ने कार्यवाहक जिलाधीश प्रतापगढ़ को एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी नहीं। बल्कि सत्य यह है कि श्री जय प्रकाश ने परगनाधीश को उनके इजलास के बरामदे में गालियां दीं और उनके ऊपर इंट फेंका। इस पर उसे कोतवाली भेज दिया गया और उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा ३५३ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया।

यह सही है कि एक प्रार्थना-पत्र इंचार्ज, जिलाधीश प्रतापगढ़ को दिया गया था, पर चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन था अतः उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतारांकित प्रश्न

शीरा उत्पादन

१--श्री हरिवंश--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों में गत वर्ष (सन् १९६८-६९ वर्ष के सीजन में कुल कितना शीरा तैयार हुआ तथा उत्तर प्रदेश की डिस्टिलरियों

[श्री हरिवंश]

ने उसमें से कितना शीरा किस भाव से खरीदा तथा कितना शीरा दूसरे प्रान्त में किस भाव से बेचा गया ?

श्री शान्ति प्रसन्न शर्मा—

शीरा वर्ष की अवधि १ नवम्बर से ३१ अक्तूबर तक की होती है। वर्ष १९६८-६९ में जुलाई १५, १९६९ तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में कुल ५७,३०,७८८ कुन्तल शीरा तैयार हुआ तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, १९६४ की अनुसूची में निर्धारित निम्नलिखित भाव पर डिस्टिलरियों को ४३,१५,९९७ कुन्तल शीरा दिया गया।

श्रेणी	शीरे में शक्कर के कुल भार का प्रतिशत अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त	चढ़ाने तथा पार्श्वभार के व्यय सहित प्रति कुन्तल शीरे का अधिकतम मूल्य
१	२	३
प्रथम ..	५० प्रतिशत तथा उसके ऊपर ..	६७ पैसे
द्वितीय ..	४७ प्रतिशत से ४९.९९ प्रतिशत तक ..	५९ पैसे
तृतीय ..	४४ प्रतिशत से ४६.९९ प्रतिशत तक ..	५१ पैसे
चतुर्थ ..	४० प्रतिशत से ४३.९९ प्रतिशत तक ..	४३ पैसे

उक्त वर्ष में चीनी मिलों द्वारा तैयार किया गया शीरा किसी दूसरे प्रान्त को नहीं बेचा गया।

हरदोई जिले में बिना डाक्टर के अस्पताल

२—श्रीमती आशा सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कई अस्पताल बिना डाक्टरों के खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो कब तक उनमें डाक्टर भेजने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्री कृष्णानन्द राय—

हरदोई जिले में १२ (९ पुरुष तथा ३ महिला) अस्पतालों में इस समय डाक्टर नहीं हैं

इन अस्पतालों में शीघ्र डाक्टर तैनात करने का प्रयास किया जा रहा है।

३—श्रीमती आशा सिंह—

[७ वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

४—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत थाना अतरौली, इगलास तथा बरला में १ जनवरी, १९६८ से ३० जून, १९६९ तक पृथक-पृथक प्रतिवर्ष हत्याओं लूट और राहजनी तथा डकैतियों की कितनी वारदात की रिपोर्टें इन थानों में दर्ज करायी गयी।

५—क्या सरकार उपरोक्त मामलों में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही और परिणामों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४०८--४०९ पर)

सिविल सेक्रेटरियट एसोसिएशन के मन्त्री की बर्खास्तगी

६--श्री जगदीश गांधी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों से यू० पी० सिविल सेक्रेटरियेट एसोसियेशन के प्रमुख पदाधिकारियों के सचिवालय में प्रवेश करने पर रोक लगाकर तथा एसोसियेशन को सचिवालय के प्रांगण में अपनी सभायें करने की अनुमति न देने का कोई आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

एसोसियेशन के प्रमुख पदाधिकारियों के संबंध में इस प्रकार के कोई आदेश नहीं जारी किये गये हैं । केवल १९ अक्तूबर, १९६७ को इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि यदि कोई मान्यता प्राप्त सेवा संघ सचिवालय के प्रांगण में सभा करना चाहे तो सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति ले लेनी होगी ।

७--श्री जगदीश गांधी--

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष तक सेवा से निष्कासित रखने के बाद यू० पी० सिविल सेक्रेटरियेट एसोसियेशन के मंत्री को विगत मध्यावधि चुनाव से पूर्व निलम्बित घोषित किया गया और चुनाव हो जाने के दो दिन बाद ही सेवा से पुनःनिष्कासित कर दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो रही थी जिसके फलस्वरूप उनको २७-११-६७ को सेवा से विमुक्त (डिस्मिस) कर दिया गया था । इसकी उन्होंने एक अपील दायर की जिस पर २३-११-६८ को यह आदेश हुआ कि नियुक्ति पदाधिकारी उनके मामले पर फिर से नियमानुसार निर्णय लें और इस दौरान में संबंधित कर्मचारी को निलम्बित माना जाय । नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश दिनांक ११-२-६९ को हुये और उनको पुनः सेवा से विमुक्त (डिस्मिस) किया गया ।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटियां

८--श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके विभाग ने रीजन वाइज ट्रांसपोर्ट कमेटियां गठित की हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक रीजन की कमेटी के सदस्यों का नाम व पता क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हर रीजन में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी का गठन किया गया है, जो अर्ध न्यायिक संस्थायें होती हैं । इन में ५--५ सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन, जो डिवीजन का कमिश्नर होता है, एक सेक्रेटरी, जो रीजन का रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर होता है, तथा तीन गैर-सरकारी सदस्य । हर रीजन के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम व पते संलग्न सूची में दिये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४१०--४११ पर)

विकास क्षेत्र सकीट व सिरपुढ़ा में नसबन्दी

९—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र सकीट व सिरपुढ़ा, जिला एटा में जनवरी, सन १९६७ से मार्च, सन् १९६९ तक परिवार नियोजन में कितने आपरेशन किये गये जिनमें कितने विवाहित हैं और कितने अविवाहित हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस अवधि में विकास क्षेत्र सकीट व सिरपुढ़ा में क्रमशः २९४ एवं २८१ नसबन्दी आपरेशन किये गये। सकीट विकास क्षेत्र में जिन व्यक्तियों की नसबन्दी की गई उनमें तीन अविवाहित थे। सिरपुढ़ा विकास क्षेत्र में नसबन्दी किये जाने वाले व्यक्तियों में कोई अविवाहित नहीं था।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

प्रश्नावली नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या १ में मैंने जो प्रश्न किया था कि हमारे प्रदेश की राजभाषा हिन्दी हो चुकी है इस वजह से सरकारी आदेशों के बावजूद कि हिन्दी में काम हो जो अधिकारी ऐसे स्पष्ट आदेशों को अवहेलना कर रहे हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

मंत्री जी ने कहा कि जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है। मने स्पष्ट उत्तर चाहा था कि आदेश की अवहेलना के लिए वह क्या कार्यवाही करेंगे। इसका उत्तर श्रीमान् जी ने नहीं दिलाया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर स्पष्ट ही है कि जो अवहेलना करेगा आदेश की उसको दण्ड होता है। यह कोई प्रश्न नहीं है। अब अगर आपको असन्तोष है, तो आप प्रश्नों के बारे में, प्रश्नावली मेरे पास भेज दीजिये, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसका लिख कर उत्तर दे दें। दूसरा तरीका यह है कि ४९ में प्रश्न के उठाने की अनुमति मांगें।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर विवाद के लिये समय निर्धारण पर विचार

श्री अध्यक्ष—

मैं सूचना देना चाहता हूं। बहुत से प्रश्न बाढ़ के सम्बन्ध में आ रहे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे खिलाफ व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

मैं एक सूचना दे रहा हूं। बाढ़ के सम्बन्ध में प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि पानी प्रदेश में बड़े जोर का बरसा अबकी दफा। शायद इलाहाबाद में बन्ध टूटने का भी प्रश्न है। माननीय राजस्व मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। मैं उनसे दरियाफ्त करना चाहता था, माननीय मुख्य मंत्री मौजूद हैं, वह जवाब दे सकते हैं। मैंने २९ तारीख रखा है बाढ़ पर वक्तव्य देने की। लेकिन २९ तारीख को अभी आठ रोज बाकी हैं, बरसात होती चली जा रही है, बहुत-सी जगह बांध टूटने फटने के प्रश्न आ रहे हैं। क्या सम्भव हो सकता है कि राजस्व मंत्री जी इसके बीच में जो आज-कल की परिस्थिति हो रही है बाढ़ की वजह से टूटफूट हो रही है उसके बारे में वक्तव्य दे देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

राजस्व मंत्री जी से बात करके मैं सायंकाल तक बता दूंगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी--(क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय त्रिपाठी जी और हिम्मत सिंह के नाम से बटलर पैलेस की घटना के सम्बन्ध में प्रश्न था। इस पर हमारे दल के श्री मंजूर अहमद ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था और जहां तक मेरी जानकारी है वह प्रश्न मंजूर हो चुका है और शायद उस पर यह भी आदेश हो गये हैं कि इस प्रश्न को माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और हिम्मत सिंह के नाम के साथ जोड़ दिया जाय। नाम नहीं जोड़ा गया और प्रश्न आज वापस हो गया। तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि आप आदेश दें कि श्री मंजूर अहमद का प्रश्न कल लगा दिया जाय। उन्होंने वापस नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष--

यह मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो था नहीं। यहां मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं देखूंगा कि उसके साथ जुड़ा है या नहीं और जोड़ने की कोई प्रार्थना की या नहीं। तब मैं इसके ऊपर फैसला दे सकूंगा। अभी नहीं दे सकता हूं।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

मैंने कल आपको एक प्रार्थना-पत्र दिया था, इस सम्बन्ध में कि मेरे कुछ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न थे जो अभी तक नहीं आये। आपने उसी प्रार्थना-पत्र पर कहा था कि विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कहा था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की डिटेल दे दें, तो मंत्री जी से कहूंगा।

श्री शिवकुमार--

मैंने लिख कर दिया कल।

श्री अध्यक्ष--

मैं दफ्तर में पूछूंगा। मेरे पास नहीं आया अभी।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि जिस समय प्रश्नकाल होता है, इस पक्ष से हम लोग भी अनेक बार खड़े होते हैं लेकिन आपकी दृष्टि हम लोगों की ओर नहीं पड़ती है। हम लोग किस प्रकार से आपकी दृष्टि को आकर्षित करें?

श्री अध्यक्ष--

आप आकर्षित कर तो रहे हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मैंने दो प्रश्न भेजे थे। जो प्रश्न आपके यहां भेजे जाते हैं उनका भाव ही बदल दिया जाता है। उनमें से एक प्रश्न यह था.....

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कमरे में आ जाइये। वहां मुझे बता दीजिये। यहां मेरे सामने वह प्रश्न नहीं है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आज मैं ३ बार उठा लेकिन आपने आज भी मुझे प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया। उसके विरोध में मैं १० मिनट के लिये सदन से वाकआउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं नहीं, ऐसा न कीजिये। कृपा करके बैठ जाइये।

(श्री कन्हैयालाल सोनकर सदन त्याग कर चले गये।)

जिलाधीश, कानपुर द्वारा सच्ची रामायण की प्रतियों की जब्ती के सम्बन्ध में वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

"सच्ची रामायण" पुस्तक पैरियर ई० वी० रामास्वामी नायकर द्वारा तमिल में लिखित तथा उन्हीं के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक "दि रामायन एट्र रीडिंग" का हिन्दी अनुवाद है। हिन्दी अनुवाद सन् १९६८ में श्री रामअधार निवासी दलेलनगर, पुखरायां, कानपुर ने किया। यह पुस्तक श्री ललई सिंह यादव, अशोक पुस्तकालय, झींझक, कानपुर द्वारा प्रकाशित की गई और श्री हुब्बलाल आजाद, आदर्श प्रिंटिंग प्रेस, झींझक, कानपुर द्वारा मुद्रित की गई है।

अल्प संख्यक तथा पिछड़ी जातियों के अक्तूबर, १९६८ में लखनऊ में हुए सम्मेलन में "सच्ची रामायण" पुस्तक की प्रतियां बेची गईं। इन्टैलिजेंस विभाग ने कानपुर पुलिस को इस किताब की एक प्रति भेजकर उनसे इस बात की जांच करने को कहा कि क्या कोई कानूनी कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जा सकती है। वहां यह कानूनी राय दी गई कि प्रकाशन धारा १५३ ए/२९५ ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आता है। इस पर मैजिस्ट्रेट के आदेश लेकर एक मामला धारा १५३ए/२९५ए के अन्तर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किया गया और इस पर अभी तफतीश जारी है। इसी तफतीश के दौरान पुस्तक की ३७ प्रतियां इस पुस्तक के प्रकाशक, श्री ललई सिंह यादव के परिसर (प्रीमिसेज) से बरामद की गई जो सुरक्षित रखी हैं। कोई प्रति न तो जलाई गई है और न नष्ट की गई है।

यह पुस्तक शासन की नोटिस में भी लाई गई है और जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर ने बताया कि इस प्रकाशन से कुछ समुदायों में रोष व्याप्त है। शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इस पुस्तक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ९९ ए के अन्तर्गत अभिनिषिद्ध किया जा सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री जायसवाल के खड़े होने पर) इसको तो मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था। इस पर इस समय प्रश्न नहीं होंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यह तो नियम ५१ के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम ५१ में नहीं है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था। इसके ऊपर अगर आगे कोई कार्यवाही करना है तो इसको लिख कर भेज दीजिये। मैंने इसको नियम ५१ में स्वीकार नहीं किया था।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य बिलकुल अधूरा है। इससे मेरी मंशा पूरी नहीं हुई। आप कृपा करके इस पर मुझे २–१ प्रश्न करने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ४९ या ५१ में दें, तो उस पर हो जाएगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मंत्रीजी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है वह बिल्कुल अधूरी है.....

श्री अध्यक्ष—

जो है, वह है। अब आप बैठें।

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

(श्री कमलापति त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपसे (त्रिपाठी) प्रार्थना करना चाहता हूं, आप रुष्ट न हों कि आपके भाषण में विघ्न हो रहा है। आप अपने भाषण में दो तीन बातें रखेंगे। एक-दो बातें नीति की रखेंगे और कुछ बातें खर्च की रखेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर प्रकाश अवश्य डाल कि जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, जिन अफसरों के खिलाफ केस पेंडिंग हैं, वे कौन-कौन अफसर हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हो रही है?

उपमुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य क अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १६, ८८, ८६,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,८६,४६,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,८५,८१,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,६२,७४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, अभी हमारे आदरणीय मित्र त्रिपाठी जी ने कोई बात बताई और कहा कि उसके सम्बन्ध में भी आप विचार रखियेगा। मैं आपसे बताऊं जब मैं अभी अपने दफ्तर से यहां

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पर आ रहा था तो मुझे इस ओर और उस ओर के साथी सदस्यों में सम्बन्धित सदस्य मिले और रास्ते में उन्होंने रोका और यह कहा कि आप शुरू में अपने आज लम्बे व्याख्यान न कीजिएगा और हमें थोड़ी सूचना दीजिएगा और समय दीजिएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को कहना बहुत है, सिंचाई का बहुत महत्व है उत्तर प्रदेश में और हर जिले व क्षेत्र की मांग है और उनकी समस्यायें भी बहुत हैं। इसलिए आप थोड़ा ही समय लीजिएगा और उत्तर देते समय ज्यादा समय ले लीजिएगा। तो मैं नम्रतापूर्वक त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा संक्षेप में और फिर आज का समय है और कल का भी समय है, लोगों को समय मिलेगा। कल यदि समय प्राप्त हुआ और आप लोगों की उदारता का लाभ मिला तो मुझे जो कुछ कहना होगा, कह दूंगा।

आज तो थोड़ी बातों का निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आप जानते हैं हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है, यहां और कोई खास उद्योग धंधे नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद हमारी गांवों में रहती है, करीब-करीब ८० फीसदी और ८२ फीसदी हमारे किसानों की जीविका का साधन खेती ही है। बहुत हम लोगों ने शोरगुल किया, औद्योगीकरण हुआ उत्तर प्रदेश का, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, पर कोई उसका विस्तार नहीं हो सका कि उससे हमारी आर्थिक स्थिति को कुछ अधिक लाभ पहुंच सके और हम उसका अधिक उपयोग कर सकें।

जहां खेती क साधन है वहां निश्चित रूप से जल की आवश्यकता होती है। हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधनों की मांग इसी कारण बराबर बढ़ती जा रही है। मान्यवर, हम सबको मालूम है कि तीन योजनायें हमारी बीत चुकी हैं और इन तीन योजनाओं में अरबों रुपया खर्च किया गया सिंचाई के साधनों के विस्तार के लिये और यह सब करने-धरने के बाद भी आज अन्दाजा यह लगता है कि २३–२४ फीसदी से अधिक हमारी सरकार द्वारा सिंचाई के साधन हमारी जनता को उपलब्ध नहीं हो सके। आज तीसरी योजना के अन्त में भी ऐसा समझा जाता है कि करीब-करीब एक करोड़ चौंतीस लाख एकड़ में सरकारी सिंचाई के साधन हैं और एक आध करोड़ एकड़ ऐसा होगा, यह अन्दाजा किया जाता है, जहां लोगों के निजी सिंचाई के साधन हैं।

अब आप सोचें जैसी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना बनी है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि सन् ६८–६९ में और जो सन १९६९–७० हमारा आज का वर्ष चल रहा है इसमें, अगर हमारी योजना पूरी हुई तो करीब-करीब पांच लाख एकड़ और बढ़ जायगा और अन्दाज ऐसा है कि पूरी पांच साला योजना पूरी होने तक हम आप आशा कर सकते हैं कि हमें साधन भी मिल जायें और सम्भार भी मिल जाय और जो योजना बनी है उसको हम सम्पन्न कर लेंगे तो करीब-करीब ४५–५० लाख एकड़ बढ़ जायगा। यह सब होते हुये भी तब कोई ३३–३४ परसेंट सिंचाई हो पायेगी। ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधनों की मांग मैं समझता हूं पूरीतौर से स्वाभाविक है।

अब प्रयास हो रहा है कि चौथी पंचसाला योजना में सिंचाई पर और बिजली पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और जो ९५०–५१ करोड़ की योजना है उसमें बहुत बड़ी तादाद, आपकी धनराशि की बहुत बड़ी संख्या सिंचाई के लिये और बिजली के लिये रखी गई है। जैसा कि आपने योजना को देखा होगा और सारा बजट का साहित्य जो छप कर बंटा है, उसमें देखा होगा कि चौथी योजनाकाल में हमारा १३० करोड़ रुपया सिंचाई पर रखा गया है और बिजली पर ३७५ करोड़ के करीब रखा गया है। इस प्रकार करीब-करीब आधे से अधिक ५५–६० फीसदी योजनाकाल की सम्पत्ति आपकी सिंचाई और बिजली के लिये रखी गई है। इस वर्ष १९६९–७० के वर्ष के बजट में १२४ करोड़ रुपया सिंचाई के लिये रखा गया है और एक करोड़ तीन लाख बाढ़ के सम्बन्ध में रखा गया है क्योंकि बाढ़ की समस्या भी बहुत होती है।

बिजली का बजट आपके यहां नहीं आता है क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मामला है। बिजली के लिये हमारे यहां जो धनराशि रखी गई है वह करीब-करीब ६८ करोड़ रुपया रखा

गया है। इस प्रकार वर्ष १९६९–७० में जो योजनायें चल रही हैं उनसे करीब-करीब पांच लाख एकड़ में सिंचाई के साधन और बढ़ जायेंगे। यह बात सही है कि जो धनराशि रखी गई है वह विशेष करके उन योजनाओं पर रखी गई है जो पहले से चल रही हैं।

इस प्रकार से हमारा पैसा कुछ बढ़ भी गया है और नयी योजनाओं के लिये हमारी सीमायें बंध गयी हैं। रामगंगा और गंडक की योजनायें हाथों में ले ली गयी हैं, चल रही हैं और शारदा सहायक योजना चल रही है। रामगंगा योजना पर ९५ करोड़ खर्चा होगा। आशा की जाती है कि योजनाकाल में ७२–७३ तक उसे पूरा कर दिया जायगा।

इसी प्रकार गंडक की योजना है जो हमारी और बिहार की मिली हुई योजना है। गंडक पर बैराज बना है और उसका पानी गोरखपुर और देवरिया के रास्ते ले जाकर बिहार तक जा रहा है। तो हमारी और उनकी यह मिली-जुली योजना है। उत्तर प्रदेश में जो हम काम करना चाहते हैं उसके द्वारा अनुमान किया जाता है कि गोरखपुर और देवरिया के जिलों के ७ लाख एकड़ में सिंचाई होगी। जितने काम हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उसकी लागत करीब-करीब ४६ करोड़ से अधिक होगी।

इसी प्रकार शारदा सहायक योजना है। यह एक नयी योजना लागू की गयी है। अब इसका एक प्राविधान किया गया है और इसमें पैसा रखा गया है। इस कार्य को हमने प्रारम्भ कर दिया है। यह वह इलाका है जो इससे लाभान्वित होगा, जोमध्य उत्तर प्रदेश का जाता है। इस इलाके में जो शारदा नहर का है और शारदा नहर बहुत लम्बी है काफी दूर तक वह सिंचाई करेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह वही योजना है जिस पर ४ करोड़ रुपया व्यय होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप शायद शारदा सागर की बात कह रहे हैं लेकिन यह शारदा सहायक योजना है। बहराइच जिले में कतरनियाघाट पर एक बैराज हम बनावेंगे। सरजू के पानी को हमने अभी तक स्पर्श नहीं किया है। जल सरजू में बहुत है। सिवाय इसके कि आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट पर ५ या ६ सौ क्यूजेक्स फीट का एक पम्प कैनाल है। उसके जरिये से हमने पानी को उठाया है। उसके अलावा हमने अब तक सरजू के पानी को स्पर्श नहीं किया है जब कि घाघरा के पानी में गंगा के पानी से अधिक क्षमता जाड़े और गरमी में भी है। जाड़े में जब गंगा की क्षमता ७ या ८ हजार क्यूसेक्स है तब हमें १४ या १५ हजार क्यूसेक्स पानी घाघरा से मिल जाता है।

इतनी बड़ी नदी को हम उपयोग में नहीं ला सके इसलिये अब यह शारदा सहायक योजना बनाई गयी है। इससे बहराइच जिले में कतरनियाघाट के पास हम एक बैराज बनायेंगे और वहां से जल ले जाने के लिये प्रणाली बना कर, फीडर चैनेल्स बना कर, हम शारदा नहर में डाल देंगे। तो उससे सारी एरिया में शारदा कैनाल की जिसमें शारदा से सिंचाई होती है और पानी जहां नहीं मिलता था और रोज यहां पर प्रश्न होता है कि उनके यहां पानी नहीं पहुंचा, बहुत लम्बी नहर हो गयी। इससे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जौनपुर, बनारस तमाम स्थानों को बनबसा से निकल कर चली गयी है। बीच में सबने खेती होने लग गयी, वह काफी पानी मांगती है, खेती का एरिया भी बढ़ा है तो वह पानी कर पाते हैं। इस योजना पर सौ करोड़ या ९९ करोड़ रुपया के करीब खर्च होगा, काफी समय लगेगा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और इस योजना में यह पूरा नहीं होगा लेकिन काम हमने तेजी से शुरू कर दिया है। यह शुद्ध सिचाई की योजना है जिससे २९ या ३० लाख एकड़ जमीन की सिचाई होगी। सघन खेती के लिये और विस्तृत खेती के लि भी यह बहुत सहायक होगी। बहुत बड़ी योजना है।

रामगंगा योजना काफी समय पहले आरम्भ हो चुकी है। वर्ष प्रतिवर्ष उसके बजट हमारे सामने आते रहे हैं। सन् १९६२ में वह स्वीकार की गयी, सन १९६४ से शुरू हुई, चल रही है, यह एक बहुद्देशीय योजना है, इससे बिजली भी मिलेगी, बाढ़ से संरक्षण भी होता है और सिचाई भी होती है। १९८ मेगावाट बिजली उससे पैदा होगी। एक बिजली का पावर हाउस भी नीचे बनेगा। जो पानी राम गंगा जलाशय से उठाया जायगा वह गढ़मुक्तेश्वर में गिराया जायगा। गढ़मुक्तेश्वर में एक बैराज बनाकर वहां से पानी नरौरा में लाया जायगा जहां पर लोअर गंगा कैनाल से पानी मिलता है। वहां पर उस पानी से सिचाई की जायगी। अपर गंगा कैनाल से जो पानी नीचे के लिये लेते हैं वह पानी बचेगा। वह पानी बचेगा तो उस पानी से उस इलाके को लाभ होगा जहां पर पानी की जरूरत रहती है जैसे मांट ब्रान्च और आगरा ब्रांच है। इनको पानी की जरूरत रहती है उन इलाकों में सिचाई के लिये तो उनके लिये पानी मिल सकेगा। वह करीब ९५ करोड़ रुपये की योजना है। करीब-करीब १७, १८ लाख एकड़ में सिचाई की योजना है। इन सिचाई की योजनाओं से प्रदेश को बहुत लाभ होगा।

गंडक योजना भी एक डेढ़ साल में पूरी हो जायगी। कुछ और छोटी-मोटी योजनायें इस वर्ष पूरी हो जायंगी और कुछ अगले वर्ष पूरी हो जायंगी। रामगंगा के काम में आरम्भ में कुछ गडबड़ी हुई। वह धीमी चली। कई तरह की कठिनाई आई। प्राकृतिक कठिनाई भी आई। जो सुरंग बनाई जा रही थी उसकी रचना के बारे में तकनीकी और प्राकृतिक कठिनाई हुई। वह योजना ७२-७३ तक पूरी होने की आशा है। यह बड़ी योजना है। बहु उद्देशीय योजना उसको कहा जाता है। सर्वेक्षण का काम भी तेजी से करने की चेष्टा की जा रही है क्योंकि जब तक एक योजना का काम पूरा हो और दूसरी योजना को लेने के लिये हम अगर तैयार नहीं हैं तो न तो पैसा हम पाते हैं और न उन योजनाओं के लिये प्राविधान होता है और न उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। जैसे तेहरी की योजना है। मनई घाली की योजना है। ये बड़ी योजना होंगी। सर्वेक्षण हो रहा है। वहां से बिजली भी मिलेगी और सिचाई का काम भी चलेगा।

बहुत सी मध्यमीय योजना भी चालू हैं। हमीरपुर में एक छोटी योजना है। बांदा में एक छोटी योजना है जहां पर जलाशय से पानी निकाल रहे हैं। कुछ पहाड़ों की योजना हैं। इस तरह से छोटी योजनायें भी प्रदेश में चल रही हैं। कुछ विशेष योजनायें हैं जिनको पिछले साल से हाथ में लिया गया था। इस सरकार के बनने के पहले वह काम हाथ में लिया हुआ है। अब उनको सफलता भी दिखाई दे रही है।

डलमऊ सिचाई की योजना है जहां पर पानी को नीचे से उठाया गया है। इसको लिफ्ट स्कीम कहते हैं। हमको यह जल तीन तरह से मिलता है। एक तो भगवान जल दे। बरसात अच्छी हो। जैसे कि आज कल हो रहा है। दूसरे जल की पूर्ति नलकूपों से हो सकती है या कुओं से जल उठाकर सिचाई करते हैं। तीसरी तरह यह है कि जो नदियों में जल बह रहा है उसको बांध बना कर रोका जाय और प्रयोग में लाया जाय।

बैराज या बांध का बनाना भी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। जहां पर बांध या बैराज बन सकता है वह वहीं पर बन सकता है। दूसरी जगह या हर जगह बांध और बैराज नहीं बन सकते हैं। उससे तत्काल लाभ हो जाता है। इस तरह से जल मिलने पर उनका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। जब पानी भी लाखों क्यूसेक्स बढ़ता चला जाता है तो जमीन के लिये सिचाई की मांग भी बढ़ती है तो उसका उपयोग भी अधिक से अधिक करना चाहिये। अगर जल उपलब्ध है तो हम नदियों से भी पानी लेकर भूमि को सिचाई करना चाहते

हैं। इसको इस लिये लिफ्ट स्कीम कहते हैं। नदियों से, तालाबों से पानी उठाकर सिंचाई का काम किया जा रहा है। १५, २० क्यूसेक्स पानी भी उठाया गया है और ५००, ४०० क्यूसेक्स पानी भी उठा कर सिंचाई के लिये दिया गया है जैसे डलमऊ योजना है। वहां पर पानी गंगा से उठाया गया है।

जमनिया योजना है। भूपाली की योजना है जहां पर गंगा से पानी उठाकर सिंचाई के लिये दिया है। वहां पर नीचे से पानी लिया गया है। बैराज बना लिया है ताकि मोबाइल में पानी और कहीं दूसरी जगह से ले जाना हो तो हम ले जा सकते हैं। इस तरह से तीन जगह पर योजनायें चल रही हैं।

बजट साहित्य में आप देखेंगे कि ८०–८२ ऐसी योजनायें विभिन्न जिलों में ली जा चुकी हैं जिनमें से कुछ पर कार्य आरम्भ हो चुका है और कुछ पर काम आरम्भ होगा बरसात बीतने के बाद। इसके लिये करीब १ लाख ८० हजार का धन मिला है और आगे इसके लिये और भी अधिक धन मिलने की आशा की जाती है। कुछ योजनायें बढ़ायी गयी हैं, लेकिन इन योजनाओं के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। इन सर्वेक्षण और अनुसंधान के जितने हमारे केन्द्र हैं उन्हें सुसंगठित करने और उनकी कार्यक्षमता को बनाने की चेष्टा की जाती है।

ट्यूबवेल्स की जो हमारी योजना है, हमें खेद है कि इस बार जितने ट्यूबवेल्स की आवश्यकता हमारे प्रदेश को है, उतने का प्राविधान हमारी इस योजना में नहीं किया गया है। अभी तक हमारे पास केवल १,२०० नलकूपों की ही योजना है। अगर पहाड़ी इलाके को छोड़ दें जहां की जमीन पथरीली होती है और वहां ट्यूबवेल्स नहीं बन सकते, फिर भी हमारे प्रदेश के ४५–५० जिले ऐसे हैं जहां मैदानी इलाके हैं और जहां करोड़ों एकड़ जमीन में खेती होती है, वहां ट्यूबवेल्स बनने चाहिये। अब अगर १,२०० ट्यूबवेल्स को ४०–५० जिलों में बांटते हैं तो उसका क्या औसत आता है? २५–३० से ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। चेष्टा हमने की थी कि हमारे यहां के लिये ३,४००–३,६०० ट्यूबवेल्स कर दिये जायं लेकिन करते-करते उसे १,२०० ट्यूबवेल्स ही रह गये इस योजना काल में १९६९–७० में ४१२ ट्यूबवेल्स का प्राविधान है। उनके स्थानों का चयन अभी तक नहीं हुआ है।

ट्यूबवेल्स के मामले में हम ऐसा समझते हैं कि इसकी नीति में कुछ परिवर्तन होने की आवश्यकता है। अब तक यह इरादा रहा है कि नलकूप जो हों—जैसा कि उस रोज माननीय भानु प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में खाद्य समस्या का समाधान तब तक कभी भी नहीं हो सकेगा, जब तक आप केवल इस चक्कर में रहेंगे कि हम इंटेंसिव कल्टिवेशन करें और तमाम दूसरे इलाके को उपेक्षा की दृष्टि से चलने दें। उन्होंने कुछ रिपोर्ट भी पढ़ कर सुनायी और मैं सहमत हूं उनकी इस राय से कि जहां सघन खेती हो सकती हो, वहां उसकी पूरी व्यवस्था की जाय किन्तु जहां सघन खेती न हो सकती हो वहां सिंचाई के साधनों का विस्तार करना चाहिये ताकि वह एरिया कुछ समुन्नत हो सके। वर्ना इस तरह से क्षेत्रीय विषमता पैदा हो जायेगी और इस तरह की क्षेत्रीय विषमता जो होती है वह भयावनी है लोकतंत्र के युग में और किसी भी युग में।

साथ ही साथ आप सोचें कि उत्पादन की भी एक सीमा होती है। हमारी शिकायत यह है कि केवल अच्छे इलाकों में ही सघन फसल हो और सघन खेती के लिये सिंचाई के साधन बढ़ावें तथा बाकी इलाके छूटे रहें तो उससे कदाचित् यह समस्या हल नहीं होगी। ऐसे लाकों में अच्छी खेती हो और वहां उत्पादन बढ़े इसके लिये सिंचाई के साधन दिये जायं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जहां-जहां सिंचाई के साधन हैं वे भी बहुत कम हैं। कहीं नहर की टेल पर पानी नहीं है, तो कहीं ट्यूबवेल्स एक-एक मील की दूरी पर लगे हुए हैं और बीच का एरिया बिलकुल खाली रह गया है, तो उन क्षेत्रों को भर सकें इसके लिये कोशिश है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स हों। साथ ही साथ उस इलाके में जहां कि वे बने हुये हैं वहां कुछ और लगाये जायं उससे लोगों को लाभ भी होगा क्योंकि नये ट्यूबवेल सरकार बनाती है तो बिजली की लाइन वहां तक चली जाती है और बिजली की लाइन चले जाने से किसी भी इलाके का विकास आरम्भ हो जाता है और ऐसा लगता है कि बिजली की लाइन के पीछे-पीछे विकास की गति चलती है। अगर बिजली की लाइन चली जाती है तो लोग लाइन लेने लगते हैं और अपने पम्प व ट्यूबवेल्स भी लगाते हैं।

मेरे पास सूचना है कि इस वर्ष में तीन-चार महीने के अन्दर करीब ५० हजार दरख्वास्तें ऐसी हैं जो सरकार के पास आयी हैं। जब से यह सरकार ४ महीने से बनी है लोग बिजली की मांग कर रहे हैं। पंप लगा दिये गये हैं। ट्यूबवेल लगा दिये गये हैं। कितने ही ऐसे इलाके हैं जहां बोरिंग हो चुकी है, इंजिन फिट कर रखा है पर बिजली नहीं मिल रही है क्योंकि वहां साधनों की कमी है, कहीं लाइन दूर तक ले जानी पड़ेगी तो खर्चा नहीं निकलेगा। अगर बिजली की लाइन चली गयी तो मेरा खयाल है कि लोग अपने निजी साधनों से बहुत कुछ सिंचाई की व्यवस्था कर लेंगे, उन्नति कर लेंगे, खेती का विकास कर लें और सरकार के ऊपर बोझा कम होगा। लाइन कैसे चले? बिना किसी उपयोग के मीलों तक लाइन खींची जाय तो धन का अपव्यय होगा। अगर ट्यूबवेल चलें, लिफ्ट की कैनाल चलें और लाइन जा सके तो गांव का विद्युतीकरण भी होता चलेगा और सरकारी ट्यूबवेल को तो बिजली मिलेगी ही। तो ट्यूबवेलों के लिए हमें मांग करनी है। हम आशा करते हैं और हमने चेष्टा भी की है भारत सरकार से कुछ धन उपलब्ध हो जाय तो हम इसकी संख्या भी बढ़ा कर सकें और ट्यूबवेल के साथ-साथ हम अपनी लाइन को भी खींच सकें जिससे बहुत से लोग अपने पैरों पर खड़े होकर सिंचाई के साधन जिसकी ख्वाहिश पैदा हो गयी है वह पूरे कर सकें।

बिजली देने की एक जमा योजना चला दी है। नेता विरोधी दल ने कहा था कि जमा योजना को जारी रखा, यह अच्छी बात की है। कम्युनिटी डिपाजिट में अगर लोग पैसा जमा कर दें तो तुरन्त उन को बिजली मिल जाय। जोकि पुरानी स्कीम है वह पैसा उन्हें मय सूद के वापस होता है। लेकिन तत्काल काम चलाने के लिये विद्युत परिषद् को वह पैसा मिल जाता है तो उन्हें प्राथमिकता मिलती है। उसके लिए काफी दरख्वास्तें आ रही हैं। पश्चिम की तो काफी आती हैं, पूरब के इलाकों में और बुन्देलखंड की तरफ से जरा कम चल रहा है।

अब एक नयी कमर्शियल योजना भी चली है। ऐसा है कि जब से यह बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है तब से बैंक हमें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रुपया कर्ज पर देने को तैयार है। ६ परसेंट सूद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लेता है, बैंक ८ परसेंट मांगते हैं। तो अब अगर कोई ५०० रुपया जमा कर दे तो हम उसे बिजली दे देंगे और अगर यह तय हो गया बैंकों से तो हमें पैसा मिल जायगा और हम बिजली की योजनाओं का प्रसार कर सकेंगे, लाइनों को दूर तक ले जा सकेंगे।

गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह इरादा हुआ है कि ५ हजार गांवों को सन् ७० के दो अक्तूबर तक विद्युतीकरण कर देंगे। ऐसे कुल २,००० गांव रखे गये थे कि योजना काल में २ हजार या २,१०० का विद्युतीकरण हो। गांधी जी की शताब्दी मना रहे हैं तो यह इरादा हुआ कि जो नैनीताल में कान्फ्रेंस हुई थी सारे सिंचाई मंत्रियों की कि एक लाख गांवों में बिजली पहुंचाने की चेष्टा करेंगे भारतवर्ष के, और ५००० उत्तर प्रदेश के मंजूर हुए। वह अलावा होगा उन दो हजार या २१०० गांवों के। तो बैंकों से पैसा मिल गया तो इस प्रकार बिजली का विस्तार हो सकेगा। कुछ सुविधाएं किसानों को दी गयीं और कई बातों पर हम अभी विचार कर रहे हैं।

थोड़ी-सी सुविधायें दी गई जैसे १० हार्स पावर तक चार फर्लांग आपको बिजली की लाइन निःशुल्क मिलेगी। पांच हार्स पावर है तो दो फर्लांग, साढ़े सात हार्स पावर है तो तीन फर्लांग और ढाई हार्स पावर है तो १ फर्लांग तक और १० हार्स पावर या उससे अधिक के लिए चार फर्लांग तक लाइन आपको मिल जायगी। यह बात जरूर है कि जो जमा योजना में रुपया जमा कर देता है उस को प्रायरिटी मिल जाती है। वैसे नम्बरवार ही चलता है। एक सुविधा और दी गई है अपने किसानों को, और मैं समझता हूं कि यह बड़ी सुविधा है। दस हार्स पावर की जो बिजली अपने ट्यूबवेल के लिए लेते थे उनकी बिजली खाली रहती थी और हमारा मिनिमम १००, ११० रु० होता था। उनके लिए यह सुविधा दे दी गई है कि वह उस बिजली का उपयोग अन्य कामों में कर सकते हैं। दूसरे कामों के लिये उनको अलग से ऐग्रीमेन्ट की जरूरत नहीं होगी। अगर वह चाहें तो आटे की चक्की या धान कूटने की चक्की या अन्य किसी उद्योग में उस बिजली का वह उपयोग कर सकते हैं। पहले यह सुविधा प्राप्त नहीं थी।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

पावर कोल्हू के लिये भी इजाजत होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अगर वह अपना पावर क्शर १० हार्स पावर में चला सकते हैं और उसके पास लाइसेन्स हैं तो चलावें।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

वह जो चीजें आपने बताई उनको बिना परमिशन चला सकते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कोई नया ऐग्रीमेन्ट करने की जरूरत नहीं होगी और अगर कहीं दिक्कत महसूस हो तो कृपया मुझे सूचित करें ताकि अगर कोई भ्रान्ति हो तो उसे दूर किया जाय।

माननीय उद्योग मन्त्री जी कह रहे हैं कि रेट भी कुछ कम हो जायगा जो उद्योग वगैरह में छूट मिलती है वह मिल जायगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बरेली)--

ट्रांसफार्मर दूसरा जो लगाते हैं उसकी कीमत ली जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप नेता विरोधी दल से इजाजत दिलवा दीजिए कि चोरी होती रहे और हम ट्रांसफार्मर्स मुफ्त लगवाते रहें।

श्री दीप नारायणमणि (जिला देवरिया)--

गन्ना पेरने के लिये लाइसेन्स की जरूरत नहीं होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अगर कानूनन पावर क्शर लगाने के लिए लाइसेन्स की जरूरत है तो उसको उद्योग विभाग से ले लें। बिजली का उपयोग आप कर सकते हैं उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार अगर बिजली ले ली है किसान ने ट्यूबवेल पर दस हार्स पावर तो लाइसेन्सदार उससे पावर क्शर या चक्की चलाना चाहें तो चला सकता है। उसका उपयोग कर सकता है। मिनीमम हमको देता है तो फिर उसको क्यों रोका जाय?

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस प्रकार एक बड़ा भारी प्रश्न था और बार-बार उठा कि सरकारी ट्यूबवेल से ६०० मीटर के भीतर दूसरा ट्यूबवेल नहीं लग सकता और उसमें नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। यह ६०० मीटर करीब ३ फर्लांग के आता है। लेकिन सवाल यह आया कि ६०० मीटर के भीतर वह अपना ट्यूबवेल लगा नहीं सकता और जो है उससे पानी नहीं मिलता तो खेती बड़े कैसे? इसके लिए कहा यह जाता है कि अगर वहां ट्यूबवेल लगा लेगा तो सरकारी ट्यूबवेल का डिस्चार्ज घट जायगा। इसका समाधान तभी हो सकता है कि सरकार इतने ट्यूबवैल लगा दे कि निजी ट्यूबवैल लगाने की जरूरत न हो और नहीं तो किसान को सुविधा दें। लेकिन इसमें कुछ जांच-पड़ताल की भी जरूरत है। भूगर्भ का जितना पानी हम उठाते हैं उसका क्या प्रभाव धरती के स्वरूप पर पड़ने वाला है।

चतुर्थ योजना जब पूरी होगी तो करीब दस हजार ट्यूबवेल हो जायेंगे। फिर हमारी ऐसी योजना है कि ऐसे ट्यूबवैल हों जो तीन से पांच क्युसेक्स पानी उठा लें। गाजीपुर में एक ट्यूबवेल बना है, जो एक घंटे में पांच क्युजेक पानी देता है। यह जरूरी है कि करीब ८००-९०० फुट नीचे जाना पड़ा। जब इतना पानी धरती के भीतर का उठा लेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा इसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। ट्यूबवेल एक विधि है जिससे सिंचाई करते हैं। वह सीमा ६०० मीटर से हटाकर २०० मीटर कर दी गयी है। उसमें नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसी प्रकार के नहरों की बात थी। अगर गंगा या जमुना की शाखा जा रही हो तो कोई वहां ६०० मीटर भीतर ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। नहर विभाग का कहना था कि यह ट्यूबवैल हमारी नहर का पानी उठा लेते हैं। लेकिन मुझे मान्यवर, वह उचित नहीं प्रतीत हुआ। यह नहर का ही पानी सिंचाई के लिये है। अगर वह पानी किसी तरह उठाकर सिंचाई करता है, जब कि नहर पानी नहीं दे सकती, तो वह कोई अपराध नहीं करता। तो यह आदेश दे दिये हैं कि सौ मीटर की सीमा रखी जाय यद्यपि उसमें यह भी है कि उदारतापूर्वक देखा जाय।

जमुना की नहर है उसमें पानी आता ही नहीं। सौ वर्ष पुरानी नहर है। बंटवारा होता है पंजाब और उत्तर प्रदेश में। कंट्रोल ताजावाला का पंजाब के हाथ में है। हम उनकी दया के भिखारी रहते हैं। पानी दे दें तो दें दे, नहीं मिलता तो शोर करते रहते हैं। फिर जमुना में सिल्ट बहुत आती है। मुखद्वार पर ही सिल्ट भर जाती है। जमुना नहर के किसान अपना ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई करना चाहें तो हम क्यों रोकें? यह उचित है कि सौ मीटर का प्रतिबन्ध रखा जाय लेकिन जहां ऐसी दिक्कतें हों वह सौ मीटर का प्रतिबन्ध रखने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, ये सारी सुविधाएं दी गयी हैं।

ट्यूबवैल में जो टूयार्ट टैरिफ है उस पर बहुत सवाल उठे हैं। इधर के और उधर के बहुत लोग आये। सरकार अब इस पर विचार कर रही है। ट्यूबवैल की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार को घाटा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि सात आठ करोड़ रुपये का घाटा होता है और ऐसी स्थिति में हमारा घाटा बढ़ता जायगा और हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। इससे हमारी योजनायें रुक जायेंगी। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि हमारा घाटा कम किया जा सके और बिलकुल मिटाया जा सके। अगर यह घाटा बिल्कुल मिट जायगा तो हमारी योजनायें भी तजी के साथ चल सकेंगी। हम इस संबंध में विचार कर रहे हैं, कि किस प्रकार से परिवर्तन हो और घाटे में कमी हो। तभी हम किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पायेंगे। ड्रिकर पद्धति के अनुसार ट्यूबवैल बनाने के विषय पर सरकार विचार कर रही है। जहां-जहां लिफ्ट इर्रीगेशन की योजनायें चल सकें, सरकार उनके विषय में व्यवस्था कर रही है यह भी देखा जायेगा कि इनके रेट में विशेष अन्तर तो नहीं है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि ढाल की योजनायें सफल हों। यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार को कम खर्चा करना पड़े और काम तेजी से चले।

श्री उदित नारायण (जिला फ़तेहपुर)––

लिफ्ट के जरिये जो इर्रीगेशन होती है उसका रेट तो ज्यादा हो जाता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। हमें भारत सरकार से जो रुपया मिलता है योजनाओं के लिये वह इस शर्त पर मिलता है कि इतना तुम लगाओ और उतना वे देंगे, यानी एक तरफ़ से मैचिंग ग्रांट मिलती है। हमारी ९५० करोड़ रुपये की योजना है।

एक सदस्य––

हमारे यहां लिफ्ट केनाल्स हैं और सीधा नहरों से पानी खेतों में पहुंचता है। क्या उसका भी वही रेट होगा जैसा कि उलीच कर खेती करने का रेट होता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैंने कहा कि ये सारे प्रश्न विचाराधीन हैं। यह विचार करने की बात है कि सरकार जिस हद तक घाटा उठाये, क्योंकि अगर घाटा उठाते चले गये तो दिवाला पिट जायेगा और फिर सारी योजनायें रुक जायेंगी। कितना घाटा कम किया जा सकता है, कितना बोझ कम किया जा सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर ६५० करोड़ रुपये हम देते हैं तो ५५० करोड़ रु० वे देंगे। अगर योजना के लिये हम अपना पैसा न लगायें तो फ़िर कोई धन वहां से नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, करीब-करीब ४० मिनट बोल चुका हूं। योजनाओं के विषय में दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)––

म एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

आप सुन लें। एक प्रश्न उठा था कि हम अपने प्रदेश में एक इर्रीगशन कमीशन की स्थापना करें, जो साल डेढ़ साल के अन्दर अपनी पूरी रिपोर्ट दे। इसके पीछे २–३ भावनायें हैं। एक तो यह है कि सिंचाई के रट्स में किस प्रकार से अधिक से अधिक एकरूपता लायी जा सके। शेड्यूल १, शड्यूल २ तथा शेड्यूल ३, पुराने ट्यूबवैलों के रेट्स अलग हैं और नये ट्यूबवेलों के रेट्स अलग हैं। इस से बड़ा कंफ्यूजन और उलझन पैदा होती है। क्या कोई तरीका ऐसा है कि एकरूपता लायी जा सके? भारत सरकार से भी इस बात की चेष्टा की जा रही है कि इतनी कैटेगरीज नहीं होनी चाहिये और इन को घटाकर १–२ कैटेगरीज कर दें। इतनी अधिक कैटेगरीज नहीं होनी चाहिये।

हम यह देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में बिजली और विद्युतीकरण के कितने साधन हैं। स्कीम्स तो विभाग बना देते हैं, मगर यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक ढंग से सारे प्रदेश का सर्वेक्षण हो और यह जाना जा सके कि कितने हमारे पास इनके साधन उपलब्ध हैं और कितने और दिये जा सकते हैं। कहां-कहां सिंचाई के लिये ट्यूबवेल्स बनाने जरूरी हैं। इसके लिये आवश्यक है कि एक मास्टर प्लान बन जाये जिस से कि आगे आने वाली योजनाओं को लाभ पहुंच सके। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विषमतायें हैं उनको दूर करने में भी हमें सहायता मिल जायेगी। कायदे कानून पुराने हो गये हैं और विभाग की नहरें भी पुरानी हो गयी हैं। इनमें भी अगर कोई परिवर्तन हो सकता हो, तो वह परिवर्तन किया जा सकता है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इसके बाद भारत सरकार ने जो इर्रीगेशन कमीशन बनाया है उसके सामने अपनी कठिनाइयां रखे। इस प्रान्त में भी इसी प्रकार का इर्रीगेशन आयोग गठित किया जा रहा है। इसी तरह का एक बोर्ड आफ़ इर्रीगेशन बना दिया जाय जिस से कि जो प्रतिनिधि जिस क्षेत्र के हों वहां की कमियां बतला सकें। इस हाउस में सारी कमियां बतलाने का समय नहीं मिलता है। तो इन चीजों पर विचार हो सकता है, नये सुझाव आ सकते हैं जिन पर सरकार कुछ कर सकती है। तो एक कमीशन और बोर्ड की स्थापना कर दी जायगी।

अब इस विषय में एक बात और कहनी है। श्रीमन्, बिजली विभाग में और सिंचाई विभाग में मजदूर बहुत हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो भी अन्डरटेकिंग्स हैं उसमें हमें मजदूरों को वही सुविधायें देना चाहिये जो कि प्राइवेट अन्डरटेकिंग्स में दी जाती हैं। जब हम चाहते हैं कि निजी व्यवसायों में मजदूरों को सुविधायें दी जायं तो पब्लिक अन्डर टेकिंग्स में भी सुबिधायें दी जानी चाहिये। यह सही है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में बड़ी सेक्युरिटी होती है परन्तु आवास आदि के संबंध में जो कि आवश्यक चीजें हैं उनको सुविधायें मिलनी चाहिये। इस संबंध में हम अधिक से अधिक सुविधायें देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी विद्युत परिषद् में यह तरीका है कि हमने बहुत-सी प्राइवेट कम्पनीज को ले लिया है। उन कम्पनियों में १५-१५ और १६-१६ साल की नौकरियों के मजदूर थे और उनको भी हमने अपने यहां ले लिया है लेकिन उनकी कन्टीन्युटी आफ़ सर्विस तोड़ दी है। यह उचित नहीं मालूम होता है। इस पर हम बिचार कर रहे हैं और हमारे श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री भी इसमें हमारा साथ देंगे।

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से मुझे सिंचाई और बिजली की कुछ सुविधाओं के संबंध में कहना है। इर्रीगेशन में एक कानून है जिसके अनुसार जहां पानी का कुलाबा लगवा दिया उस खेत से मीलों तक धान का चक बनाया जाता है। जो किसान खेत भरता है वह पैसा देता है लेकिन जो नहीं भरता है उसको भी देना पड़ता है। तो मीलों तक चक न बनाये जांय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझे बोल लेने दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, एक दूसरी बात यह है कि....

श्री अध्यक्ष---

बीच में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। कृपया बैठें।

श्री चेतराम गंगवार---

इक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो वहां के हैं.....

श्री अध्यक्ष---

मैं इसके उत्तर देने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अच्छा होगा कि माननीय सदस्य अभी दो दिन विवाद के हैं उसमें सुझाव दें।

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, मेरा पहला प्रश्न तो स्वीकार हो गया था उसी का उत्तर दे दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं निवेदन कर रहा था कि जो सुझाव आये हैं उन पर सरकार विचार करेगी। तो मैं केवल यह कह रहा था कि मजदूरों की सुविधाओं के संबंध में भी दृष्टि गयी है और उसमें उद्योग, श्रम, बिजली तथा सिंचाई विभाग के लोग बैठकर व्यवस्था करेंगे।

अभी केसा में हड़ताल हो गयी। उसके बारे में वक्तव्य के लिये भी रखा था, फ़िर वह हड़ताल समाप्त हो गई। केसा में हड़ताल इसलिये हो गयी थी कि विद्युत् परिषद् का कोई बजट यहां डिस्कस नहीं होता। मजदूरों की ओर से कहा गया कि वायदा हुआ था कि प्रोडक्शन अगर कुछ बढ़ा दिया जाय, अपनी मेहनत से मजदूर बढ़ा दें, तो उन्हें इंसेन्टिव बोनस मिल जायगा एक महीने की तनख्वाह। उन्हें १५ दिन का बोनस दिया गया। वह लोग आये थे और मुझसे बात करके गये और मुझे पंच बना गये कि हमारी पुरानी मांगों को और इस मांग को भी देख लिया जाय और हड़ताल उन्होंने खत्म कर दी। अब ये ऐसे सवाल हैं जिन पर थोड़ा बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि एसेम्बली से कुछ समय मिलता है तो इस चीज को देख लेंगे और तय कर देंगे और जो वायदा है उसको पूरा करने की चेष्टा की जायेगी तो चूंकि आपने कहा था इसलिये मैंने यह कह दिया। तो मजदूरों के विषय में यह बात है लेकिन कालागढ़ जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो लाभ उठाते हैं, कुछ राजनैतिक दृष्टि से भी लाभ उठाते हैं। तो उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की तरफ़ पूरा ध्यान है ....

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

जमुना कैनाल की बात भी बता दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जमुना कैनाल के बारे में हमारा यह प्रपोजल था कि खारा के पास एक बैराज बना देने की इजाजत मिल जाय क्योंकि पंजाब की सरकार जो है। अब तो हरियाणा के पास है। वह कहते हैं कि हमारे पास तो इतने साधन हैं नहीं कि हम आपके लिये पानी देने के लिये कोई हेड वर्क्स बना दें ताजेवाला पर। कहते हैं कि तुम बनाओ लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा। तो हमने यह प्रस्ताव किया हम खारा पर बनावें, वह अपनी भूमि है, और अपने पैसे से बनावें। तो एक तिहाई पानी जो मिलता है उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में रहेगा। हमारी बातचीत चल रही है, योजना बन गयी है, अनुसंधान हो गया है, भारत सरकार के पास भेजी जा चुकी है और मैं समझता हूं कि एक बार उसमें बातचीत हो भी चुकी थी हरियाणा सरकार से और शीघ्र ही बात होगी और लगता है कि हरियाणा की सरकार संभवतः उसे मंजूर कर ले और हम चेष्टा यही करेंगे कि मंजूर हो जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

जब हरियाणा को उसके शेयर से अधिक पानी मिलता रहता है और आपको शेयर का भी नहीं मिलता तो वह इंटरेस्टेड नहीं हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

हम इंटरेस्टेड हैं बनाने में और हमारा पूरा प्रयास है। जब उनके शेयर का पानी उन्हें मिलता है और अधिक भी लेते हैं, आपका कहना ठीक है और खासतौर से बरसात के दिनों में, तो क्या वजह है कि हम अपने शेयर के लिये इन्तजाम न करें? मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस प्रदेश की मांग के औचित्य को स्वीकार करती है और हमें आशा है कि यह हो जायगा। अब जो माननीय सदस्य आज और कल सुझाव देंगे वह मैं समझता हूं कि हमारे लिये सहायक

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

होंगे। यह तो ऐसा प्रश्न है जिसमें हम सभी रुचि रखते हैं। मतभेद और विरोध की बात नहीं है, जो भी सुझाव आयेंगे हम उन पर विचार करेंगे और यथासंभव कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे.....

श्री चेतराम गंगवार--

चक धान के विषय में भी कुछ कह दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं समझा नहीं।

श्री चेतराम गंगवार--

चकधान एक ऐसा कानून है कि एक खेत भरे लेकिन सारे का पैसा पड़ जाता है। ताज्जुब की बात है कि मंत्री जी चकधान को नहीं जानते.....

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैंने अभी निवेदन किया कि हमारा कैनाल का कानून और तौर-तरीके और इर्रीगेशन मैनुअल, यह सब पचासों और सैकड़ों वर्ष पुराने ह। ऐसे,ऐसे कानून उसमें बने हुये हैं कि अगर एक गू : में बरसात का पानी जा रहा है और उसमें नहर का भी पानी पहुंचता है और वह किसी खेत में चला गया तो यह कहा जाता है कि तुमने नहर का पानी लिया। अजीब अजीब कानून बने हुये हैं। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों नें व्यवसायिक दृष्टि से उनको बनाया होगा। आज तो हमारा दृष्टिकोण ही दूसरा है। इसलिये हम इर्रीगेशन कमीशन एक कायम करना चाहते हैं जो इन सारे कानूनों को देखकर उसमें आज कल की आवश्यकता के अनुसार सुधार कर सकें। मैं आपका, अध्यक्ष महोदय, बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे समय दिया। इस सदन से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वह इन अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करे।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१, ३२, ४८ और ४९ में प्रत्येक अनुदान के अधीन म ग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभाग की नीतियों की आलोचना करना एवं सुझाव देना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी मे बड़ी कुशलता से इन अनुदानों को सदन के समक्ष रखते हुये अपने विचारों को प्रकट किया है। जिस सिंचाई मैनुअल में तरमीम करने के लिये हम सन् ५७ से बराबर कहते चले आ रहे थे उस पर अब माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया है और जो इसके लिये अभी उन्होंने सिंचाई आयोग बिठालने की घोषणा की है उसके लिये मैं उनको हृदय से बधाई देता हू।

मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहता हूं कि जिन चीजों की आज उपयोगिता है, उसकी तरफ सिंचाई विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। आज आवश्यकता है कि प्रति एकड़ अधिक से अधिक पानी दिया जाय। हाई ईल्डिंग वैराइटी वाली चीजों के पैदाबार के लिये ५–६ पानी की जरूरत होती है, लेकिन नहर विभाग केवल बैसाख में ही एक पानी दे देता है। जितनी आवश्यकता है उतना पानी आज किसान को नहीं मिल रहा है। नहर विभाग इस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहा है। जब पानी कम मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम इतनी कम है। हमारे प्रदेश में सिंचाई विभाग को जितने आवश्यक कार्य करने चाहिये थे वह उसने नहीं किये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक नहरों का सवाल है, मुझे पूर्ण अनुभव है। आज भी तीस सालों से पानी देने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तरफ माननीय मंत्री जी ने इशारा भी किया है। मैं मंत्री जी की उन बातों को मानता हूं। उनका बहुत बड़ा अनुभव है विभाग में। लेकिन जो वैनल हैं उनका पानी लास्ट ड्रेन तक नहीं पहुंचता है। यह मैं आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे-ऐसे क्षेत्र पड़े हैं हमारे जिले में सहराऊं, सिमरई जैसे। इनके लिये मैंने कई बार विभाग से कहा कि वहां पर फसल सूख जाती है क्योंकि वहां के रहने वाले नहरों के भरोसे पर रहते हैं। घोषणा हो जाती है कि नहर का पानी मिलेगा, विभाग के लोग भी कहते हैं उस चीज के लिये। ऐसे मौके पर जब उसको नहर का पानी नहीं मिलता है उस वक्त वह प्राइवेट ट्यूबवैल भी नहीं लगा सकता है। जो खाद वगैरह देते हैं आप वह भी किसान खर्च कर देता है। केवल नहर के भरोसे के कारण ही वह अनाप सब कुछ उस पर लगा देता है। यह सब नहर विभाग के दुर्लक्ष्य के कारण होता है। इस ओर मंत्री जी भी संकेत कर चुके हैं कि लास्ट ड्रेन तक पानी नहीं जा सका है और हो सकता है कि माननीय सदस्य इस पर सुझाव दें। तो मैं आपके माध्यम से सुझाव रक्खूंगा कि नहरें तब तक न बढ़ाई जांय जब तक पीछे के काश्तकारों को पूर्ण रूप से पानी देने की व्यवस्था न हो जाय। नहरों को वहीं तक बढ़ाया जाय जहां तक रिजर्व वाटर बढ़ा करके नहरों को उतना पानी दे सकें जितना किसानों को पर्याप्त हो।

इसके अलावा नहरों की सफाई सालों नहीं होती। इन्जीनियर लोगों से जब यह कहा जाता है तो वे बुरा मानते हैं। मुझे कई सदस्यों ने आकर बताया कि एक श्री डी०पी० गोयल हैं इन्जीनियर के पी० ए०। कोई सदस्य इन्जीनियर महोदय से जाकर कहता है कि वहां पर सफाई नहीं हुई तो श्रीमान् जी वे सदस्यों को बेईमान बता देते हैं। यह कह देना, विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का काम नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें क्योंकि मुझे कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि वे इस तरह का व्यवहार करते हैं और ऐक्शन नहीं लेते।

भ्रष्टाचार के संबंध में मैं अभी बता चुका हूं कि प्रदेश की आमदनी केवल इस विभाग के भ्रष्टाचार के कारण कम हो रही है। हमारे सदन ने सिंचाई विभाग को कभी पैसा देने से इन्कार नहीं किया। इनके जितने प्लान्स बने, चाहे वह रामगंगा प्रोजेक्ट हो, चाहे शारदा प्रोजेक्ट हो। जिस किसी प्रोजेक्ट के लिये पैसा इन्होंने मांगा सदन ने वह पैसा सहर्ष प्रदान किया है। आप देखेंगे कि कहीं चार करोड़ का प्लान बनता है तो कहीं दस-दस पंद्रह-पंद्रह करोड़ के प्लान बने हैं, हमने पैसा दिया लेकिन उस पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं बताना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा अनुभव है, रामगंगा प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों की मशीनें बह गईं। यह प्रश्न तो सदन में भी कई बार आ चुका है लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हुई उसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मैं अपने जिले की जानकारी देता हूं पर पहले यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि मार्च के महीने में सारे पेमेन्ट्स कर देने होते हैं और आप कहते हैं कि खर्च करो क्योंकि नया बजट हम अप्रैल में पास कर देते हैं।

हमारे यहां एक नहर रिमाडेल हो रही है उस नहर में १८ लाख का पेमेन्ट हो गया लेकिन मिट्टी नहीं उठाई गई है। श्री प्रकाश बहादुर के समय का बना हुआ पुल है। जब वह पुल ढह रहा था तो वे उस समय वहां बैठे थे। एस० ई० भी वहीं मौजूद थे। मैंने कहा कि इसमें सामान या सीमेन्ट क्या लगाया? इन्होंने केवल एक दर नया बनाया था और वह नीचे से क्रैक कर गया और भीतर चला गया। मैंने कहा कि आप बतायें कि इसका कारण क्या है, पुराना दर तो नीचे नहीं गया लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ क्यों क्रैक हो गया, उन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया औरों की नींव तो ५ फुट पर है हम तो दस फुट पर उसको ले गये लेकिन फिर भी वह क्रैक कर गया,

[श्री मलखान सिंह]

यह सीमेंट का बना था जब कि ५० साल पहले का पुराना पुल चूने का बना हुआ था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के कामों का रवैया सिंचाई विभाग का बदलें, इससे विभाग की आज बहुत अधिक बदनामी होती है।

इसके अतिरिक्त सिंचाई की नहरें बन्द रहती हैं और किसानों को वक्त से पानी नहीं मिलता, उसकी फसल सूख जाती है। इसी कारण से भ्रष्टाचार फैला हुआ है जो अभी तक बन्द नहीं हुआ है जो प्रतिशत अफसरों और कर्मचारियों का जाता है वह तो जाता ही है बाकी यह जो नहरों की सफाई का काम है वह केवल कागज पर ही रहता है और मौके पर कोई सफाई होती ही नहीं। इस कारण से ठीक सिंचाई भी नहीं हो पाती।

बिजली विभाग के बारे में कहा गया कि हम उसको रुपया देंगे और एक बोर्ड बनाया गया है लेकिन मंत्री जी को देखना चाहिये कि जो पैसा है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, मंत्री जी अपने विभाग से और बिजली विभाग से पूछ सकते हैं। इस बिजली विभाग में इतना गड़बड़ हो रहा है और जैसा कि स्वयं मंत्री जी ने बताया कि ट्रान्सफार्मर्स की चोरी बहुत है और नेता विरोधी दल ने कहा कि उनको चोरी की छूट दी जाय। देखना यह है कि इसका कारण क्या है और यह चोरी होती क्यों है? ट्रान्सफारमर की चोरी कोई साधारण चोर नहीं कर सकता जो उसका टेक्निकल जानकार होगा वही कर सकता है, जिसको विभाग की जानकारी होगी, जो सर्विस में होगा या रह चुका होगा, निकाला गया होगा वही इसकी चोरी कर सकता है। इनकी चोरी का खमियाजा किसान को उठाना पड़ रहा है, चोरी कोई करता है खामियाजा किसान को उठाना पड़ता है क्योंकि बिजली बोर्ड ने एक सरकुलर भेज दिया है कि जिसका ट्रान्सफारमर जले उसकी कास्ट उसी किसान से वसूल की जायगी। यह जैसे ही हुआ कि किसी इंजीनियर के यहां चोरी हो जाय और पड़ोस के इंजीनियर से उसकी हानि वसूल की जाय कि उसने उसकी रखवाली क्यों नहीं की।

ज्यादातर प्राइवेट ट्यूबवेल ट्रान्सफारमर २, ३ या ५ फर्लांग पर लगे हैं वहां से चोरी होता है तो उसमें उस काश्तकार बेचारे का क्या दोष है? एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि अगर कोई चोरी की जांच होती है और उसमें उस किसान का हाथ निकलता है या साबित होता है तब उससे वसूल किया जा सकता है और उसको सजा दी जा सकती है। यहां तो जुर्म के होते ही फांसी लगा दी जाती है। कोई कत्ल कर देता है, शूट करता है तब भी पुलिस केस में साबित होने पर ही सजा होती है। देखा जाता है कि वाकई इसने जुर्म किया है या नहीं, केवल तभी सजा होती है। अगर काश्तकार ने चोरी की है या कराई है तब साबित होने पर उससे कास्ट वसूल हो सकती है उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। आज इन चोरियों को रोकने की या उसकी रखवाली की कोई व्यवस्था नहीं है और जिस किसान ने लैंड डेवलमेंट से पैसा लेकर नलकूप में रुपया कर्जे का लगाया है आप जानते हैं जबरदस्त का पैसा तो फौरन वसूल हो जाता है, कमजोर का नहीं होता। सरकार का पैसा जहां लिखकर भेजा कलेक्टर के हुक्म से अमीन जाकर उस का सब कुछ कुर्क कर के ले आते हैं। एक तरफ उसकी फसल लुटती है और दूसरी तरफ उससे पैसा वसूल होता है, तो आप सोच सकते हैं कि उन किसान की क्या हालत होगी। आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि जब आज किसान हाई ईल्डिंग वेराइटीज बोता है और उसको ज्यादा पानी वक्त-वक्त पर चाहिए तब उसके सामने ऐसी दिक्कतें आती हैं तो वह किस तरह से पैदावार को बढ़ा सकता है। मैं चाहता हूं कि यह ट्रांसफारमर की चोरी रोकने का प्रबन्ध सरकार खुद करे, वहां पुलिस की व्यवस्था करे, यह सरकार का काम है किसान पर यह अत्याचार नहीं होना चाहिये।

मंत्री जी ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के विषय में एक आयोग बनेगा जो उन की सर्विसेज वगैरह के बारे में सब चीजें देखेगा उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह जरूर कहूंगा कि इस विभाग में ३, ४, ५ साल से वर्कचार्ज में लोग पड़े हैं और उनको वेतन कम मिलता है और

इस कारण से वह न कन्फर्म होते हैं और कभी भी उनको एक मास का नोटिस देकर निकाल दिया जाता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, यह उनके साथ बहुत ज्यादती है, इस पर मंत्री जी ध्यान दें ताकि यह गरीब कर्मचारी भी अपने भविष्य को समझ सकें।

इसके अतिरिक्त जो पावर हाउस बने हैं उनमें कोयला बहुत चोरी होता है। इस विभाग में चोरी की इतनी बीमारी है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस तरह की मैनपुरी में बराबर शिकायतें हैं कि पावर हाउस से कोयला चोरी जा रहा है, न जांच होती है, न कुछ पता चलता है। एक तरफ चोरी होती है और दूसरी तरफ कह दिया जाता है कि विभाग घाटे पर चल रहा है। कनेक्शन्स देने का हाल यह है कि उनके मिलने में बड़ी असुविधा है। हालांकि मंत्री जी ने प्रायरटीज फिक्स कर दी है लेकिन फिर भी कनेक्शन्स मिलने में लोगों को दिक्कत है, लेकिन विभाग के पास एक बड़ा अस्त्र यह है कि कह दिया जाता है कि सामान नहीं है। ठेकेदार कहां से आता है और वह सामान की व्यवस्था कहां से करेगा? वह तो विभाग ही करेगा सामान के नाम से इस तरह से सौ-सौ रुपया इन्सपेक्टर ले लेते हैं और उसके बाद सामान निकल आता है।

काश्तकार को प्राइवेट ट्यूबवैल के लिये बिजली नहीं मिलती है जिसके कारण बेचारा किसान इंजिन खरीदता है और पंपिंग सेट लगाता है, उससे वह अपनी सिंचाई की व्यवस्था करता है। खेती की उपयोगिता और पैदावार को बढ़ाने के लिये ३ चीजों की आवश्यकता होती है। ये ३ चीजें हैं, जमीन, गर्मी और पानी। गर्मी तो हम खाद की नाट्रोजन आदि की तादाद, बढ़ाने से पूरा कर लेते हैं, जमीन हमारे यहां ऐसी है कि जितना गेहूं अमरीका में पैदा होता है उससे भी ज्यादा हमारे यहां पर होता है लेकिन पानी नहीं है जिसके कारण प्रदेश में अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है और नतीजा यह होता है कि हमारे ही प्रदेश का पैसा विदेशों में जाता है, उससे हमारे देश की करेंसी पर भी असर पड़ता है। इसलिए इस विषय पर हमारे माननीय मंत्री जी को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे किसानों को आवश्यकतानुसार पानी मिल सके।

आज हमारे एक मित्र ने कहा कि इस विभाग के बारे में कई समस्यायें हैं। तावान की विशेष समस्या है। एक बीघे में अगर सिंचाई चली गई तो सौ बीघे पर सिंचाई लग जायेगी। नहरों में खन्दी कर दी गई। ३ गुना तावान लगा दिया जाता है। दूसरे आपने इस विभाग के मैजिस्ट्रेटों को इतनी पावर पुरानी मैनुअल के आधार पर आपने दे रखी है कि वे किसी की गवाही नहीं सुनते और विभाग के पतरोल और अन्य कर्मचारी जो कह देते हैं, उसी के ऊपर किसानों को फंसा कर जेल भज दिया जाता है, और उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है।

श्रीमन्, हमारे यहां पर एक भारद्वाज नाम का कैनाल मैजिस्ट्रेट है, जो शायद रिटायर भी हो गया था, उसको सरकार ने एक्सटेंशन दे रखा है, उसके बारे में मेरी जानकारी है कि उन्होंने दो साल में कम से कम ३ लाख रुपया पैदा किया है। हमारे मित्र इस बात के लिये ताज्जुब करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इतना धन कमाया, उनका कमाने का तरीका यह है कि वे काश्तकारसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर १०० रुपया जुर्माना हो गया और २५ रु० की रसीद देते हैं। बीच का बचा हुआ वे लेते हैं। पतरौल के कैरेक्टर रोल में एन्ट्री करते हैं और उससे कहते हैं तुमने इतने चालान ही क्यों किए और ज्यादा क्यों नहीं कर दिये और तुम नालायक हो। तो इस तरह से वे ज्यादा मुकदमें चलवाते हैं और इस प्रकार से अपने बैंक बैलेंस के चक्कर में रहते हैं जिससे रिटायर होने के बाद शान के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। और उनके कमाने का एक मात्र कारण यही है कि उनके सामने गवाह नहीं जा सकते हैं। आज कैनाल के मैजिस्ट्रेट इतनी पावर लिये बैठे हैं कि जितनी प्रदेश में किसी की नहीं है। इस ओर हमारे माननीय उपमुख्य मन्त्री जी ध्यान दें।

[श्री मलिखान सिंह]

आज क्रांति का युग है, परिवर्तन का जमाना है। आज किसानों को सुविधा देने की आवश्यकता है। आज राजनीतिक हलचल दिल्ली में हो चाहे अमरीका में हो, चाहे, आज चन्द्रमा स्थल पर व्यक्ति जाता हो, गांव के छोकरेको भी मालूम है। अगर हमने अपनी नीतियों में परिवर्तन न किया तो आज जो हमारे किसानों के सामने इतनी कठिनाइयां बराबर आ रही है, और नहर विभाग की इस तरह की स्थिति है, वे दूर नहीं होने वाली है। आज से २ वर्ष पहले पूरे देश में जाड़ों में वर्षा हुई थी और जाड़ों में वर्षा होने के कारण इतना गल्ला पैदा हुआ रबी में कि सरकार को सोचना पड़ा कि गल्ला वह कहां ले जाय। कीमतें नीचे न गिर जायं इसके लिये उसे गल्ला खरीदना पड़ा। लिहाजा यह सही है कि हमारे देश में आबादी अधिक होने के कारण गल्ले की कमी नहीं है बल्कि सिंचाई के साधन न होने से गल्ले की कमी है। उस साल अधिक पैदावार होने का नतीजा यह हुआ कि गेंहूं कि कीमत दो साल तक नहीं बढ़ सकी, एक साल सूखा पड़ने के कारण उस पर असर जरूर पड़ा था। इसलिये हमें इस पर विचार करना चाहिये कि गल्ले की पैदावार अधिक से अधिक किसान कर सके इसके लिये उसे अधिक से अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वे हो रहा है। सर्वे कराते वक्त इस बात का वह ख्याल रखें कि सिंचाई ये जना उसी प्रकार की किसी क्षेत्र में लागू की जाय जैसी कि उस क्षेत्र में किसानों के लिये लाभप्रद हो। लिफ्ट इर्रीगेशन के बारे में जैसा कि शर्मा जी ने कहा वह इतनी महंगी होगी...

श्री उदित नारायण—

मैंने यह निवेदन नहीं किया था। मैंने यह अर्ज किया था कि लिफ्ट इर्रीगेशन के रेट्स ज्यादा हैं और ज्यादा इसलिये हैं कि आप उनको इकोनामिक बेसिस पर चला रहे हैं जबकि दूसरी योजनायें आपकी अनइकोनामिक हैं। वैसे ट्यूबवेल के हिसाब से लिफ्ट इर्रीगेशन में जो पानी दिया जाता है उसमें खर्चा कम आता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह नो प्राफिट नो लास बेसिस पर बनी हुई है तो कोई इकोनामिक योजना नहीं हुई। कोई सरकार उससे लाभ नहीं उठा रही है।

श्री उदित नारायण—

मेरा यही मतलब था कि नो प्राफिट नो लास पर यह चल रही है जिससे रेंट्स अधिक हैं। दूसरी योजनायें लास पर चल रही हैं।

श्री मलिखान सिंह—

दूसरे माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिंचाई आयोग बनेगा। ट्यूबवेल और नहर का पानी सस्ता पड़ता है तो कहीं ऐसा न हो कि नहर वाले एक ही आबपाशी दें जब कि किसान को ५,६ आबपाशी की आवश्यकता होती है और पैसा उसको उतना ही देना पड़ता है। लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जाय कि नहर वाले आबपाशी का एरिया बढ़ा लें, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और किसान को पानी एक ही मिले और वे उसको ५, ६ पानी न दे सकें।

नहर और ट्यूबवेल के कारण नालियों की भी समस्या हो गई है। अधिक वर्षा के कारण उनमें पानी भर जाता है। सूखा होने पर तो किसान पुर से अथवा कुंवे से पानी खींच कर जमीन की सिंचाई कर लेगा लेकिन पानी भर जाने पर उसके पास कोई इलाज नहीं है। क्योंकि वह तो सब खत्म हो जायेगा। जो भी लागत वह लगायेगा वह समाप्त हो जायेगी। इसलिये ड्रेनेज की समस्या की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा जितने पश्चिमी जिले हैं उनमें नमकीं की भीषण समस्या है। इसके कुछ कारण हैं। एक बार मैंने यहां पर कहा था कि हमारे ही गांव के पास एक बतरा सुल्तानपुर है वहां पनवा माइनर है। उस पर एक बांध बना हुआ था। वह बांध कभी टूटा नहीं।

अब पनवा माइनर निकाल दिया गया उस बांध को फाड़ करके उसके बाद से तीन बार वह बांध टूटा और १२ गांवों की फसलें समाप्त होने लगीं। मैंने इंजीनियर साहब के पास सजेशन्स भेजा और उसका परिणाम यह हुआ कि उस पर मिटटी डलवा कर उसे ऊंचा कर दिया गया। कोई दूसरे इंजीनियर साहब गये तो उन्होंने अपने पैमाने से नापा कि यह ऊंचा बहुत बुरा लगता है, इसे एक लेविल में कर दो और मिटटी को कटवा कर नीचे डलवा दो। अब मुझे सूचना मिली है कि वहां अभी बहुत पानी तो नहीं है लेकिन माइनर के बराबर आ गया है। तो माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा के जैसा पहले ऊंचा बांध था वैसा ही करवा दें नहीं तो किसानों का बड़ा नुकसान होगा। इन चन्द सुझावों के साथ मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इन पर विचार करें और बाद में जब उत्तर देने का मौका मिलेगा तो और बातें कहूंगा। इस समय इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

अध्यक्ष महोदय, इस बात पर तो सभी एकमत हैं कि बिजली और पानी इस प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकतायें हैं क्योंकि हमारे प्रदेश की समृद्धि और प्रगति और इसका स्वावलम्बन इन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और इस बात का पूरा प्रयास किया है कि इस प्रदेश की भूमि को अधिक से अधिक सिंचित बनाया जाय। इसलिये आज यहां जो मांग पेश की गई है मैं न केवल उसका समर्थन करता हूं बल्कि आशा करता हूं कि सरकार को भारत सरकार से अथवा अन्य उपायों से जो धन उपलब्ध होगा वह अधिक से अधिक इन चीजों पर लगाया जाय।

(इस समय १ बज कर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जल, तल और अतल में है। फिर भी इस प्रदेश की धरती बहुत प्यासी है। अभी मंत्री जी ने बताया कि २८-३० प्रतिशत भी हम सिंचाई की सुविधा नहीं दे पाते हैं। अभी इस प्रदेश में जितनी भूमि में खेती हो सकती है उसके आधे पर ही खेती होती है और आधी भूमि बेकार पड़ी है और बेकार भूमि में भी ऐसी जमीन है जो उपजाऊ है और उसमें खेती हो सकती है। आवश्यकता इसी बात की है कि सिंचाई का प्रबन्ध हो जाय तो हम गल्ले के संबंध में जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

अभी मंत्री जी ने नई सुविधाओं की जो घोषणा की उसका हम सब स्वागत करते हैं। जल्दी से जल्दी विद्युतीकरण हो, ट्यूबवेलों को जल्दी बिजली मिले इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। चार फलांग तक बिजली देने की सुविधा की घोषणा हुई। नहरों और ट्यूबवैल्स के कमांड में भी कोई अपना ट्यूबवैल्स लगा सकता है, इस प्रकार की जो सुविधायें सरकार की ओर से दी गई हैं, वे स्वागत करने योग्य हैं। लेकिन जो फीगर्स हमारे सामने हैं उनको देखकर मुझे कोई बहुत आशा का संचार नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह बहुत कम हैं। जितने ट्यूबवैल्स योजना के अनुसार लगना चाहिये उनसे भी कसर बाकी रह जाती है। मंत्री जी ने यह भी बताया कि अगर उसके लिये हमें कहीं से अतिरिक्त धन भी प्राप्त हो गया तो उसका भी हम इसमें उपयोग करेंगे। इससे कुछ आशा होती है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कुछ कठिनाई की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नहरों में पूरे कमाण्ड को देने के लिये पर्याप्त पानी नहीं है। खास तौर से टेल तक पानी पहुंचता ही नहीं है। हमारे इलाके में इसी प्रकार की स्थिति है। मेरे क्षेत्र में इससे अधिक और किसी बात की शिकायत हमें नहीं मिलती। वहां पानी नहीं पहुंचता है। इसका हम

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

समुचित उत्तर भी उन लोगों को नहीं दे पाते हैं। अधिकारीगण कहते हैं कि कटिंग्स बहुत होती है लेकिन वह भी पानी की कमी के कारण ही तो होती है। किसी का खेत सूख रहा है, वह जुर्माना देकर भी अपनी फसल की रक्षा करना चाहता है। मैंने ऐसी नहरों को भी देखा है कि जब से वे खुदी हैं तबसे एक मरतबा भी पानी उनमें नहीं गया है और उनको खुदे हुए १०-१२ साल हो ग । मेरा सुझाव है कि इस बात का सर्वे करा लिया जाय कि कहां तक कायदे से पानी पहुंच सकता है। जिन नहरों में पानी नहीं है, उनको बन्द ही करा दिया जाय और ट्यूबवैल्स लगा दिये जायं ताकि उस जगह में खेती तो हो सके।

लिफ्ट सिंचाई योजना में डलमऊ की योजना सबसे बड़ी योजना है। उसके रेट के संबंध में बहुत से किसान मेरे पास आये और उन्होंने बताया कि हमको इस लिफ्ट योजना से निकलवा दिया जाय क्योंकि उसके रेट बहुत हाई बताये जाते हैं। लोगों की ऐसी धारणा है कि उसका रेट १०—२० रुपया तो फिक्स कर दिया जायगा, उसके अलावा जितना पानी उससे लिया जायगा उतना पैसा अलग से लिया जाया करेगा और यह रेट नहरों के रेट का करीब चार गुना होने वाला है। किसी ने तीन पानी लिये और पतरौल उसके ५ पानी भी लिख सकता है। इसलिये रेट के मामले में एक रूपता लाने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे कि लिफ्ट योजना के रेट नहरो के रेट से बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिये। अगर ऐसा न हुआ तो जैसा उसका स्वागत होना चाहिये वैसा नहीं होगा।

सरजू योजना में ४०० फीट चौड़ी नहर बनाई जा रही है। यह ठीक है कि उससे शारदा कैनाल में पानी बढ़ जायेगा, किसानों को अधिक पानी मिल सकेगा। लेकिन बहुत से किसानों की उसमें कुल भूमि चली जायेगी। यह ठीक है कि ऐसी योजना बनेगी तो किसी न किसी की जमीन तो उसमें जाना ही है। लेकिन मुझे सुझाव दिया गया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों से नहर निकल रही हैं, उन गांवों में चकबन्दी फ़िर से कर ली जाय और सम्मिलित भूमि अलग छोड़ दी जाय तो जो लोग बिलकुल भूमिहीन होने वाले हैं वह बच सकते हैं। मंत्री जी इस पर विचार करें और उन लोगों की रक्षा करें जिनकी सारी जमीन उसमें चली जाने वाली है। साथ ही साथ मुझे यह भी बताया गया कि जैसे गंडक नहर पक्की बनायी गयी उसमें जमीन कम लगती है। सरयू की जो नहर निकलेगी उसको पक्की बनाने पर विचार किया जाय। पहले चाहे धन ज्यादा लग जाय लेकिन बाद में रखरखाव पर जो खर्च होता है वह उस को पूरा कर देगा। तो शायद आधी जमीन ही लेनी पड़े और बहुत से लोगों की जमीन बच जाय। उन लोगों में भय व्याप्त है। मुझे तो उनकी बात वाजिब लगती है। अगर कोई किसी योजना से भूमिहीन हो जाय तो वह चाहे कितनी ही लाभकर योजना हो वह तो तबाह हो ही जायगा। अगर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाय जिससे उसकी सारी जमीन न चली जाय तो बहुत उचित होगा। मंत्री जी इस पर विचार अवश्य करेंगे।

जैसा मैंने शुरू में कहा बिजली और पानी प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब सरकार ने ऐसा प्रयास किया है कि किसानों को खेती के लिये बिजली प्राप्त करने में जो कठिनाइयां होती थीं वह कठिनाइयां कम होने लगी हैं। कल मैं दिल्ली स्टेशन से रेडियो पर वार्ता सुन रहा था। उसमें उत्तर प्रदेश के किसी किसान ने जिसका इंटरव्यू हो रहा था कहा कि अब बिजली कनेक्शन की बड़ी आसानी हो गयी है अगर ट्यूबवेल्स लगायें। इसके लिये मैं अवश्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अब भी थोड़ी कठिनाई होती है। जो अधिकारी कनेक्शन देते हैं वह परेशान करते हैं। भ्रष्टाचार हो या या कोई दूसरी बात हो उस पर भी सख्ती होनी चाहिये ताकि लोगों को ट्यूबवेल लगाने के लिये जल्दी से जल्दी बिजली उपलब्ध हो सके।

मैं फिर कहूंगा कि जितना धन इस मद के लिये मांगा गया है उससे भी ज्यादा अगर कहीं से उपलब्ध हो सके तो लगाया जाय ताकि जल्द से जल्द खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो सकें और प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके।

श्री भैराम (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि प्रतापगढ़ ब्रांच और इलाहाबाद ब्रांच से जिन किसानों ने पम्पिंग सेट लगा कर सिंचाई की है उन पर नहर विभाग के मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह के प्रतापगढ़ में १५ मुकदमें हैं जिनमें १००–१५० आदमी फंसे हैं। नहर का कुलाबा नहीं खुला था, उन्होंने अपने खेत सींचने के लिये पम्पिंग सेट लगा कर सिंचाई की जिससे कि उनकी खेती बच जाय। उनके भाषण से ऐसा आभास लगा कि इस तरह के कुछ लोगों को ऐसा किया जायगा कि उनके मुकदमे खत्म कर दिये जायेंगे। सिंचाई की जितनी योजनायें चली हैं, पहली, दूसरी, और तीसरी, उन पर ज्यादातर जोर इस बात पर दिया गया कि नहरें खोदी जायं अथवा नलकूप लगाये जायं।

एक बात की तरफ मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से २०–२५ साल पहले कुछ ऐसे तालाब गांवों में रहा करते थे, जिन तालाबों से लोग सिंचाई कर लिया करते थे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर, जमींदारी खत्म होने के बाद उन तालाबों के पट्टे कर दिये गये हैं और उनकी हैसियत समाप्त कर दी गई है अथवा उनसे सिंचाई नहीं हो पाती है। आज भी ऐसे पट्टे गांव समाज के द्वारा किये जा रहे हैं। यह तालाब जो प्राचीन काल में सिंचाई के साधन के रुप में एक मुख्य पार्ट अदा किया करते थे, आज भी उनकी काफी अहमियत है। नहरों का पानी किसान को मिल नहीं पाता है और नलकूप का ज्यादा रेट उसे देना पड़ता है, अतः किसान अपने परिश्रम से तालाब से सिंचाई करना ज्यादा अच्छा समझता है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तालाबों की रक्षा के लिये कोई नियम बनाये जायं और राजस्व विभाग को सुझाव दिये जायं कि जहां पर तालाबों की हैसियत बिगाड़ने का प्रयत्न किया जाये, उसे रोका जाय। सरकारी नलकूप लगाने से क्या हम पूरी खेती को पानी दे सकेंगे। अब तक जितना प्रयास किया गया है, मोटे तौर पर अब भी दो तिहाई खेती असिंचित है। कुछ नलकूप लगाने से अथवा नहर बनाने से पूरे सिंचाई की समस्या सुलझ नहीं जाती। तालाब भी एक साधन है समस्या सुलझाने का। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नलकूप नहीं लग सकते हैं और न नहर जा सकती है। हमारे जिला प्रतापगढ़ में कुण्डा और कालाकांकर के ५० गांव ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं और जिन गांवों को ऊंचा खाली होने के कारण न तो वहां पर नहर जा सकती है और न नलकूप लगाये गये हैं, उनके बारे में आपके पास क्या योजना है? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नदी के किनारे जो गांव हैं, वहां पर सरकारी नलकूप लगाये जायं और यदि सम्भव न हो सके तो वहां पर सरकार की तरफ से चाहे जिस विभाग से भी हो, हर गांव में एक एक सरकारी कुआं खोदने की व्यवस्था की जाय क्योंकि आप ऐसे गांवों को सिंचाई का कौन-सा लाभ पहुंचा रहे हैं।

मैं चौथी बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सिंचाई के जितने साधन हमारे प्रदेश में फैलाये गये हैं उन पर आप को ध्यान देना चाहिये कि समुचित रूप से हर क्षेत्र में उनका विस्तार होता है या नहीं। मुझे शिकायत है कि किसी-किसी जिले में नहरों का ज्यादा जाल बिछाया गया है, ज्यादा नलकूप सरकारी लगाये गये हैं, ज्यादा बिजली भी दी गई, और प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां एक भी सरकारी नलकूप नहीं लगा है। प्रतापगढ़ जिला कुल १४–१५ लाख की जनसंख्या का है, ७ विधान सभा क्षेत्र हैं, लेकिन वहां एक भी सरकारी नलकूप नहीं लगा है। मुझे दुःख होता है जब मैं देखता हूं कि एक तरफ इतने कम नलकूप और दूसरी तरफ जिला जौनपुर है जहां पर बहुत ज्यादा नलकूप लगे हैं। बनारस और

[श्री जंराम]

इलाहाबाद जिले में भी यही हाल है। इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में भी बहुत ज्यादा सरकारी नलकूप लगे हैं, लेकिन मेरे जिले में नाममात्र को जो एक लगा भी है वह ठीक से काम नहीं करता है, कभी पानी नहीं देता है।

मैं आपको बता दूं २ मई को केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, श्री के० एल० राव मेरे जिले में गये थे और उस जिले की उन्होंने एक जांच की और वह सूचना शायद उन्होंने आपको दे दी हो। वहां पर ६ लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है, जिसमें एक लाख २६ हजार एकड़ पर नहर के कमाण्ड का क्षेत्र है जो मोटे तौर पर २१ प्रतिशत होता है, लेकिन उस रिपोर्ट में आप सही-सही देखेंगे कि केवल पचास हजार एकड़ जमीन नहर की कमांड से सींची जाती है। तो केवल १० फीसदी अंश ऐसा है कि जिसमें सिंचाई के साधन हैं बकिया में कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। यह केवल प्रतापगढ़ जिले की ही बात नहीं है। आप आंकड़ों पर न जायें। प्रतापगढ़ में २१ फीसदी नहर विभाग द्वारा सिंचित है लेकिन हकीकत में साढ़े दस फीसदी हिस्सा आता है। आप सरकारी आंकड़ों पर विश्वास न कर लें। प्रगति इतनी तेजी से हो रही है यह गलत है। नहरें जो बड़ी-बड़ी हैं उनमें पानी आता है और बहुत-सा एरिया है वहां पर आप देखें कि छोटी नहरों में पानी नहीं जाता है।

हमारा जिला प्रतापगढ़ शारदा कैनाल सिस्टम के टेल पर पड़ता है। वहां पर पानी न आने की आम शिकायत है क्योंकि वह टेल पर पड़ता है तो वहां हम सिंचाई की व्यवस्था अपने जिले में नहीं कर पायेंगे। खास तौर से पट्टी तहसील को लीजिये, वहां पर केवल एक नहर बनाई गई है। पूरी तहसील में आप देखें एक नहर है मढ़ियाऊं ब्रांच। उसमें छोटी नालियां मिलती हैं। १/३ भाग में नहरों से खेती होती है। सरकारी नलकूप नहीं है। प्रतापगढ़ तहसील में उसके बीच में से सई नदी जाती है। उसमें बीच में होने के कारण वहां नहर नहीं है। कुंडा तहसील में नहरों की कुछ सुविधा है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ सुझाव केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने दिये हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप उन सुझावों पर सहृदयता से विचार करें।

हमने जब अपने क्षेत्र का दौरा किया तो लोगों ने शिकायत की नहर में पानी नहीं आता है। नहर की जो नालियां बनी हैं उनसे पम्पिंग सेट से जो लोग पानी ले जाते हैं तो उन पर नहर का रेट लगाया जाता है। ऐसा नियम आप बनायें कि अगर आपकी नहर से कोई पानी ले तो आप उससे सिंचाई का पैसा लीजिये लेकिन जब आपकी नहर में पानी नहीं जाता है, आपकी नहर से जो नालियां गई हैं उनसे पम्पिंग सेट से अगर कोई पानी ले जाना चाहे तो उसको इस तरह से पानी ले जाने की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि यह ऐसी बात नहीं है जिससे सरकार का नुकसान हो।

पैदावार बढ़ाने के लिये अगर आप यह गारण्टी कर दें कि हम हर उन्नतिशील बीज बोये हुये खेत में पांच बार पानी देंगे तो वह पैदावार बढ़ाना शुरू करें। लेकिन हमारी सिंचाई की जितनी योजनायें हैं वह इस तरह की गारण्टी देने की स्थिति में नहीं हैं। नियम बड़े कड़े हैं। नहर के दो सौ गज के अन्दर कोई पम्पिंग सेट लगाना चाहे तो नहर विभाग उसको नहीं लगाने देता। इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि इस तरह से जो कानून में सख्ती किसानों पर हो रही है वह न हो और उसमें थोड़ी ढील होनी चाहिये। जहां पर कुलाबा नहीं लगा है और कोई पम्पिंग सेट लगाना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत मिलनी चाहिये क्योंकि इससे वह उत्पादन बढ़ायेगा। अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र ने प्रश्न किया कि प्रतापगढ़ में ८० प्राइवेट ट्यूबवेल के कनेक्शन थे काट दिये गये।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे पांच मिनट का टाइम दे दें। तो जो ८० ट्यूबवेल्स थे बिजली विभाग द्वारा उनका कनेक्शन काट दिया गया। १० ट्यूबवेल्स तो ऐसे हैं जहां मैंने खुद जाकर देखा है और

खुद जानकारी प्राप्त की है। एक ग्राम में चिनुवां बहुत खास फसल होती है, वह बोया गया। जिसके पास दस और बीस बीघा खेती थी और जिनका प्राइवेट ट्यूबवेल था उससे दूसरे लोगों के खेत सींचे जाते थे परन्तु कनेक्शन काट दिया गया और उनकी सारी फसल सूख गई। मैं चाहता हूं कि जैसे खेती के बारे में अनिवार्य रूप से लगान देते हैं और उसका वसूल होना अगर सम्भव नहीं होता है तो न्यायालय में मुकद्दमा चला कर, कुर्की करा कर लगान वसूल किया जाता है तो जो सिंचाई वालों का रेट है वह मुकद्दमा दायर करके वसूल करें लेकिन कनेक्शन न काटा जाये। इस विषय में आपको अवश्य गौर करना चाहिये।

इसके बाद मेरे थोड़े से सुझाव हैं जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। हमारे जिले में डलमऊ (रायबरेली) कुलावा लिफ्टिंग प्रोजेक्ट खोला गया है। उसकी अन्य शाखा खोली गई है। उसका प्रबन्ध हमारे क्षेत्र में किया जाय। सई नदी में पानी रोक करके वहां पर वाटर लिफ्टिंग योजना बनायी जाय। इसके अलावा परियावां माइनर है जो ६ साल से खुदी है लेकिन उसमें पानी भी नहीं आता और बहुत-सी नहरें हमारे जिले में हैं जो आठ-आठ साल से सूखी पड़ी हुई हैं। किसानों का अभी तक मुआविजा नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि जमीन खसरा खतौनी में किसानों के नाम दर्ज हैं, लगान उसको देना पड़ता है। इस तरह की गड़बड़ियां हैं वह खत्म की जायं, उनको मुआविजा दिया जाय और साथ-साथ खाते में सही-सही इन्दराज किया जाय।

अब देवरिया जिले में जो योजना चल रही है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह गंडक नहर एक बड़ी योजना है और इससे पूरे का पूरा जिला और तहसील भी प्रभावित है। लेकिन फाजिलनगर के दक्षिण की तरफ कोई सिंचाई का जरिया नहीं है। वहां पर फाजिलनगर से बघरच तक एक छोटी शाखा खोली जाय। एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। किसानों को जो मुआविजा दिया जाता है वह ठीक समुचित रेट पर नहीं होता। बाजार के भाव से जो उसकी जमीन का मल्य हो उसी के आधार पर उसे मुआविजा दिया जाय लेकिन सरकारी रेट से जो निकलता है उससे किसानों को वास्तविक मुआविजा नहीं मिल पाता। फाजिलनगर के इलाके में जो रेट है उसके हिसाब से जो जमीन १५ हजार पये प्रति एकड़ बिकती है उसी रेट से उसको मुआविजा मिलना चाहिये।

इसके अलावा कुछ जिले हैं जहां कि नहरों और बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे जौनपुर और प्रतापगढ़ की सीमा पर जौनपुर जिले के जो गांव विशुनवट, अहरौली, बनकट और राजाबाजार हैं वहां तक तो बिजली है लेकिन उनके बगल में ही प्रतापगढ़ जिले की सीमा के अन्दर जो लगे हुये गांव हैं उसरौली, पठखौली, पांडेय का पुरवा और फतूपुर में वहां पर बिजली नहीं पहुंची है। वहां पर जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचनी चाहिये। इसका विस्तार पट्टी तहसील में किया जा सकता है। पट्टी इतनी बड़ी तहसील है कि वहां बिजली का होना बहुत जरूरी है। अब समय नहीं है, इसलिये केवल इतना कहूंगा कि श्री के० एल० राव साहब की जो रिपोर्ट है उस पर आप ध्यान पूर्वक विचार करें और हमारे जिले को भी अपनी योजनाओं में अवश्य रखें।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आशा करता था कि माननीय सिंचाई मंत्री जी के भाषण के बाद हमारे विरोधी दल के सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं लायेंगे केवल अपनी क्षेत्रीय असुविधाओं की बातें कह कर इस बजट का समर्थन करेंगे लेकिन दुख है कि इतनी बातें समझ लेने के बाद भी, सिंचाई मंत्री जी का इतना अच्छा काम जानने के बाद भी उन्होंने इसमें कटौती के प्रस्ताव लाने की बात सोची। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि सिंचाई विभाग में जितना अधिक

[श्री रामकिशोर शुक्ल]

काम हो रहा है वह हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी जैसे अनुभवी व्यक्ति के कारण है। जब-जब उनके हाथ में यह विभाग आया है तब तब इसमें हमेशा सिंचाई और बिजली का काम बहुत बढ़ा है और इस वक्त हमारे सौभाग्य से यह विभाग पुनः उनके हाथ में है। हमें उम्मीद है कि इससे जनता और किसानों का भला होगा। सिंचाई का कार्य जो योजनाओं से पहले बहुत कम था वह दुगुन से भी अधिक बढ़ गया है। बहुत-सी बड़ी-बड़ी और बहुत-सी छोटी-छोटी योजनायें बना कर किसानों को सिंचाई के साधन दिये जा रहे हैं। जो लघु सिंचाई योजनायें बनाई गई हैं उससे करीब १४ या १५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में १८० लाख एकड़ पर सिंचाई की योजना चलाई जावेगी। ऐसी स्थिति में सभी माननीय सदस्यों को इस बजट का समर्थन करना चाहिये था। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना उचित समझता हूं। मेरा क्षेत्र इलाहाबाद जिले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र जमुनापार का करछना और मेजा तहसील है जो कई वर्षों से सूखे से पीड़ित है वहां पर जो एक कैनाल बनाई गई है उसमें पानी कभी नहीं आता। करछना और मेजा का जो उत्तरी क्षेत्र है और जो सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है, जहां की जमीन ६ और ७ हजार रुपये प्रति एकड़ बिकती है वहां के लोगों के लिये, किसानों के लिये ट्यूबवेल्स की व्यवस्था की जाय तो उस जमीन की उपज और उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।

करछना तहसील के पनासा, रामगढ़, बसही, बीरपुर, ता० पनासा, पिपराव, मझुआ, गौरा, डीहा, सेमरहा, बबुरा, गड़ैला, घोड़ेडीह, देहली, भगेसर, कटका, भेड़रा, महेवा, (कुंजल बैस का पूरा), बेन्दो, झीरी लच्छीपुर, घोरहट, बस्तर, भुंडा, डाडो, बीरपुर, टकटैया (गोजहा) इन गांवों में नलकूप लगाने की योजना बनाई जाय। इसी प्रकार से मेजा तहसील में भी समहन, कठौली, बगहा, उपरौरा, चौकी, बरी, खानपुर, रामनगर, जेवनिया, अठखरिया, कुंवर पट्टी, रैपुरा, पारानीपुर, बरवा, मदरा, परवा, अनन्तापुर, आन्धी, मौनाई, सौनाई, चतुर्भुजपुर, गोशवरा, आदि गांवों में नलकूप लगाने की योजना बनाई जाय क्योंकि इन स्थानों पर नहर का पानी नहीं पहुंचता है। जो नहरें बनी हैं वह ऐसी बनी हैं कि उनसे आज तक पानी एक बूंद वहां नहीं पहुंचा है। मेरा सुझाव यह है कि जहां पर नहर से सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर नलकूप लगाये जायं।

इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में बाढ़ आने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। गंगा और टोंस नदियों के कई नाले आते हैं। उनसे बाढ़ आ जाती है जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। यदि मेजा में जरा नाला और करछना में देहली भगेसर तथा पनासा नालों पर बांध बांध कर इन्तजाम कर दिया जाय तो उससे किसानों के खेत बच सकते हैं और सिंचाई की भी व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है। लिफ्ट योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में टोंस नदी पर भगनपुर में एक योजना चलाई जाय। गंगा नदी पर भी इसी प्रकार से लिफ्ट योजना लागू करके अछोसा के पास बहुत भूमि के लिये सिंचाई के साधन पैदा किये जा सकते हैं। गुलिरिया बांध से जो नहर निकाली जायगी उसको महुआव खुर्द से साढ़ी उमान गांवों तक बढ़ा दिया जाय। वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। उनको सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। मेरे क्षेत्र से मिला हुआ हंडिया तहसील में एक गोड़री स्थान पर नाला है। वहां पर श्री के० एल० राव जा चुके हैं और उस नाले पर बांध बनाने की नींव भी वह डाल चुके हैं। वह पत्थर कई साल से खड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि उस नाले को बांधने की व्यवस्था की जाय। बहुत पहले भुंगवेरपुर में एक लिफ्ट योजना थी। उससे किसान पूरी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उस भुंगवेरपुर की लिफ्ट योजना को चालू करने की कृपा की जाय।

दूसरी बात मंत्री जी से मुझे यह निवेदन करना है कि नहर के रेट और नलकूप के रेट अपने प्रदेश में अधिक हैं लेकिन जो पतरौल है वह जो सिंचाई नहर से किसान नहीं करता है उनका नाम भी लिख लेते हैं और सिंचाई की पर्ची उनके नाम भी काट देते हैं चाहे उन किसानों ने सिंचाई की हो या न की हो। इससे किसानों को परशानी होती है। अधिकारियों से कहते हैं तो वे कहते

है कि अपील कीजिये तो छूट हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस बात का प्रयत्न किया जाय कि पर्चा न कटे। इन शब्दों के साथ इस बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो आपने मुझे आज इस सिंचाई के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का बहुत बड़ा भाग है जहां पर ८५ फीसदी लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। आज हमारे प्रदेश का किसान अपनी अटूट मेहनत से अपने खेत में उत्पादन करता है और वे मसलाधार बारिश और माघ के जाड़े व शीत को सहते हुए अपने खेतों में काम करते हैं। किन्तु खेद इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने शासन काल के २० वर्षों में सिंचाई की तरफ कोई विशेष कदम नहीं उठाया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे मिर्जापुर जिले में बड़े-बड़े बांध बांधे गये, बड़े-बड़े बिजली के स्थान बनाये गये--जैसे--रिहान्द, ओबरा आदि। लेकिन मिर्जापुर जनपद को उनसे कोई विशेष फायदा नहीं है। धवरौल बांध, नगवा बांध हमारे जनपद मिर्जापुर में है लेकिन उनसे हमारे जिले का कोई भी भाग सिंचित नहीं होता है। इनसे अधिकांश भाग बनारस और इलाहाबाद जिले में सींचा जाता है। इस कारण से हमारा जनपद सूखे से ग्रस्त है। जब सरकार से कहा जाता है कि हमारे जनपद की ओर वह ध्यान दे तो सरकार यह कहती है कि हम मिर्जापुर जनपद को सबसे ज्यादा अनुदान देते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से मेरी केवल एक चीज की मांग है कि जो हमारा पानी है वही मिर्जापुर जन पद को दे दिया जाय। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से मेरा यह भी निवेदन है कि सोन नदी का पानी धवरौल और नगवा बांध में गिरा कर लिफ्ट योजना द्वारा पूरे मिर्जापुर जिले में सिंचाई हो सकती है और साथ ही साथ बनारस और इलाहाबाद का जनपद भी अच्छी तरह हरा भरा हो सकता है।

संविद सरकार के समय सिटी ब्लाक में कठिनई और सिंघौराघाट में लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई के लिये सर्वेक्षण भी किया गया था, ऐसा मुझे मालूम हुआ है, किन्तु माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा मुझे ऐसा आभास मिला कि केवल कठिनई लिफ्ट योजना को चालू करने का आश्वासन उन्होंने दिया है और सिंघौरा घाट के लिये उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में सिंघौराघाट और कठिनई दोनों के लिये लिफ्ट योजना की बात को वे स्वीकार करें और सरकार उसको अपने हाथ में लेकर उन्हें चालू करने की व्यवस्था करे।

कृषि के लिये नलकूपों का भी बहुत बड़ा सहयोग होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे जो कोन ब्लाक, सिखर ब्लाक और गंगापार का ब्लाक है जिसे अब सिटी ब्लाक कहते हैं, वहां पर ट्यूबवेल्स लग जाने चाहिये थे। जैसे जेसरा गांव में--वहां संविद सरकार के समय ट्यूबवेल लगाने के लिये सरकार की ओर से निरीक्षण हो गया था लेकिन न मालूम क्या हुआ कि वह नहीं लगा जब कि वहां किसी नहर से सिंचाई नहीं हो सकती है इस लिये वहां पर ट्यूबवेल्स होने चाहिये। यदि सिंचाई मंत्री जी वहां ट्यूबवेल्स न दें तो वहां सरकार की तरफ से बिजली लाइन दें ताकि जनता अपने निजी ट्यूबवेल्स लगा सके।

हमारी सरकार नये-नये बीजों के बोने के लिये सुझाव देती है किन्तु वह ठीक टाइम से पानी नहीं दे पाती। जबकि गेहूं की नयी वैराइटी के लिये ५-५, ६-६ पानी चाहिये और सरकार पूरा आश्वासन देकर बोवाती है कि ५ पानी हम देंगे लेकिन किसान जब बो लेता है उसके बाद पानी पाना उसके लिये दुर्लभ हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नलकूप का जो एरिया ३०० एकड़ किया है वह बहुत ज्यादा है। मैं अनुरोध करूंगा कि उसे घटा कर २५०-२७५ एकड़ कर दिया जाय तो इससे काफी राहत जनता को मिलेगी।

[श्री राम निहोर राय]

दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जो गंगा लिफ्ट योजना चल रही है उसका रेट बहुत ज्यादा है जिससे गरीब छोटा किसान उससे लाभान्वित नहीं है। अतएव उसका रेट नहर के रेट के बराबर कर दिया जाय तो उससे राहत मिल सकती है। पम्पिंग सेट के विषय में माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसके लिये बिजली लेने के लिये किसान दौड़ता और परेशान होता है। हाइडिल विभाग के कर्मचारी काफी घूस लेते हैं और जब तक वह घूस नहीं देता है तब तक काफी परेशान किया जाता है। जबकि ४ फर्लांग को छूट दी गयी है, हमारे गांव में एक व्यक्ति है जिससे पूरा रुपया जमा करा कर तब उसको बिजली दी जा रही है। समझ में नहीं आता कि सरकार यहां पर कुछ कहती है और उनके कर्मचारी कुछ और करते हैं। आज बड़े-बड़े पूंजीपतियों को २-२, ३-३ पैसे यूनिट पर बिजली दी जाती है और किसानों को १५ पैसे पर यूनिट सरकार देती है, तो इस प्रकार छूट देनी चाहिये। इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिनिमम चार्ज किसानों से साढ़े नौ सौ, १२०० रुपया साल बिजली का लिया जाता है इसको समाप्त करके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसान जितनी बिजली खर्च करे उतना ही उससे वसूल किया जाय। इसके साथ-साथ आपके कर्मचारी बिलों में काफी गड़बड़ी करते हैं जिससे किसान काफी परेशान रहते हैं, अंट संट बिल बना कर भेज देते हैं और किसान बहुत परेशान होता है तब उसको संशोधन करके कम करते हैं। मैं समझता यह हूं चीज सभी विधायकों के सामने आयी होगी? अतः इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री विशम्भरसिंह यादव (जिला इटावा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक खेतिहर राज्य है। इसमें ५२३ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें काश्तकारी अच्छे ढंग से हो सकती है, जिसमें से अधिक ऐसी है जो बहुत उपजाऊ है। यहां की जलवायु कृषि योग्य है, लेकिन दो फसली क्षेत्र बहुत कम है। जलवायु अच्छी होने से दो से अधिक फसल यहां पर आसानी से हो सकती हैं। प्रदेश में लगभग ४३० लाख एकड़ जमीन पर खेती होती है और १३० लाख एकड़ ऐसी है जिसमें कि दो या दो से अधिक फसल होती हैं। दो फसली क्षेत्र इतना कम होना यह माने रखता है कि यहां पर सिंचाई साधन बहुत कम है अतः उनका प्रसार करना अत्यन्त ही आवश्यक है।

मान्यवर, ८० सेन्टीमीटर वर्षा होती है और वर्षा लगभग जुलाई और अगस्त के महीने में होती है और वह भी वर्षा या तो बहुत देरी में होती है या जल्दी समाप्त हो जाती है जिसकी वजह से यहां पर खरीफ और रबी दोनों फसलों पर बुरा असर पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में भी या तो वर्षा होती ही नहीं है या होती है तो बहुत कम होती है जिससे कि दोनों फसलें खत्म हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से शासन से प्रार्थना है कि आज की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यहां दो फसली क्षेत्र को बढ़ाया जाय और वह तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि सिंचाई के साधन बढ़ जांय।

मैं इटावा जिला के ६६-६७ के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। वहां का क्षेत्रफल १११२.८ हजार एकड़ है जिसमें कि कृषि योग्य ८२२.२ हजार एकड़ है, बोया हुआ ७०३.८ हजार एकड़ है और राजकीय सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित ३०३.२ हजार एकड़ था। योजना के पूर्व और योजना के पश्चात् ३५३.६ हजार एकड़ हुआ और १९६७-६८ के अन्त में ३५४.९ हजार एकड़ था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि असिंचित क्षेत्र बहुत ज्यादा है। मान्यवर, यहां पर खाद्यान्न को बढ़ाने के लिये उन्नतशील काश्त का होना बहुत आवश्यक है और उन्नतशील काश्त का नहरी क्षेत्र में होना सम्भव नहीं है क्योंकि नहरों से पानी बहुत कम मिल पाता है। उन्नतशील काश्त के लिये करीब ५, ६ और ८ पानी तक की आवश्यकता होती है। इसके लिये कुओं, पम्पिंग सेटों, निजी टयूबेल आदि का प्रसार होना चाहिये। इसके लिये जो अनुदान बन्द कर दिया गया है वह फिर से चालू किया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय नें राजकीय नलकूपों की ओर से मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा। सरकारी नलकूप बहुत ज्यादा बनाये गये। उस पर बड़ा खर्चा किया गया है। एक नलकूप पर ५०-६० हजार रुपया खर्च होता है। खेद है कि इतना खर्चा होते हुए भी किसानों को जितना फायदा होना चाहिये उतना नहीं पहुंच पाया है। इसका मूल कारण है इस काम में अधिकारियों का उदासीनता का होना। आपरेटर या कूप रक्षक किसानों को परेशान करते हैं और जब तक रिश्वत नहीं लेते पानी नहीं देते हैं। रिश्वत न पाने पर कोई न कोई उसमें खराबी बतला देते हैं और जो रुपया देता हैं उसको पानी दे देते हैं। इसके लिये श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि कई ट्यूबवेल्स के बीच में एक बिजली का काम करने वाला आदमी रखा जाय और एक आदमी मशीन को ठीक करने वाला रखा जाय ताकि जो खराबी आये तो जल्दी दूर हो सके।

मान्यवर, ऊपर के अधिकारियों की तरफ से नीचे के अधिकारियों को थोड़ी सी ताड़ना मिलनी चाहिये और कुछ ऐसा हो जाना चाहिए जिससे यह ठीक से चले। इनमें जो आने जाने के मार्ग हैं वे भी नहीं हैं। नतीजा यह है कि अगर ऊपर शिकायत करते हैं तो अधिकारी आने जाने के मार्ग न होने के कारण जाते नहीं और जो कुछ कार्यवाही करते हैं वहीं बैठकर कर लेते हैं। इसलिए राजकीय नलकूपों पर आने जाने के मार्ग ठीक होने चाहिए।

मान्यवर, एक चीज यह कहनी है कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं उनको ठीक से मुश्तहरी नहीं होती। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि अब सुदूर गांवों में भी अखबार जाते हैं तो उनमें इन चीजों की मुश्तहरी करा दी जाया करे। अभी तो यह है कि बीच के कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं और जब अनुदान वगैरा का टाइम निकल जाता है तब कहीं दूसरे लोगों को मालूम हो पाता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के अनुदान पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिये अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस समय हम बिलकुल निर्माण के युग में चल रहे हैं। हमारी तीन योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और चौथी योजना में प्रवेश किया है। चौथी योजना में सिंचाई के सम्बन्ध में जो बजट है हमारे प्रदेश का उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस सदन में कुछ और पैसा माननीय सिंचाई मंत्री को सरकार से मांगना चाहिए था। यह बात ठीक है और इसे मान लेना चाहिए कि पिछले दो चार वर्षों से जहां तक अन्न उत्पादन का सवाल है हम उसमें बढ़ोत्तरी कर रहे हैं जिसका मुख्य श्रेय सिंचाई विभाग को है। यह भी मान लेता हूं कि पहले के बनिस्पत आज जो सिंचाई व्यवस्था है वह ठीक है। इस सिलसिले में एक बात मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि मेरे कुछ सुझाव हैं वे नोट कर लें। उनसे आशा है कि वे उनके लिए और उनकी सरकार के लिए लाभदायक होंगे। एक बात मैं बताऊं कि जितना रुपया इसमें खर्च किया गया उस हिसाब से जितना काम हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है। इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार रहा है अधिकारियों के द्वारा। एक ही भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप हमारे देवरिया जनपद से पूर्णतः परिचित हैं। जब आप इससे पूर्व सिंचाई मंत्री थे तो आपके द्वारा सिंचाई की तरफ अधिक ध्यान दिया गया। आगे के लिए भी हम आशा करते हैं हमारे यहां की जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने की सहर्ष कोशिश करेंगे। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। छितौनी बांध आपके विभाग ने निर्मित करवाया था और आज भी वह आपके ही विभाग में है। मिर्जापुर से पत्थरों के टुकड़े छितौनी बांध पर भेज गये ताकि कटाव रुक जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि कटाव वहां अभी भी जारी है। वहां जो बोल्डर्स आते हैं वे वैगन्स में लोड हो करके आते हैं। लोडिंग मुगलसराय

[श्री मंगल उपाध्याय]

स्टेशन पर होती है। रेलवे विभाग वैगन्स को तोलता है और तौलने के पश्चात् ही अपना किराया भी लेता है। आपके विभाग में १०० मन बोल्डर्स के लिए ८० घनफुट माना जाता है। तो वहां पर बोल्डर्स मन में होते हैं और घनफुट आपके विभाग में बनाये जाते हैं। उन बोल्डर्स की डिलीवरी खडड़ा स्टेशन पर होती है। अगर मान लिया जाए कि एक वैगन में २२ टन लोड हुआ तो उसका घनफुट ४८० होना चाहिए। जो आप के ओवरसीयर या इंजीनियर उसे अपने कब्जे में लेते हैं वे ४८० घनफुट की जगह पर ५८० या ६०० घनफुट लिखते हैं। हमको यह रिपोर्ट मिली है कि लाखों रुपये प्रति वर्ष वहां से चन्द आदमियों के द्वारा गोलमाल किये जाते हैं। ये आदमी आपके ही विभाग के हैं। इस विषय में हमारी एक राय है। सम्भवतः आपके विभाग में एक टक्निकल आडिट सैल है। मैं निवेदन करूंगा कि इस सैल के जरिये से इन्क्वायरी करायी जाए ताकि जो रुपये का दुरुपयोग हो रहा है वह बच सके।

अब मैं आपका ध्यान दूसरी चीज की ओर दिलाना चाहता हूं। गोरखपुर में नारायणी केनाल पहले से निर्मित है। यह गंडक केनाल से भी पहले से है। कुछ लोगों ने मुझे एक कागज दिया था। मान्यवर, आपको सुनकर हैरत होगी कि जो नहर है उसमें गूल नहीं है। नियमों में यह था कि गूल बनाने में जो खर्चा आयेगा वह किसानों से लिया जायगा। तहसीलदार के यहां से कुर्क अमीन। कलक्शन अमीन जमाबन्दी लेकर गये और उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुम पर इतना रुपया बकाया है। वे आदमी मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि जाकर उनसे जमाबन्दी छीन लो क्योंकि वह फर्जी है और जिलाधीश को उसके विषय में दरख्वास्त दी। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह शीघ्र इसकी जांच करायें।

कैप्टनगंज ब्लाक में गबन के सिलसिले में मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि वहां १ लाख रुपये से अधिक का गबन हुआ है। फर्जी पम्पिंग सेट्स का वितरण हो गया। किसी किसान के नाम पर ४ हजार रु०, किसी से ५ हजार रु० और किसी से २ हजार रु० ले लिए। ग्राम सेवक और बी० डी० ओ० ने मिल करके किसानों के नाम पर लाखों रुपये गबन कर डाले। मुझे प्रसन्नता है कि इसकी जांच हो रही है। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विभाग की ओर ध्यान दें ताकि इस किस्म की चीजें न होने पायें।

सिंचाई विभाग में बहुत गड़बड़ियां हो रही है और रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। यह दुरुपयोग वही आफिसर्स कर रहे हैं जो कि वहां पर है। जहां पर विदेशी इन्जीनियर्स इस कोशिश में हैं कि कैसे मंगल ग्रह पर पहुंचा जाय, वहां पर हमारे देश के इंजीनियर्स रचनात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं। वे चोरी करने ही की बात सोचते हैं। मैं सब इंजीनियर के लिये यह नहीं कह रहा हूं। मान्यवर, मैं एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि जब नहर निकल रही थी तो किसानों की तरफ से उसमें कोई रुकावट न पड़े और सैकड़ों एकड़ जमीन किसानों से दिलवाई ताकि गण्डक केनाल प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाय और लोगों को फायदा पहुंचे। लेकिन आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि नारायणी केनाल का निर्माण ८ साल पूर्व हुआ था परन्तु आज तक मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। आज भी वह खेत किसानों के नाम में है और उनका उन्हें लगान देना पड़ता है। आप इसका सर्वे कराइये और इस शिकायत को दूर कराइये। यह बात विभाग के ऊपर एक तरह का ब्लाट है और फौरन दूर होना चाहिये।

इस सिलसिले में मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि जब आप देवरिया गये थे तो बतलाया गया था कि जहां गण्डक योजना से सिंचाई होने वाली है वहां अभी चकबन्दी नहीं हुई है। मान लीजिये कि एक गांव से नहर बनाने में ५ एकड़ जमीन निकल जाती है वह जमीन सामूहिक निकले चकबन्दी हो जाती वह जो जमीन निकास के लिये छोड़ी जाती है उससे पूरी की जा सकती है। इसी तरह से नहर के लिये भी जमीन छोड़ी जा सकती है, जिसे नहर में जमीन

जाने वाले लोगों को दी जा सकती है तो इस पर विचार किया जाय और किसानों की सहायता की जाय।

दूसरी बात यह है कि जहां नहरें निकलती हैं वहां के बारे में मैंने इंजीनियर्स से पूछा कि पुल का क्या हिसाब रहता है। तो उन्होंने बतलाया कि एक मील में दो पुलियां होंगी। तो जब ऐसा होगा तो आप समझें कि नहर के इस पार आपका मकान है और उस पार खेत है तो एक मील का चक्कर लगाकर खेत पर पहुंच सकेंगे। इसमें बड़ा समय लगेगा। आने-जाने में दो मील चलना पड़ेगा। तो मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि अधिक पुलियां बनवाने के आदेश दें। इससे किसानों का भला होगा और उनका समय बर्बाद नहीं होगा।

एक चीज की तरफ और मुझे ध्यान दिलाना है और आपको मैंने इस बारे में प्रार्थना-पत्र भी दिया है। छितौनी में बांध एवं गन्डक प्रोजेक्ट में १० वर्ष में २० हजार एकड़ से अधिक जमीन कट गई है। जिन लोगों की जमीन कट गई है वह मारे मारे फिर रहे हैं। आपके जंगल विभाग की जमीन वहां पर है तो जिन गांवों की जमीन कट गई हैं उनको वहां जमीन दी जाय। जो जमीन कटने से रह गई थी उसको भी आपने बांध को बचाने के लिये ले लिया है। उस समय जिलाधीश ने आश्वासन दिया था कि तुम लोगों को आबाद होने के लिये और खेती के लिये सरकार की तरफ से जमीन दी जावेगी। तो उन किसानों की तरफ से आपसे निवेदन है और प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कि उनका ध्यान करते हुये आप उनको जमीन दिलान का प्रयत्न करेंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बोलने के लिये जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और साथ ही माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं इन अनुदानों को यहां पेश करने के लिये। श्रीमन्, सिंचाई का विषय ऐसा है जिससे हमारे प्रदेश के पूरे देहाती क्षेत्र का सम्बन्ध है। इसी सिंचाई विभाग के द्वारा आज हमारे प्रदेश में जो अन्न की कमी थी उसकी थोड़ी सी पूर्ति हो रही है। लेकिन अभी सिंचाई के साधन बहुत कम है और इसी कारण अपने देश में जो गल्ला पैदा होता है वह बहुत ही कम होता है और गल्ले के लिये हमें दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता है। अगर सिंचाई के साधन भरपूर हो जायं तो हमें दूसरे देशों से गल्ला न मंगाना पड़े। माननीय मंत्री जी जब सिंचाई मंत्री थे तब पिछली पंचवर्षीय योजना में हमारे जिले में करीब २० ट्यूबवेल लगवाए गये थे और उसका नतीजा यह हुआ कि आज वहां पर भरपूर अन्न पैदा हो रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल्स् नहीं लगे हैं वहां के किसान दुखी हैं। पानी न होने के कारण अन्न के लिये तरस रहे हैं।

आज जो अनुदान सिंचाई के सम्बन्ध में रखे गये है करीब ४३-४४ करोड़ के, इससे हमारा प्रदेश थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन आज यह साधन भी बहुत कम हैं। इसके लिये तो सरकार को, विशेष रूप से जबकि आज हमने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया है, ज्यादा से ज्यादा धनराशि रखनी चाहिये जिससे सिंचाई के साधन बढ़ाकर अन्न की समस्या पर काबू पाया जा सके और दूसरें देशों से अन्न न मंगाना पड़े। बड़े लोग तो ट्यूबवेल लगा लेते है लेकिन छोटे लोग, सवा छः एकड़ से कम वाले नहीं लगवा पाते हैं। उनकी हालत सांप-छंछूदर की तरह से है। अगर किसी बगल के नलकूप से पानी लेते है तो तीन रुपया और चार रुपया घंटे के हिसाब से मिलता है और वह भी पूरा नहीं मिलता है। इसलिये इस मद पर जितना भी खर्च किया जाय वह कम है।

माननवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहता हूं। हमने एक सवाल भी किया था। हमारे क्षेत्र में करीब १४ नलकूप लगे हैं लेकिन ७ ऐसे हैं जो बेकार पड़े हैं और आज तक उनकी

[श्री गंगा प्रसाद]

मशीनरी खराब पड़ी हुयी है। बनाने के लिये कई बार लिखा भी और माननीय मंत्री जी से कहा भी लेकिन आज तक वह नलकूप ठीक नहीं हुए जिसके कारण वहां के किसानों का गन्ना बर्बाद हो गया। श्रीमन्, हमारे यहां का किसान बहुत गरीब है और लगान देने में असमर्थ है। वह चाहता है कि हमारे बिगड़े हुए नलकूप ठीक हों जिससे वह सिंचाई कर सके और अधिक अन्न का उत्पादन कर सके।

मान्यवर, आज सरकार दो तरह की नीति अख्तियार किये है। शहरों के लिये जो कर्ज देती है वह ३ प्रतिशत सूद पर देती है और हम लोग जो कर्ज लेते हैं सिंचाई के लिये तो ९ प्रतिशत पर देती है। हमें खेती को भी एक उद्योग मान लेना चाहिये और उद्योग मान कर नलकूप के लिये ३ प्रतिशत सूद पर कर्जा देना चाहिये जिससे कि सिंचाई के साधन बढ़ सकें। शहरों में उद्योग के लिये जिस प्रकार ३ प्रतिशत सूद पर कर्जा देती है उसी तरह से हमें भी सिंचाई के लिये मिलना चाहिये जिससे कि सिंचाई के साधन बढ़ा कर अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकें।

हमारे यहां ७१,५६२ एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती होती है। साथ ही एक लाख एकड़ के जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो खाली है, जिस पर पानी के साधन न होने के कारण खेती नहीं होती। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे हमारे यहां का सर्वे कराकर यदि किसी तरह उस भूमि को सिंचित करा दें तो उससे काफी पैदावार बढ़ सकती है। कहा गया कि १४ नलकूपों से हमारे यहां १३,५४२ एकड़ जमीन सिंचित की गयी है, लेकिन अगर उसको देखा जाय तो वह सिंचित नहीं मिलेगी। आप यह भी ठीक तरह से सर्वे करा के देखें कि आपका एक नलकूप कितना पानी दे सकता है। आपको चाहिये कि जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां आप पानी मोहइया करने की व्यवस्था करें। जहां नलकूपों की आवश्यकता है वहां नलकूप लगाये जायं जिससे किसान अपने खेतों को भरपूर पानी दे सकें और अच्छी उपज पैदा कर सकें।

एक बात मैं नलकूप आपरेटर्स के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां के जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, बहराइच हैं उन्होंने ६५ आपरेटर्स का तबादला कर दिया है और माननीय मंत्री जी को इनके बारे में प्रार्थना-पत्र दिया था, मंत्री जी ने बदली के आदेश को रद्द कर दिया है। फिर भी श्री सैयद अली नकवी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जब माननीय मंत्री का बदली का आदेश रद्द करने के लिये गया तो देखकर आग बबूला हो गया और तुरन्त नलकूपों पर जाकर जबरदस्ती से आपरेटरों को बदली कराया, और जो नहीं मिले उनको मुअत्तल किया, वेतन रोक दिया, जिसने उनके आदेशों को नहीं माना उनको सस्पेंड कर दिया गया या नौकरी से निकाल दिया गया। उनके साथ बड़ी सख्ती की जा रही है। ९ महीने हो गये, मगर आज तक उनके मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस ओर तुरन्त ध्यान दें और उनके ट्रांसफर के आदेश वापस लेने की कृपा करें। इसके साथ ही जहां-जहां नलकूप नहीं हैं वहां नलकूप लगाने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री नैपाल (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग से संबंधित अनुदानों पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया। मैं कुछ मूल बातों की ओर ही चर्चा करूंगा तथा अपने सुझाव दूंगा। मान्यवर, सिंचाई का विषय केवल प्रदेशीय विषय ही नहीं है, पूरे देश से संबंधित यह विषय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका संबंध सीधे तौर पर कृषि उत्पादन से है। बिना सिंचाई के कृषि के उत्पादन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन खेद का विषय है कि २२ वर्ष आजादी मिलने के बाद भी आज तक हम अन्न के मामले में आत्म-निभर नहीं हो पाये ह जिसका कारण सिंचाई के साधनों का अभाव ही है।

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३५१
३१---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या
३२---सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८---बहु-प्रयोजनीय नदी
योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९---
सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

इस सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगों को ही महत्व दिया है और सिंचाई की सदा उपेक्षा की है। यदि जितनी धनराशि हमने बाहर से अन्न मंगाने में खर्च की है, उसका एक-चौथाई भी सिंचाई के साधनों पर खर्च कर देते तो आज हम खाद्यान्न की दिशा में आत्म निर्भर ही नहीं हो जाते बल्कि दूसरे मुल्कों को भी भेजने में समर्थ हो जाते। लगभग चालीस अरब रुपये का अन्न हमारी केन्द्रीय सरकार हमारे लिये मंगा चुकी है। यह देश के लिये बड़े शर्म और गैरत की बात है। इतने लम्बे अरसे में भी हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण समस्या को नहीं सुलझा पाये हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण सिंचाई के साधनों का अभाव ही है।

नये-नये बीजों और नई-नई खादों के चलने से और अनुसंधानों से बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सिंचाई के साधनों की भी बढ़ोत्तरी की जाय और इसको ज्यादा महत्ता प्रदान की जाय। आज पूरे प्रदेश की लगभग २१ करोड़ भूमि में ९ करोड़ एकड़ भूमि ही सिंचित है। १२ करोड़ एकड़ भूमि पानी से वंचित है और फिर हम आशा करते हैं कि हम उत्पादन में और खाद्यान्न में स्वावलम्बी हों। मान्यवर, सिंचाई का सीधा सम्बन्ध कृषि उत्पादन से है। एक के बिना दूसरे का महत्व नहीं है यानी वे एक दूसरे के पूरक हैं। आज अपने प्रदेश में भी २२२.७० लाख हैक्टर भूमि में फसलें बोई जाती हैं और १७४ लाख हैक्टर भूमि में शुद्ध कृषि की जाती है परन्तु सिंचाई के कितने साधन हम उपलब्ध कर पाये हैं। इसको देख कर हमें निराशा होती है और इसमें हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सन् १९६१-६२ में हम केवल ५० और ५३ लाख हैक्टर भूमि के बीच ही कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकें और इस प्रकार हम देखते हैं कि कितना थोड़ा परसेंटेज हम कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का उपलब्ध कर पाये। कुछ थोड़े से आंकड़े जो मेरे पास हैं उनसे प्रतीत होगा कि हम सिंचाई की सुविधाओं में कितने पीछे हैं। ये आंकड़े चौथी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हैं।

मान्यवर, १९५०-५१ में हमारे कुल प्रदेश का सिंचित क्षेत्र ५१,७८,८३६ हैक्टर था। १९५५-५६ में वह ५०,०५,१८३ हैक्टर था। १९६०-६१ में वह ५५ २८,३८० हैक्टर था। १९६५-६६ में वह ६५,७६,५६९ हैक्टर था और १९६७-६८ में वह ७१,२१,५०१ हैक्टर था। इस प्रकार हम देखते हैं सन् १९६७-६८ में भी हम अपनी कृषि योग्य भूमि में ५० प्रतिशत साधन भी नहीं जुटा पाये और इस प्रकार जो विभिन्न साधन हमारे पास हैं जिनसे सिंचाई होती है, जैसे नहरें, नलकूप आदि उनके परसैन्टेज से और स्पष्ट हो जाता है। नहरों से सिंचित क्षेत्र १९६६-६७ में ३८.३ प्रतिशत है। नलकूपों से १७.९ प्रतिशत है। कुओं से ३४.६ प्रतिशत है और तालाबों से ५.५ प्रतिशत है तथा अन्य साधनों से ३.७ प्रतिशत है। इस प्रकार मा यवर, हम देखते हैं कि हमारी सिंचाई की जो प्रगति है वह बहुत पीछे है। चाहे हम कहत रहें कि हमने सिंचाई क बहुत साधन जुटाय ह। यह प्रगति जिस रफ्तार से होनी चाहिये वह नहीं हुई।

सिंचाई का सबसे मुख्य साधन जो हमारे पास है वे नहरें हैं। नहरों की हमने बड़ी-बड़ी योजनाय बनाईं। अगर उनकी लिस्ट बनाने लगे तो एक घंटा लग जाय। हम उनको व्यावहारिक रूप से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले जो नहरें खोदी गई थीं उनमें पानी बूंद भी नहीं आया। उन योजनाओं को जिनको हम चालू करते हैं उसमें हम उस प्रगति से काम नहीं करते जिससे प्रगति होना चाहिये। जो नहरें हैं, योजनायें हैं उस विषय में न जा करके जो वर्तमान नहर हैं उनके विषय में आपके सामने मैं बताना चाहता हूं।

हमारी एक पूर्वी यमुना नहर है जो कम से कम तीन जिलों से संबंध रखती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ। इस नहर का संबंध जिले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से है।

[श्री नैपाल]

इसके हेड वर्क्स में १५ साल से खराबी है और शीर्ष के भाग से ३ मील तक वह खराब है, उसमें रेत आ जाती है लकिन उसकी अभी तक कोई स्थायी योजना नहीं बनी है कि वह खराबी दूर हो सके।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि पिछले अप्रैल महीने म वह उसे स्वयं देखने गये थे और उसके संबंध म केन्द्रीय सरकार ने एक योजना साढ़ १४ करोड़ की बनाई है और अपनी सरकार ने भी ८ किलोमीटर से ऊपर एक खारा योजना बनाई है। म आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी नम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि वह इस योजना को जल्द से जल्द कार्यान्वित करायें ताकि किसानों को उसका लाभ ठीक से पहुंच सके। जो विवाद हरियाणा सरकार और हमारी सरकार के बीच नहर के पानी के बारे में चल रहा था उसमें एक तिहाई पानी हमें मिलने की बात तय हुई थी लेकिन नहर के मुहाने में खराबी होने के कारण से उतना पानी भी हमारे यहां नहीं मिल पा रहा है और हमारे किसान पानी से वंचित रह जाते हैं और जितना उनकी फसलों को लाभ होता वह नहीं हो पा रहा है। मालूम होता है कि इस दिशा में उपेक्षा की गई है और जो कार्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह तुरन्त इस योजना को लागू करायें।

नहरों के संबंध में मेरा सुझाव यह है कि अक्सर यह देखा जाता है कि ६० प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी इस विभाग में ऐसे हैं जिनको कृषि का ज्ञान नहीं है। बहुत से कर्मचारी और अधिकारी विभाग में ऐसे हैं कि जिनको यह भी मालूम नहीं है कि गेहूं और दूसरी फसलें कब बोई जाती हैं और उनको कब-कब पानी चाहिये। इसलिये इस विभाग में ऐसे लोग रखे जाय जिनको कृषि संबंधी ज्ञान हो और जो कृषकों के बच्चे हों।

लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इसकी दर भी नहर की सिंचाई के बराबर रखी जाय। यदि ऐसा न किया गया तो न तो उपज बढ़ेगी और सारी योजना ही बेकार हो जायगी। हमारे यहां नलकूपों का एक सरकारी सिंचाई का साधन है लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उससे किसानों की जरूरत पूरी नहीं होती। ६०० एकड़ भूमि पर एक नलकूप बहुत कम है और उससे वहां की जरूरत की पूर्ति नहीं होती। एक बात नलकूप के विषय में और कहूंगा कि बिजली के रेट उद्योगों के लिये ४ पसा प्रति यूनिट और किसानों के लिये १५ पैसा प्रति यूनिट रखा गया है। यह दोनों रेट एक ही समान होने चाहिये। इसके अतिरिक्त आज एक साधारण किसान को नलकूप लगाने में बहुत दिक्कत है क्योंकि उसको स्वीकृति की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है, जिसको बेचारा साधारण किसान नहीं समझ सकता, उसको बिजली के कनेक्शन मिलने में समय लग जाता है और एस्टीमेट्स वगैरह की स्वीकृति में बड़ी परेशानी होती है उसको हम सब महसूस करते हैं चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। दफ्तर में किसान २० चक्कर लगाता है तब भी उसको नलकूप की स्वीकृति नहीं मिलती।

श्री अमर नाथ (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के अनुदान पर बोलने का मौका दिया। अनुदान का समर्थन करते हुये मैं चाहता हूं कि मैं अपने कुछ सुझाव उस क्षेत्र के बारे में रखूं जिनसे मैं आता हूं, और जिस क्षेत्र से हमारे माननीय सिंचाई मंत्री स्वयं आते हैं और जिस क्षेत्र के माननीय स्व० सम्पूर्णानन्द जी हमारे मुख्य मंत्री थे। मुझे आशा है हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी इस क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे। आज २२ वर्ष स्वतन्त्रता के हो गये हैं लेकिन वहां पर पानी की व्यवस्था के लिए न नहरें हैं, न ट्यूबवेल हैं। यहां पर लोग कहते होंगे कि यह तो बनारस

की समस्या है, इसकी हर चीज को गौर से देखा जाता होगा लेकिन चिराग के नीचे अंधेरा है। यह वह क्षेत्र है जिससे हमारे राव साहब, जो केन्द्र के मंत्री हैं, भी गुजरते हैं। उन्होंने देखा होगा कि उनके दायें और बायें ५-५ सौ एकड़ भूमि रास्ते म पड़ी है जहां पर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है। पता नहीं कि हमारे इन्जीनियर या जिलाधीश उनसे इस सम्बन्ध में बातें करते हैं या नहीं, पता नहीं आज हमारे मंत्री जी कहां सोये रहते हैं।

हाल में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर भोजू वीर से सिंधौरा रोड है। यह १६ मील का क्षेत्र है पर आज तक इस पर कोई ट्यूबवेल नहीं बना है। वहां पर नहरों से पानी नहीं मिल पाता है लेकिन आज वहां पर १० वर्षों से लगातार वसूली हो रही है। इस वर्ष भी कहा गया कि लिफ्ट योजना से हम आपको पानी देंगे लेकिन अभी तक यह अन्दाजा नहीं है कि यह कब पूरी होगी। लिफ्ट योजना के बाद भी जहां असिंचित है वहां पर नहर का पानी लिफ्ट योजना के बावजूद भी नहीं पहुंच सकता है। प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या संविद की सरकार रही हो लेकिन किसी भी सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की ओर नहीं गया है। हम किसको दोष दें। जहां तक ट्यूबवेल का सवाल है पहले द्विभागीय पद्धति के अनुसार फार्म भर दिये जाते हैं। अगर २० एकड़ आराजी हो तो ४०० रुपया हर साल काश्तकार को टैक्स देना पड़ेगा और अगर १० एकड़ की सिंचाई ट्यूबवेल से न हुई तो भी उसके लिए २०० रुपया टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यह सोचिए कि इन करों से जनता का कितना हित आप कर रहे हैं। तो अगर आप १० एकड़ वाली बात सोचें तो दूसरे साल ही १-१ एकड़ किसान बचता चला जायगा। अगर इस तरह से आप टैक्स लेते रहें तो काश्तकार की जमीन बिकती चली जायगी।

किसी तरीके से अगर ट्यूबवेल को स्वीकृति भी हो जाती है तो नालियां नहीं बन पातीं हैं। जहां-जहां भी ट्यूबवेल्स बने हैं, उनकी नालियां ६ महीने बाद ही टूट जाती हैं। पहले पी० डब्ल० डी० द्वारा जो इमारतें, बिल्डिंग्स बनायी जाती थीं, उनमें एक निश्चित अवधि हुआ करती थी कि ये ४ महीने ६ महीने या २ साल चलेंगी लेकिन सिंचाई विभाग में यह चीज नहीं है। नालियां बनीं लेकिन ६ महीने बाद ही टूटने लगीं तो जो फसल होने वाली होती है वे भी खराब हो जाती हैं। खेत में पानी भरा रहेगा। मैं नहीं समझता कि अधिकारीवर्ग इसको भ्रष्टाचार कहे या न कहें लेकिन भ्रष्टाचार कहते-कहते और सुनते-सुनते तबियत ऊब गयी है। भगवान ही अब रक्षा करेगा।

मेरा सुझाव यह है कि पहले द्विभागीय कर-पद्धति बन्द कर दी जाय। अगर हाई वेरायटी पैदा करना है तो एक ट्यूबवेल की सिंचाई क्षमता २०० एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये जबकि कमांड एरिया ६०० एकड़ मौजूद है। इस तरह से तो नाम के लिये ट्यूबवेल बन गया और ७०० एकड़ का कमांड एरिया रख दिया और कोई भी खेतिहर अच्छी तरह से जानता है कि एक ट्यूबवेल से २०० एकड़ से ज्यादा सिंचाई नहीं हो सकती।

ट्यूबवेल के बनाने में एक नोट लगा दिया जाता है चूंकि ५०० एकड़ का धान का चक है, दो फ़सलों नहीं है इसलिये ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है। हालांकि धान के खेत में तीन फ़सलें पैदा की जा सकतीं हैं, काश्तकार यादा पैदा कर सकता है बनिस्बत गेहूं के खेत के, अगर पानी का साधन उसे उपलब्ध हो। धान कटने के बाद उसमें गेहूं पैदा किया जा सकता है। पहले नाले खोद दिये गय थे ताकि बाढ़ का पानी बह कर निकल जाय और ये नाले ४७ में खोद गये थे।

[श्री अमरनाथ]

२० वर्ष हो गये, कोई सुरक्षा उनकी नहीं की गयी लिहाजा वे पट गये। मेरे क्षेत्र में मछहा नाला ७ मील का है, वह पट जायगा तो कई गांव डूब जायेंगे।

बिजली का जहां तक संबंध है, कहीं बिजली के कनेक्शन दे दिये, कहीं नहीं दिये। दूसरे बिजली का बिल जमा करने के लिये २७ मील की दूरी पर हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है, सब-स्टेशन पर जमा नहीं हो सकता जो ६ मील पर है। मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ताकि निरीह जनता को कष्ट न हो।

श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, देश में ३३ करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है जिसमें से केवल सवा ४ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है और इस सिंचाई में कुवें, रहट, तालाब, नहर तथा ट्यूबवल सभी शामिल हैं। इस प्रकार ३३ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये कितना समय लगेगा? बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रदेश में असिंचित रह जाता है। सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे, सिंचाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें जिससे किसानों को पानी मिल सके और देश में भुखमरी की समस्या हल हो सके।

श्रीमन्, आज देश भुखमरी का शिकार है। खासतौर से जिला प्रतापगढ़ के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह हरिजन क्षेत्र है। यह सरकार दुहाई देती है कि हरिजनों के लिये सुविधा कर रही है। लेकिन जब-जब कोई संकट सरकार पर पड़ता है तब वह उनकी याद करती है और उनकी मीटिंग कर के उनको आश्वासन देती है कि हम आपके लिये विशेष सुविधायें कर रहे हैं, आपकी सारी गरीबी दूर हो जायगी। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई मंत्री जी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बनारस आते-जाते समय बीच में प्रतापगढ़ पड़ता है, सर्किट हाउस से निकल कर कभी कुन्डा तहसील में नहीं गये। वह देहाती क्षेत्र है। वहां नलकूप नहीं लगे हैं। इलाहाबाद ब्रांच नहर से थोड़ी जगह की सिंचाई होती है। वहां बिजली के अभाव के कारण जो लोग अपने पैसे से ट्यूबवेल लगवा सकते हैं वे भी नहीं लगवा पाते।

३–४ साल के सूखा से हमारे क्षेत्र में इतनी जबरदस्त भुखमरी फ़ैली हुई है कि वहां के गरीब एक टाइम भी भोजन नहीं पा रहे ह। वहां के लोगों की हालत बड़ी दयनीय है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री से और इस सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो स्वयं उस क्षेत्र को जा कर देखें। वहां बहुत से एरिया में धान की फ़सल होती है लेकिन पानी न होने के कारण वह फ़सल तीन-चार साल से सूख जाती है और कोई दूसरी फ़सल वहां पैदा नहीं हो पाती है जिसके कारण वहां के लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

ग्राम राजापुर, मसवत, सिया, भाव आदि ऐसे गांव है जहां ट्यूबवेल लगाना बहुत जरूरी है। आप उन क्षेत्रों का सर्वे करा के जानकारी करें कि जो बात मैं कह रहा हूं वह सही है या गलत। मान्यवर, वहां बहुत से ऐसे गांव हैं जो बारिश पर आश्रित हैं। बारिश हो गयी तो फ़सल मिल गयी और बारिश नहीं हुई तो कुछ भी पैदा नहीं होता। वहां कोड़रातल एक गांव पड़ता है जहां इलाहाबाद ब्रांच से एक गूल खोद दी गयी है। मैं पिछले वर्ष की हालत बताऊं। वहां कोई फ़सल पैदा नहीं हुई। वहां के किसान सावां बोते हैं। उस ग्राम में बालू बहुत है जिसकी वजह से कुयें खोद कर भी काम नहीं चलाया जा सकता। वहां गूल तो खोद दी गयी है और सिंचाई एरिया में वह गांव ले लिया गया है लेकिन वहां पानी जाता ही नहीं है। मैं सिंचाई मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कोड़रातल से पचमहुआ तक एक माइनर बनवा दें। श्रीमन्, जो गुंडे किस्म के लोग होते हैं वह गरीबों को पानी नहीं लेने देते और अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। इसलिये इसे भी मंत्री जी ध्यान में रखें। साथ ही कुछ ऐसे माइनर हैं जो खोदे गये हैं लेकिन उनमें पानी जाता ही नहीं। इधर भी मंत्री जी ध्यान दें और हर माइनर में जैसे बारी-बारी से पानी मिलता है उसी ढंग से पानी दें।

श्रीमन्, माइनर परियावां कुंडा क्षेत्र में पड़ती है। ऐधासे चक बड़ और महराजपुर से माइनर सिया जाता है। इन सब में पानी नहीं है। इसी तरह से लवाना माइनर है। श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दी जाय तो सिंचाई बहुत अच्छी हो सकती है। किसानों को उससे बहुत लाभ हो सकता है। बड़े बड़े गांवों के लोगों ने बिजली के लिये दरखवास्त दे रखी है। वहां वे लोग अपने खर्च से ट्यूबवेल्स लगवा सकते हैं। बिजली का वहां पर विस्तार किया जाय, उन सब लोगों को बिजली दी जाय। इसके अलावा बिजली के राजकीय नलकूप भी लगाये जांय जिससे गरीबों को अधिक सुविधा मिल सके। हमारा क्षेत्र हरिजन क्षेत्र है। उसमें बिजली लगाये जाने से और सरकारी नलकूप लगाये जाने से वहां के गरीबों को बहुत लाभ होगा। वे लोग अपने पैसे से ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते। कालाकांकर के उत्तरी भाग में भी सिंचाई के साधन नहीं हैं।

इसके अलावा बलियापुर ग्राम में एक तालाब है जिसमें ८० बीघा जमीन है। एक आदमी ने उसका पट्टा ले लिया है। वह उसको तोड़ना चाहता है। गुंडों को ले जा कर वह बंधे को तुड़वा रहा है। अगर वह टूट गया तो वहां के लोगों का एक मात्र सिंचाई का साधन समाप्त हो जायगा। इसी प्रकार चुपकी गांव में भी एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको बाबा राघवदास ने खुदवाया था। कालाकांकर के मैनेजर ने उसका पट्टा ले लिया है। १२५ बीघा भूमि के लिये उसने ५-६ कुलाबे का पानी लगा रहते हैं। इससे वह अकेला ही सिंचाई करता है दूसरे किसानों को पानी नहीं लेने देता है। परेशान कर रहा है। माननीय सिंचाई मंत्री जी इन सब बातों पर गौर करें और गरीबों को राहत पहुंचायें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्रीजी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। सिंचाई का बजट माननीय सिंचाई मंत्री ने बहुत ही सूझ-बूझ के साथ रखा है इसके लिये वह तथा उस विभाग के उच्चाधिकारी बधाई के पात्र हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, ८७ प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं अतः सिंचाई उसकी मुख्य समस्या है। इसी से अन्न उत्पादन बढ़ सकता है। यहां यह कहा जाता है सरकार कुछ नहीं कर पायी और हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यह सही कि हम पिछड़े हुए हैं लेकिन यह सही नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाये। साधनों के अनुसार हमने बहुत कुछ किया है, आगे बढ़े हैं लेकिन अभी और भी बहुत आगे जाना बाकी है।

मैं आप से निवेदन करूं। १९४७ में हम आजाद हुये। उसके पहले हम कहां थे? १९४७ के पहले हमारे सिंचाई के क्या साधन थे, कितना उत्पादन होता था, हमारी क्या आबादी थी? अगर इस सारी बातों को सोचें तो समझ में आयगा कि आज हम कहां हैं, सचमुच हमने विकास किया है या नहीं। १९४७ के पहले हम ट्यूबवेल का नाम नहीं जानते थ। हम पम्पिंग सेट का नाम नहीं जानते थे। हम यह भी सपना नहीं देख रहे थे कि हमारे गांवों में बिजली आयगी। हमारी जनप्रिय सरकार ने नियोजित योजना बनायी और इसके अनुसार हर दिशा में प्रगति शुरू की। हमने कृषि में प्रगति की। शिक्षा, यातायात, उद्योग, सब में प्रगति की। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? अगर हम प्रान्त को बांटें तो पांच हिस्सों में बांटेंगे--- पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुन्देलखंड का इलाका, मध्यवर्ती इलाका और पूर्वी क्षेत्र।

मैं पूर्वी क्षेत्र का रहने वाला हूं। पूर्व के लोग सिंचाई के अभाव में बहुत पीछे रह गये। यह कारण नहीं है कि सरकार ने कम काम किया बल्कि पहले से पश्चिमी क्षेत्र में अंग्रेजी शासन काल में ही कुछ नहरें ऐसी बन गयी थीं कि उनको पानी का साधन पहले से उपलब्ध था।

[श्री निहाला सिंह]

इसके बाद और भी साधन बढ़ते गये जिससे जो पहल आगे था वह आज भी आगे बढ़ता गया। लेकिन पूर्वी क्षेत्र को अंग्रेजी शासन काल में कोई साधन उपलब्ध नहीं हो सके। इसलिए हम पीछे रह गये। हमारे क्षेत्र में कुछ हिस्से में ट्यूबवेल एरिया है। कुछ लोग पंप सेट्स लगा रहे हैं। नहरी क्षेत्र जो हमारा है वहां पहाड़ों पर बांध बना कर जो नहरें निकाली गयी है वे बरसात के पानी पर आश्रित है। बरसात होती है तो बंधे में पानी इकट्ठा होता है। अगर बारिश नहीं होती है तो बंधा सूखा रह जाता है, अतएव नहरें भी सूखी रह जाती है। इसलिये हमें देखना है कि वर्षा के अभाव में कौन सी व्यवस्था करें जिससे वहां पर पानी मिल सके।

सिंचाई मंत्री जी, जो पहले भी सिंचाई मंत्री रह चुके हैं, उनको बहुत बड़ी जानकारी है। इन नहरों में गंगा से लिफ्ट करके पानी दिया करें जिससे सूखे के समय में पानी पूरा कर सकें। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो केवल ट्यूबवेल पर आश्रित है। ट्यूबवेल के लिये हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। सरकार भी पैसा नहीं दे रही है। इधर तीन साल से लगातार सूखा पड़ने से कुछ हिस्से बिलकुल बरबाद हो चुके हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें अगर आप जांय तो उनमें किसी के घर औरतों के जेवर नहीं मिलेंगे। सारा जेवर बेच कर अन्न और चारा खरीद कर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी दशा में सिंचाई मंत्री से मैं निवेदन करूंगा उन गांवों के लिये विशेष ध्यान दें।

दूसरा निवेदन यह है कि जो पम्पिग सेट्स लगाये जा रहे हैं उनको बोरिंग की व्यवस्था असंतोषजनक है। मैं सुझाव दूंगा कि जब हमारा अन्न उत्पादन ही मुख्य लक्ष्य है तो देखना होगा कि बोरिंग कैसे अच्छी तरह से हो सकती है। ट्यूबवेल की बोरिंग के लिये रिग मशीनें बड़ी-बड़ी हैं। उसी प्रकार की अगर छोटे साईज की मशीन मंगाई जाएं और एक तरफ से बोरिंग करके हम किसानों के कुवें उनको देते चलें और पम्पिग सेट उनको देते चलें तो उनकी परेशानी बहुत हद तक दूर हो जायगी। क्योंकि बोरिंग में उन्हें बहुत परेशानी होती है और उनके घरबार भी बिक जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बोरिंग की मशीन अधिक से अधिक प्राप्त की जाएं।

एक बात मैं आपको और बताऊं सन् ६७ में विश्व बैंक योजना लागू होने की बात चली थी जिसमें एटा और वाराणसी दो जिले लिए गये थे। उसका सर्वे भी हो चुका था और सारी बात तय हो गई थी। उससे उन जिलों का बड़ा लाभ होता। लेकिन हम लोगों का अभाग्य, उसी वक्त कांग्रेस सरकार खत्म हुई और संविद सरकार आई और पता नहीं क्यों चौधरी साहब ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो मैं सिंचाई मंत्री जी से चाहूंगा कि वह दिल्ली जाकर इस बात का प्रयत्न करें कि विश्व बैंक योजना यहां पर लागू की जाए। जिस गति से हम चल रहे हैं उसी प्रकार अगर चलते रहे तो जिनका नम्बर ५ साल बाद आयेगा पानी के लिए तो वे तो उस समय तक मिट जायेंगे और वह फिर कभी पनप नहीं पायेंगे। तो ऐसी हालत में अधिक पैसा केन्द्र से मांगा जाए और इस मद में लगाया जाए और पानी की समस्या को दूर करने का शीघ्र प्रयत्न किया जाए। कहा जाता है कि हमारा प्रान्त देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। अन्य प्रान्तों के पीछे जरूर है लेकिन उनकी कुछ भौगोलिक परिस्थित ऐसी है, प्राकृतिक स्थितियां ऐसी है, जिनके नाते वे हमसे आगे हैं। यदि हम कुछ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आबादी बढ़कर फिर हमें पीछे कर देती है। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती और कभी अनावृष्टि है कभी अति-वृष्टि। इन बातों के साथ साथ मैं वर्ष ६९–७० के आय-व्ययक का हृदय से समर्थन करता हूं और सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूं इस निवेदन के साथ कि अधिक से अधिक पैसा इसके लिये और प्राप्त करने की वह कोशिश करें और हमारी सिंचाई की समस्या को शीघ्र दूर करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

कल मैंने आपसे कहा था कि जो लोग हमारे पास आने की कोशिश करते हैं और बोलने का मौका देने की सिफारिश करते हैं, उसको मैं पसन्द नहीं करता हूं और उनका नाम बोलने से काट

सकता हूं। जो लोग बोलने का लोभ सवरण नहीं कर सकते हैं उनको सोचना चाहिए और उसी के अनुसार उनके नाम मने काट दिए और बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन माननीय त्रिदण्डी राय जी ने एक पत्र लिखा है कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए उनके कथन पर जिनके नाम जैसे श्री त्यागी, ईश्वर दयाल और कांग्रेस के २-१ सदस्य उमाशंकर आदि का नाम मैंने काटा था, फिर से रख देता हूं। फिर मैं कहता हूं कि सिफारिश जैसी चीज को गन्ध नहीं आनी चाहिए।

श्री महातम (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि श्रीमान जी ने मुझे इस बजट पर कुछ कहने का अवसर दिया है। जो हमारा जिला इस नारायनी कनाल से इतना ऊब गया है कि उस जिले में किसी किसी किसान को रहने की इच्छा नहीं होती है। सरकार नारायनी कैनाल तथा गन्डक कैनाल बना रही है जनता की भलाई करने के लिए, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपस सही बताना चाहता हू कि वह नहर नहीं बनाई जा रही है, बल्कि महराजगज तहसील को टुकड़े टुकड़े करके बांटा जा रहा है। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि १९५३-५४ में एक नारायनी शाखा निकाली गई थी, जो उसमें वसूली घाट में नारायनी नाम का डाक बंगला बनाया गया था जैसे नैनीताल में बना हुआ है, वैसे ही वसूली का डाक बंगला बना है। इसलिये बनाया गया है कि हमारे इंजीनियर महोदय, हमारे जितने अधिकारी गण हैं वह वहां जा करके आराम से रहें तथा चावल तैयार करके भोजन करें। वह वहो कोई काम नहीं दखते। यह साबित है तथा सबूत में मैं बतला दूंगा और अगर वह गलत प्रमाणित करेंगे तो मैं गलत प्रमाणित नहीं होने दूंगा। जैसा कि मेरे पास प्रमाण है--निवेदन यह है कि नहर तो बनी लेकिन बाद में उससे पानी जो मिला तो किसान मारा गया। म देख रहा हूं।

सबसे बड़ो प्राब्लम हमारे यहां यह है कि वहां पर नहर चाहिये थी। जब वहां पर नहर बनाने की व्यवस्था हुई तो हमारे इंजीनियर महोदय ने जितने पुल बने हुये थे वह उनको तुड़वाये दे रहे हैं और पुलों को तुड़वा देने के बाद वह कह रहे हैं कि अब यहां पुल नहीं बनवाया जायेगा। तो मैंने इन्जीनियर महोदय से कहा तथा पूछा कि यहां पर नहर थी पुल बना था अब क्यों पुल तुड़वा दे रहे ह तो वह कह रहे हैं कि इतने करीब-करीब पुल बना देने से कहां तक गवर्नमेन्ट का भला होगा और कहां से पैसा मिलेगा कि हम सबके लिये दरवाजे-दरवाजे पर पुल बनायेंगे। मैंने प्रार्थना किया कि वह नहर जब पहले बनी और पुल बना तो वहां थोड़ा सा एक पाया डाल देने से लाइन ठीक हो जाती और गांव की व्यवस्था जो इंजीनियर महोदय ने की थी वह सही थी लेकिन उसको तुड़वाया जा रहा है, किसानों को परशान किया जा रहा है। यह हमारी आप से बहुत बड़ी ही प्रार्थना है कि हमारी बातों को आप सोचें तथा ध्यान दें--माननीय मंत्री जी तो यहां पर मौजूद नहीं हैं और जो मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं वह उसे जांच करायें कि यह किसानों के हित में है या नहीं है ?

साथ ही साथ अब एक और बड़ी बात है उस पर हमारे नहर विभाग के जो सज्जन यहां पर बैठे हैं वह विचार करें तथा सोचें--एक नाला हमारे यहां श्यामदेउरवा क्षेत्र में हरपुर ग्राम में है। वह मवन नाला पतला था। उस पर गन्ना विभाग की तरफ से पुल बनाया गया था। म वहां पर गन्ना विभाग का चेयरमैन हूं। मैंने उस पुल को बनवाया था लेकिन नहर वालों ने नहर से पानी का गूल निकाल दिया। उस गूल के कारण पानी जो पहल पतला बहता था वह अब मोटा हो गया और दोनों पुल बह गये। जब दोनों पुल बह गये तो आप उनको बनवान की व्यवस्था करें। वहां पर यातायात बन्द है। वह कहत ह कि हम कहां से करें। हमारी ड्यूटी थी सो

[श्री महातम]

आपको बर्बाद कर दिया। एक पुल बना था गन्ने का पैसा दो पुलों पर लगा था। उन पुलों को गिरा देने के लिये एक लाईन निकाल कर लगा दी गई है उससे कोई फायदा नहीं है जसा वह सोच रहे हैं या कह रहें हैं बल्कि इससे नुकसान है पचासों गांवों म पानी आता है बरसात म जिससे फसल बह जाती है। इस समय भी पानी के कारण फसल बह गई है। नदी के किनारे पचास गांव हैं। वहां किसान त्राहि त्राहि कर रह ह, कोई सुनन वाला नहीं है।

श्रीमन् यह बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। जो हमारे पास में एक गांव है बसन्तपुर। वहां रेलवे लाइन पर पुल बन गया। नहर चारो तरफ खोदी गई मगर बीच में, एक बड़ा आदमी, जमींदार ह या गवर्नमेंट का बड़ा कर्मचारी या अधिकारी है। हाईकोर्ट से जमीन का फैसला हो गया कि यहीं पर बनेगा लेकिन उस बड़े जमींदार के कारण जमीन के बीच म नहर नहीं बनाई जा सकी। काम रोक दिया गया है। उससे फायदा यह हो रहा है कि किसान भूखों मर रहे ह, खेतों की सिंचाई नहीं हुई, बल्कि रेलवे लाइन पर पुल बना दी गई लेकिन बीच में कहने पर भी उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। बल्कि बीच में एक फर्लांग पर निकाला जाय तो काम किसानों का चल जायेगा इस शाखा का नाम कप्तानगंज राजवाहा है। छोटे-छोटे जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ बड़े आदमी आठ आठ मुकद्दमें चला रह ह। यहां से इनक्वायरी के लिये जो अफसर महोदय गये थे इनको सोचना चाहिये कि छोटे-छोटे कर्मचारियों को अदालत में क्यों हाजिर किया जा रहा है। बड़े आदमी की चार एकड़ जमीन के लिये इतनी बड़ी सरकार परेशान है, जिसके वजह से सारे किसान पानी नहीं पा रहे हैं और चार कर्मचारी जो गरीब हैं, छोटे हैं, जिलेदार हैं, उनको हर तरह से जलील करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। बल्कि माक की बात है (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती हो गयी इसलिये अब मैं सुझाव देना चाहता हूं। हमारे इलाके में जो माइनर इरीगेशन चली थी एक एक गांव में उसके अन्दर चालीस-चालीस ट्यूबवेल्स हैं और उसी गांव में दोनों तरफ़ नहरें हैं। अब जहां दोनों तरफ़ नहरें हैं वहां ट्यूबवेल का लगाना बेकार हो गया क्योंकि अब उनके ट्यूबवेल से पानी कौन लेगा और उनके लिये भी क्या फ़ायदा होगा। बल्कि जहां ३२-३२, ४०-४० ट्यूबवेल्स हैं और नहरें दोनों तरफ़ हैं ऐसे पचासों गांव हैं जैसे मेदिनीपुर, पकड़ियार, खानपुर, टेंडवा, पटखौली, मठिया, बांसपार आदि आदि। अगर वहां पर बिजली दे देते तो काम अधिक होता। इसलिये इन गांवों में बिजली की लाइन दी जाय।

दूसरी बात यह है कि हमारे घुघली गांव है। जहां शुगर मिल है। वहां का जो मिल मालिक है उनको लाइन दे दी गयी है लेकिन उसी गांव के आधे गांव में बिजली नहीं दी गई है। आज चार साल से लोग परेशान हैं, वहां के किसान गरीब हैं उनको बिजली की लाइन नहीं दी गई। लिखते-लिखते मैं परेशान हो गया तथा कोशिश की लेकिन कोई सुनाई हमारी नहीं हुई। इसलिये इन ग्रामों को बिजली की लाइन दी जाय जिससे छोटे-छोटे उद्योग धंधे पनप जांय।

हमारे यहां सबसे बड़ी परेशानी मुआविजे के बारे में है। सरकार के अधिकारी महोदय ने काश्तकारों की जमीन पर नहरें खोद ली, हमें पानी भी इस साल नहीं मिली, बिना मुआविजा दिये जमीन ले ली गई जबरन और कहा कि सरकार का हुक्म है। तो सरकार है चाहे जिन्दा रखो चाहे मार डालो। और बल्कि दस वर्ष के अन्तर्गत सरकार ने जहां गूल बनायें हैं वहां जबरदस्ती करके मुआविजा किसानों से लिया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। जब कि यह धन किसानों की जानकारी में नहीं है वह भी उनसे वसूल किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह पैसा उनसे क्यों लिया जा रहा है, इस ज्यादती को रोका जाय और जिन पर सही पैसा वाजिब हो उन्हीं किसानों से वसूल किया जाय।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिंचाई ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे समय देकर बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि सिंचाई विभाग से जो पुस्तिका बंटी है

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लि मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३५९
३१---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य---अनुदान संख्या
३२---सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८---बहु-प्रयोजनीय नदी
योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९---सिंचाई
निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ।

उसमें २२ वर्षों में जो सिंचाई की प्रगति हमारे प्रदेश में हो रही है और योजनायें परियोजनाओं के द्वारा और उसके संबंध में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण सदन में दिया है उसको सुनने के बाद भी जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है वह केवल विरोध करने के लिये ही है । और वास्तविकता से परे है । आप देखेंगे इस तालिका में जो विवरण दिया गया है उससे मालूम होता है कि सूबे का हर एक क्षेत्र चाहे वह पहाड़ी हो, चाहे वह पच्छिम हो, चाहे वह मध्यवर्ती हो और चाहे वह पूर्वी इलाका हो, सब जगह सूबे में आजादी के पहलेजो सिंचन की क्षमता थी उनमें आज काफ़ी प्रगति हुई है। मैं आपके सामने सिर्फ पूर्वी जिलों का आंकड़ा पेश करना चाहता हूं । उससे आपको यह मालूम हो जायगा कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई के संबंध में कैसी प्रगति हुई है । आजादी के पहले जो पूर्वी क्षेत्र में जो सिंचन की क्षमता थी २३५.२ थी । वह ६८-६९ में आकर ३०९८.४ हो गई है । इससे आप देखेंगे कि प्रान्त में सिंचन की क्षमता किस तरह से आगे बढ़ रही है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी सरकार सिंचन के लिये प्रगति नहीं कर रही है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जिसके लिये बीज, खाद और पानी की आवश्यकता होती है । बीज और खाद का प्रबन्ध होने के बाद यदि पानी का समुचित प्रबन्ध न हो तो बीज और खाद बरबाद हो जाता है । पानी के वगैर किसान की फ़सल सूख जाती है माली हालत उसकी खराब हो जाती है । ऐसी हाल में हमारी आवश्यकता को देखते हुये जो प्रगति हुई है वह नाकाफ़ी है । जो कि हमारे पास साधन सीमित हैं तो भी उनको देखते हुये जो प्रगति की जा रही है उसमें सिंचाई के मद में और भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । जो योजनायें बनी है उनको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाय ।

बनारस के संबंध में यह निवेदन करना है कि बनारस जिले का एक इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है जहां पर जमीन बहुत उपजाऊ है लेकिन सिंचाई के साधन न होने से वह कमी का इलाका रह जाता है । यहां की आबादी इतनी घनी है कि इसे जितने खाद्यान्न की वहां जरूरत होती है उतना यहां पैदा नहीं होता । दूसरे प्रान्त का उसको मुहताज होना पड़ता है । ऐसी हालत में यहां पर अगर सिंचाई की समुचित व्यस्था की जाय तो हमारा जिला अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरे प्रांत का खाद्यान्न के मामले में मुंहताज नहीं होगा । हमारे जिले का विश्व बैंक ने भी सिंचाई के सम्बन्ध में सर्वे किया था । उसके मुताबिक अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई होती तो वह गल्ले के लिये दूसरों का मुंहताज न होता ? लेकिन संविद सरकार ने आर्थिक कठिनाई के कारण विश्व बैंक से कर्जा न लेकर उस योजना को टाल दिया । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई मंत्री ज हमारे जिले के रहने वाले हैं । हमारे जिले के चप्पे-चप्पे से परिचित हैं लेकिन उस विश्व बैंक के संबंध में इस परियोजन की पुस्तक में कोई जिक्र नहीं है और न उस पर कोई विशेष ध्यान दिया है ।

मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि विश्व बैंक योजना को बनारस में शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाय । जो पुस्तिका बटी है उसमें बनारस जिले की योजनाओं में नारायनपुर योजना का कोई जिक्र नहीं है । यदि नारायनपुर योजना को इसमें शामिल कर लिया जाय तो चन्दौली का जो बहुत उपजाऊ इलाका है वहां पर अच्छी पैदावार हो सकती है क्योंकि तहसील चन्दौली में आज वहां पानी की कमी है, लगातार ६ वर्ष से सूखा पड़ा है । सरकार से किसान बीज और खाद के लिये कर्जा लेते हैं लेकिन पानी न मिलने से उनकी फ़सल मारी जाती है और उसके बाद खाद और बीज का दाम सरकार को देना पड़ता है । ऐसी हालत में नारायणपुर योजना को सम्मिलित कर लेना अति आवश्यक है । इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि नारायणपुर योजना को इसमें सम्मिलित करें और साथ ही हमारे क्षेत्र में जहां आबादी के पहले बंधियों से सिंचाई होती थी और साथ-साथ बाढ़ भी आती थी तो बाद को

[श्री उमाशंकर तिवारी]

रोकने के लिये जब कि हमारे मंत्री महोदय सन् ५२ से ५७ तक सिंचाई मंत्री थे अहरौरा बांध बनवा दिया जिसकी वजह से बाढ़ तो रुक गयी, लेकिन हमार जिले के चंदौली तहसील की जमीन जो सबसे जरखेज थी वहां पानी की कमी हो गयी। जब से अहरौरा बांध बना है पानी के बगैर वहां के किसानों की फ़सल मारी जा रही है। वहां ९ वर्ष से सूखा पड़ा है। लेकिन बावजूद इसके कि वहां की जमीन कितनी जरखेज है, वहां सिंचाई के लिये अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब से आपने पुनः सिंचाई विभाग सम्भाला है उस तरफ़ आपने ध्यान दिया है लेकिन अभी तक उस पर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। जो अन्य योजनायें वहां के लिये जरूरी है वह कभी नहीं चलायी गयी अगर वह शीघ्र चला दी जाय तो हमारी स्थानीय क्षेत्र की समस्यायें जो है उनका समाधान हो जाय। वहां पर पहले जो योजना बनी थी उसका सही मान में सर्वेक्षण नहीं किया गया। हमार क्षत्र में ट्यूबवेल लगाया गया लेकिन वह नाकाफ़ थ जहां नलकूप लगे है वह गंगा का किनारा है जहां सिंचाई के लिये बहुत ही कम है। जब वहां के लिये ट्यूबवेल्स की मांग करते हैं तो स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि वहां ट्यूबवेल काम नहीं देगा। इसलिये यहां सिंचाई के सम्बन्ध में जब हम लिफ्ट विभाग के इंजीनियर से अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो यह कहा जाता है कि यह तो ट्यूबवेल का विभाग है, वही इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह से हमारा क्षेत्र ट्यूबवेल और लिफ्ट के बीच में अधर में लटक रहा है और इस तरह से वहां की जमीन उपजाऊ होते हुये सिंचाई की सुविधा न होने से और पानी की कमी है वहां का किसान जिसका मुख्य पेशा किसानी ही है, आज उसकी हालत ऐसी हो गयी है कि वे भूखों मर रहे हैं और अपने खेतों का बेच कर कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी करते हैं, रिक्शे चलाते हैं या और मजदूरी करते हैं।

श्रीमन्, ऐसे वक्त मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो गंगा का किनारा है वहां लिफ्ट योजना काम दे सकती है लेकिन यह जो विभागीय झगड़े हैं उनको दूर करके वहां लिफ़्ट योजना से पानी दें और जहां ट्यूबवेल की जरूरत हो वहां ट्यूबवेल दें और जहां नहर की जरूरत हो वहां नहर की योजना बनावें और जहां ट्यूबवेल और नहर न जा सके वहां गंगा जी से लिफ़्ट द्वारा सिंचाई के लिये पानी दें। किसी जमाने में हमारा क्षेत्र सबसे ख्यादा उपजाऊ था और वहां इतना गल्ला पैदा होता था कि वह बनारस जिले का कम को पूरा करत था, आज वहां भूखमरी की हालत हो गयी है। इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां के किसान सिंचाई के साधन बगैर मर रहें हैं, मेरी यही प्रार्थना हैकि हमारी क्षेत्र के किसानों को पानी की सुविधा देकर जिन्दा रखें। इन शब्दों में साथ मैं इस बजट की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे शुक्ला (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया है। सिंचाई मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह कहा है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और ८०-८२ फीसदी लोग देहातों में रहते हैं, खेती ही उनका सहारा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने किसानों के लिये जिनका कृषि ही जीवन का आधार है उनके कृषि उद्योग के लिये दी जाने वाली बिजली की दर में कमी की घोषणा नहीं की। आज कृषि हमारा प्रमुख उद्योग है तो क्या कारण है कि अन्य उद्योगों को जिस दर पर बिजली दी जाती है उससे मंहगी दर से सिंचाई के लिये बिजली मिल रही है? इसकी घोषणा न करके उन्होंने न्याय नहीं किया है।

ट्यूबवेल के संबंध में उन्होंने बताया कि बहुत प्रयास करने के बाद उनको सिर्फ १२०० ट्यूबवेल्स मिले हैं और जो चल रहे हैं उसमें ७-८ करोड़ का घाटा होता है, इतना होते हुए भी

इस योजना को आपने अपने ही पंजों में दबा रखा है जब कि हमारे ही देश में और प्रदेशों के उदाहरण मौजूद हैं जहां पर कि जो लोग खेती नहीं करते हैं लेकिन पूंजी है उनके पास और ट्यूबवेल लगा सकते हैं, उनकी सिंचाई की दरों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। और उन्होंने ट्यूबवेल लगाये हैं जैसे कि मद्रास प्रदेश में ७ लाख लगे हैं। उनको बिजली मिल चुकी है लेकिन हमारे यहां इस पर कोई विचार नहीं हुआ। ऐसे लोग हैं यहां जिनका सहयोग हम कृषि उत्पादन में ले सकते हैं और लेना चाहिये, वह ट्यूबवेल लगा कर पानी बेचना चाहते हैं और हम सिंचाई की दरों पर नियंत्रण रखते हुए अगर उन्हें इजाजत दें तो मैं समझता हूं कि कृषि उत्पादन में वे हमारे बहुत अच्छे सहायक सिद्ध हो सकते हैं और घाटे वाली बात भी दूर हो सकती है।

साथ ही एक चीज भ्रष्टाचार की है। ट्यूबवेल आपरेटर्स और बिजली विभाग के लोग इसके शिकार हैं। मंत्री जी ने कहा है कि यह बात उनके ध्यान में है, लेकिन इस दिशा में कोई स्पष्ट संकेत या घोषणा नहीं की। ट्यूबवेल आपरेटर्स अपने घरों से हैं २०-२०, २५-२५ मील दूर पड़े रहते हैं और २४ घंटे के नौकर हैं, उसके अलावा उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है। तो २४ घंटे देखरेख में लगे हुए व्यक्ति को क्या आवास की व्यवस्था भी नहीं देंगे? मेरा सुझाव है कि वे जो आज करप्शन में इंडल्ज करते हैं या भाग कर घर चले जाते हैं उसका भी एक कारण है और उसको हम सभी जानते हैं कि अभाव में स्वभाव नष्ट होता है। अगर इतवार की छुट्टी न दी जाय तो उसे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ४ इतवार मिलाकर अगर उसे ४ दिन की छुट्टी दे दी जाय तो पांचवें दिन आकर वह अपना काम संभाल सकता है और ४ दिन उसके बगल वाला आपरेटर ट्यूबवेल का काम देख सकता है। उस बीच में चार दिन के लिये वह अपने घर जा सकता है और घर देख सकता है, और फिर से नये उत्साह के सथ अपने काम पर आकर अंजाम दे सकता है। मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री महोदय इन ट्यूबवेल आपरेटर्स के आवास की और उनकी छुट्टी के बारे में चिन्तन करेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार कुछ न कुछ कम सके।

नहरों के संबंध में कहना चाहूंगा कि जिस समय पानी की आवश्यकता होती है नहरों में पानी नहीं रहता है और जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं होती नहर में पानी लबालब भरा होता है। इस प्रकार का संकेत किया जाय विभाग को कि वह किसानों से संपर्क स्थापित करें पानी देने के मामले में और सिर्फ कलेन्डर के हिसाब से न चलें और आवश्यकतानुसार पानी की सप्लाई की जाय तो किसानों का हित हो सकेगा। नहरों में कटिंग के केसेज बहुत होते हैं। कभी-कभी तो नहरें अपने आप भी कट जाती हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात न है। बड़े-बड़े बांध कट जाते हैं।

मुझे खुशी है कि सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से अंग्रेज बहे हुए पानी की सिंचाई वसूल कर लिया करते थे। लेकिन २०, २२ साल बाद यह कहा जाय कि वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से करते थे तो अब तक हम सोते क्यों रहें। अगर नहर को कोई काटता है तो जिस तरह से अन्य अपराध का अपराधी को पकड़ा जाता है उसी तरह से इसके अपराध को भी पकड़ा जाना चाहिये। बजाय सारे गांव के ऊपर तावान बांधने के अपराधी को पकड़ा जाना चाहिये और केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिये। यही नहीं ऐसे मामले में यह नहीं होता कि किसी लोकल कोर्ट में वह केस जाय बल्कि इंजिनियर साहब जहां दौरे पर रहें वहां वह मुकदमा होता है जिसमें गांव वालों की बहुत दौड़ना पड़ता है और सजा होने के पहले और अपराध सिद्ध होने के पहले ही लोगों को सजा मिल जाती है।

मान्यवर, मुझे सिंचाई मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि वह अपने केनाल के डिवीजन्स को कृपा करके रिआर्गनाइज करें। सुल्तानपुर में अभी इसी बरसात का

[श्री राम प्यारे शुक्ला]

मामला है। एक सरैयापूरे साऊ गांव है और वहां नहर ऊंचाई पर है। नहर का पानी गांव में आ गया और गांव डूबते-डूबते बचा। वहां का पानी निकालने के लिये जिलाधीश रायबरेली सूचना भेजते हैं, वहां का इंजीनियर गांव वालों को बचाता है क्योंकि वह रायबरेली डिवीजन में आता है। तो डिवीजन्स को रिआर्गेनाइज किया जाय। अन्त में एक चीज कहुंगा। आपने तो बड़े अनुदान की मांग की है और मैं कटौती क प्रस्ताव पर खड़ा हूं। जब आप वह काम भी नहीं करते जिसमें एक पाई का खर्च नहीं है तो आपके ऊपर क्या विश्वास किया जाय कि जब आपको इतना बड़ा धन दे दिया जायगा तो आप क्या काम करेंगे।

गोबर्द्धन डैम फट रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश डूबेगा दूसरा प्रदेश नहीं डूबेगा। उसके बचाने का खर्चा हरियाणा और राजस्थान को देना है हमारी सरकार को केवल काम लगाना है। खेद है कि आज तक गोबर्द्धन डैम में काम नहीं लगा। मान्यवर, इन्हे एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय देने के लिये अवसर दिया है। मान्यवर माननीय सिचाई मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह सर्व विदित है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और ८० फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि इन ८० फीसदी के लिये जितना भी ज्यादा से ज्यादा लाभ कारी काम हो सके वह करे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैसा सिचाई मंत्री जी ने अपनी भाषा में बतलाया है कि इस सरकार ने खेती के उत्थान के लिये हर सम्भव कदम उठाया है और इसमें सन्देह नहीं कि अपने प्रदेश में खेती को काफी तरक्की हुई है। मिसाल के लिये मुझे पश्चिमी जिलों में—मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरद्वार इत्यादि जाने का मौका मिला और वहां सरकार द्वारा सिचाई के जो निर्माण कार्य हुये हैं उनको देखने का मौका मिला। उन्हें देख कर मुझे काफी संतोष हुआ। लेकिन यह स्थिति हमारे पूर्वी जिलों में नहीं है।

मैं माननीय सिचाई मंत्री जी का ध्यान पूर्वी जिलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात सही है कि पूर्वी जिलों में भी काम हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिय था। मैं खास तौर से बलिया की बात कहना चाहूंगा। बलिया में बीस पच्चीस साल पहले कोई सिचाई का साधन नहीं था। प्रथम योजना काल में जब कि हमारे सिचाई मंत्री यही थे जो कि आज भी हैं इन्होंने मेहरबानी करके दोहरीघाट नहर बनवाई। लेकिन इससे थोड़ा सा एरिया सिचित होता है। इसके दो हिस्से हैं। आधा हिस्सा बलिया और आधा आजमगढ़। १५ दिन बलिया और १६ दिन आजमगढ़ को पानी मिलता है। आप सोचें कि एक नहर से दो जगह कैसे सींच पायेंगे? इसलिये बलिया को काफी परेशानी है। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा। बलिया जिले में तुरतीपार और हलदीरामपुर में ऐसी जमीन है जहां कि दोहरी घाट की तरह की कैनाल बन सकती है। मंत्री जी इस सम्बन्ध में जांच करवा लें। अगर वहां नहर निकल जाये तो बलिया जिले वालों को सिचाई उपलब्ध हो सकेगी।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की बाबत निवेदन करना चाहता हूं जहां से मैं चुन कर आया हूं। चिलकहर क्षेत्र गाजीपुर से सटा हुआ है। इसमें काफी ट्यूबवेल्स लगे हुये हैं। लेकिन जो दक्षिणी छोर है उस छोर पर सिचाई के लिये इन बीस वर्ष के अन्दर भी कोई सिचाई का साधन उपलब्ध नहीं हो सका है।

श्रीमन, हमारे जिला बलिया में बड़े-बड़े गांव हैं जैसे सवरो, गोपालपुर, टीका देवरी, नगपुरा, कलना, कझारी, डुमरी, सिविर कलां और गजडुमरी जहां आज तक कोई भी सिचाई का साधन नहीं हो सका है। इन गांवों में ट्यूबवेल्स लगाये जा सकते हैं। मैं सिचाई मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन गांवों में ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करें। कम से कम हर गांव में

एक-एक ट्यूबवेल की व्यवस्था अगर आप कर देते हैंतो शेष किसान प्राइवेट ट्यूबवेल्स के माध्यम से अपने-अपने खेतों में सिंचाई के साधन कर लेंगे। लेकिन जब तक कि आप बड़े-बड़े गांवों में एक-एक ट्यूबवेल नहीं लगा पाते तब तक उन गांवों में बिजली पहुंचना मुश्किल है और जब तक बिजली नहीं पहुंच पाती है तब तक छोटे-छोटे किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल नहीं लगा पायेंगे। यदि आप इन बड़े-बड़े गांवों में ट्यूबवेल्स की व्यवस्था कर देते है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

साथ ही साथ मैं चिल्हर क्षेत्र के उत्तरी भाग की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों में कुछ नहरें गयी हैं जैसे दोहरी कैनाल गयी है। मगर २० वर्षों की आजादी के पश्चात् भी कुछ गांव ऐसे अछूते रह गये हैं जहां अभी भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो सके हैं। मैं चाहूंगा कि यहां आप नहरें निकालें और ये गांव हैं डंडवा, मुजही, परसादपुर, गौरी, गोपालपुर और कन्सर। ये ऐसे गांव हैं जिनके दोनों तरफ नहर है लेकिन बीच में एकमुश्त भी पानी नहीं पहुंचता है। इन गांवों के उत्तरी साइड में एक रजबहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप वहां से एक माइनर निकलवा दें। यदि नहरों का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, ताकि वहां की जनता का कष्टमय जीवन सुखी हो सके। यहां ट्यूबवेल की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। सिंचाई की उचित व्यवस्था होने पर वहां पैदावार अधिक मात्रा में हो सकेगी।

मान्यवर, अन्त में मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पश्चिमी जिलों के लोग कभी-कभी कह देते हैं कि पूर्वी जिलों के लोग लापरवाह हैं, मेहनती नहीं हैं, या केवल खाना जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। पश्चिमी जिलों में नहरें हैं और ट्यूबवेल्स से इलाके भरे पड़े हैं, इसलिये वहां के लोग खुशहाल हैं। मैं बलिया जिले के विषय में कहता हूं। अगर ये सारी सुविधायें बलिया जिले को उपलब्ध करा दी जायं तो हमारा जिला अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जायगा और अधिक उपजा कर बाहर भी भेज सकेगा। बलिया जिले की जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, वहां के लोग परिश्रमी हैं, मगर दुख यह है कि वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग काफी दुखी हैं। यदि सिंचाई के साधन वहां उपलब्ध कर दिये जायें तो वह जिला काफी अन्न पैदा कर सकता है। लाल बत्ती हो गयी है, मैं केवल एक सुझाव और रखना चाहता हूं।

मान्यवर, बलिया जिले में गंगा और घाघरा दो नदियां हैं। इन नदियों ने कटान शुरू कर दिया है। अभी-अभी सिंचाई मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के उत्तर में जवाब दिया है कि घाघरा के किनारे जो कटान है उसके संबंध में सरकार आदेश जारी कर चुकी है। किन्तु दुःख है कि वह आदेश अभी तक कागज में है, मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ये गांव खतरे में पड़े हुए हैं और वहां की भयंकर स्थिति को देखते हुए तार तथा दरखवास्तें ८ जुलाई को मंत्री जी के पास भेजी गयीं और मंत्री जी ने यह आश्वासन भी दिया था कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। किन्तु खेद है कि अभी तक आपका कोई आदमी घटना-स्थल पर नहीं पहुंचा है, व्यवस्था तो दूर की बात है। तो मैं सिंचाई मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि घाघरा नदी के किनारे जो कटान है वहां पक्की ठोकर बनवाने की व्यवस्था करें ताकि वे गांव सुरक्षित हो सकें।

मैं फिर सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तुर्तीपार, हल्दी रामपुर के बीच में दोहरी घाट कैनाल जसी नहर निकलवाएं जिससे कि बलिया जिले में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय के अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री फिरंगी (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी प्रतीक्षा के पश्चात् मुझे सिंचाई एवं विद्युत विभाग पर बोलने का अवसर मिला है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान गोरखपुर जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं।

[श्री फिरंगी]

मैं गोरखपुर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह पूर्वी जिलों में बहुत ही अविकसित क्षेत्र है। यहां कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरा जहां चुनाव क्षेत्र है उसके दो भाग हैं। एक तो बांगर और दूसरा कछार। इस इलाके से माननीय मंत्री जी के बहुत ही मधुर सम्बन्ध हैं। मेरे झंगहा के कछार क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ था उसमें मंत्री जी अपने अन्य मंत्रियों के साथ गये थे। वहां उन्होंने आश्वासन दिया था कि कछार के क्षेत्र का सुधार किया जायगा। आगे चल कर राप्ती नदी के किनारे-किनारे बांध बनवाया गया और उससे फायदा हुआ।

मान्यवर, इस क्षेत्र में १०० से अधिक गांव हैं। इन गांवों की बाढ़ में बड़ी ही दुर्दशा हो जाती है। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये बड़ी कठिनाई होती है और नांव का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यह बात आज से कई साल पहले की है। अब बाढ़ का खतरा घट गया है। अब थोड़ा पानी आता है, इसलिये मैं आपका ध्यान सिंचाई की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद गोरखपुर में सिंचाई के साधनों का अभाव है। यहां के क्षेत्रफल को देखते हुये ट्यूबवेल बहुत कम संख्या में हैं। एक ट्यूबवेल के पास जितना एरिया होना चाहिये उससे बहुत अधिक है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश खेती असिंचित रह जाती है। साथ ही जो आदमी असरदार होता है उसके खेत सिंच जाते हैं और शेष गरीबों के खेत रह जाते हैं। यह एक वहां की बहुत बड़ी समस्या है।

एक बात और है। जो वहां पर ट्यूबवेल लगे हैं उनके बिल किसानों के पास बहुत बढ़ा चढ़ाकर भेजे जाते हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कई शिकायतें मिली हैं। किसान बेचारे रो-गाकर बिल का पैसा तो देते ही हैं परन्तु यह उनके लिये बड़ा घातक है और माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ बांगर क्षेत्र में मी देखता हूं कि जहां पर ट्यूबवेल की व्यवस्था होना चाहिये वहां पर व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर और अधिक ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता है जिससे अधिक खाद्यान्न पैदा हो सकें। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि प्रदेश में अधिक खाद्यान्न पैदा हो तो इसकी व्यवस्था की जावे।

इसके बाद मैं आपका ध्यान बांधों की ओर ले जाना चाहता हूं। जिन बांधों को मंत्री महोदय आपने अपने मंत्रित्वकाल में बनवाया था वह आज छिन्न-भिन्न हो चुके हैं। इनको कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां कट गये हैं उनको ठीक किया जाय। यदि थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो इनके सहारे गोरखपुर और रुद्रपुर तक चला जाता है और काफी कृषि का नुकसान करता है। मान्यवर, मैं इस सम्ब ध में आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां मदना नाला पड़ता है वहां से पानी देवरिया तक जाता है। उसको ठीक कराया जाय और साथ ही साथ जब गोर्रा नदी बढ़ती है तो काफी दूर तक पानी चला जाता है और कृषि को नुकसान पहुंचता है।

इसके अलावा गोर्रा नदी के किनारे भी काफी जगह पर बांध कट चुका है और मरम्मत न होने के कारण काफी नुकसान हुआ है। अतः मैं चाहता हूं कि इन बांधों को मरम्मत करा दी जाय। नहरों की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में नारायणी नहर आ रही है और इससे सम्बन्धित कार्यकर्ता मनमाने ढंग से लाइन बना रहे हैं। अगर कहीं उनको कुछ रुपया मिल जाता है तो नहर की लाइन बदल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाने के विचार से ही पहले इधर-उधर रास्ता ढूंढ़ा करते हैं और उसके बाद कुछ पैसा पा जाते हैं तो ठीक कर देते हैं। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन इस नहर के अन्दर पड़े उनको मुआवजा दिया जाय। श्रीमन्, रामगढ़ महदेवा माइनर की तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह माइनर सूखी पड़ी रहती है। इसमें रामगढ़ से पानी दिया जाय। इससे भी खेती को काफी लाभ होगा। नारायणी नहर से फरेन नाले में पानी आता है। जेठ में बोरो की फसल में पानी की आवश्यकता पड़ती है। समय से पहले अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है, लेकिन जब फसल बरबाद हो जाती है

तब पानी छोड़ा जाता है और पानी की कीमत ज्यादा ली जाती है। जनता रोते-कलपते पानी का मूल्य चुकाती है। मान्यवर, उपमुख्य मंत्री जी को यह विभाग पहले भी मिला हुआ था और उस क्षेत्र का वह काफी भ्रमण भी किए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बांधों और सिंचाई की सुविधा के लिए विशेष ध्यान दें तथा कछार में जहां राप्ती गोर्रा बाढ़-पीड़ित हुआ था और वहां वह गय थ, उस क्षत्र में बिजली की लाइन फैलाकर लोगों को सुखी बनावें।

*श्री शिव बचन (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई का जो यह अनुदान है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सिंचाई के सम्बन्ध में जितना अनुदान होना चाहिए था उससे यह कम है, इसे और बढ़ाया जाय ताकि प्रदेश में अधिक सिंचाई हो और अधिक गल्ला पैदा हो। अधिक गल्ला पैदा होगा तो लोग सुखी होंगे। श्रीमन्, पूर्व के जिलों में, गोरखपुर-देवरिया में, आबादी घनी है और जमीन कम है। यह सही है कि पहले के मुकाबले में वहां काफी सुधार हुआ है। पहले वहां देखने को भी ट्यूबवेल नहीं था। अब तो सिंचाई के साधन होने से वहां भी पैदावार बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहां हर गांव में ट्यूबवेल लगना चाहिए। तब गल्ला ज्यादा पैदा होगा। उससे देश सुखी होगा और आदमी मजबूत होगा। दूसरे देशों से कर्ज और गल्ला नहीं मांगना पड़ेगा। दूसरों से गल्ला मांगने में शर्म लगती है और बड़ी तकलीफ होती है। यदि हर गांव में सिंचाई का साधन हो जाएगा तो ज्यादा गल्ला पैदा होगा और लोग सुखी होंगे। कम खेत होते हुए भी हम तरक्की कर जायंगे। जो बड़े-बड़े गांव हैं, जहां पर कि १ हजार एकड़ जमीन है वहां पर दो-दो नलकूप होने चाहिये, जो छोटे गांव हैं वहां पर एक नलकूप लगाया जाना चाहिये।

मान्यवर, बिजली देश की ताकत है, जिस तरह से हमारे स्वस्थ शरीर के लिये ताकत की जरूरत होती है, बिना ताकत के हम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह से मुल्क के लिये बिजली की ताकत की जरूरत होती है। जब हमारा मुल्क ताकतवर होगा तभी वह एक मुक्के मे पाकिस्तान, चीन आदि को पीछे ढकेल सकता है। इसलिये जहां-जहां पर हमारे यहां नलकूप हों वहां बिजली दी जानी चाहिय।

किसानों के लिये जो आप ने यह कर रखा है कि जो २० रुपया देगा उसे कुवां बनाने के लिये रुपया दिया जायेगा, यह २० रुपया देने वाली बात हटा दी जानी चाहिये। होना यह चाहिये कि जितनी वह सिंचाई करे, उसका उतना ही पैसा दे। आप किसानों को मुआवजा भले ही न दें, मगर हमारे यहां गांव-गांव में नलकूप लगवा दें। जयहिन्द

*श्री सन्तू (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बिजली, सिंचाई आदि विषयों पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां का क्षेत्र, खासकर खलीलाबाद दुआबा का क्षेत्र, बहुत पिछड़ा हुआ है। २० साल आजादी को हो गये, मगर आज तक वहां न तो कोई सिंचाई के साधन ही पैदा किये गये न बिजली ही दी गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे हमारे यहां बिजली के साधन दें और सिंचाई का प्रबन्ध करें। हमारे यहां २२ मील के क्षेत्र में केवल ३ ट्यूबवेल्स हैं। हमारे यहां पटवारी गांव से रामपुर के बीच २०-२२ मील के बीच किसी प्रकार के सिंचाई के साधन नहीं हैं। रामपुर बंधा है जो घाघरा के सामने है। उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तू]

क्षेत्र में इतना नुक्सान हो रहा है जो कहने योग्य नहीं है। बसन्तपुर के पश्चिम मुखलिसपुर को एक नहर गई है, आज बारह साल हो गये हैं सिंचाई का निर्माण हुए लेकिन जनता की भलाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि बिजली का साधन और निजी ट्यूबवेल जो जनता लगा सके.....

(माननीय सदस्य के कागजात देखकर पढ़ने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कागज न देखें। जो आवे वह बोल दें तो अच्छा बोलेंगे।

श्री सन्तू—

हमारे यहां जनता पानी के साधन के बिना इतना तरस रही है। आज यदि जनता में पानी का साधन हो जाय तो जनता इतनी खुशहाल हो जाय कि क्षेत्र अच्छा हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस्ती दक्षिणी क्षेत्र से चुन कर आया हूं। वहां जनता पानी के साधन के बिना तरसती है। सरकारी ट्यूबवैल वहां नहीं है। बिजली का साधन होना चाहिये। वह अनिवार्य है। मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां के लिये उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया। वहां पर स्वयं जांच करके इन्तजाम कर दें जिससे हमारी जनता खुशहाल हो जाय और सिंचाई मंत्री की तारीफ़ करे।

श्री कोरी सुखलाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर दिया। मैं माननीय मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार ने बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बनाकर बंधे और नहरें निकालीं और हजारों ट्यूबवैल लगाये। माननीय मंत्री जी ने जैसे आज घोषणा की है कि सरकार चार फ़र्लांग से और बिजली किसानों को देगी इससे किसानों को फ़ायदा होगा। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान इटावा जिले की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। वहां आपरेशन एरिया गंगा, यमुना वगैरह नदियों के बीच बसा हुआ है। नदियों के कटानों से लाखों एकड़ जमीन कटती जा रही है। उस कठिनाई से बचने के लिये अगर सरकार कोई योजना बनाये तो लाखों एकड़ जमीन का [illegible] की निकल सकती है और वह भूमिहीनों में बंट सकती है।

हमारे जिले में जो सिंचित क्षेत्र है और सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं वह गलत है। ३ लाख ५४ हजार एकड़ की सिंचाई बताई गई है। पहले सन् १९२० में २ लाख एकड़ की वहां सिंचाई होती थी, न तो वहां नये बम्बे निकाले गये, न नहर बनाई गई और न कोई नलकूप ही लगे हैं और कहते हैं कि सिंचाई का क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता जाता है। यह आंकड़े गलत हैं। आप नया बीज, खाद देते हैं। मेक्सिकन गेहूं है। उस को ४–५ पानी की जरूरत होती है उसके लिये सिंचाई के साधन कम होते जाते हैं। इस तरह से पानी की जरूरत बढ़ती जाती है लेकिन साधन जल के नहीं हैं। आप के पास शिकायतें आती हैं लड़ाई-झगड़े होते हैं, नहरें-बम्बे काटे जाते हैं, उसी कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता है, कारण उस का यही है कि जल की कमी है। पतरोल जान कर पैसा लेकर बम्बे कटा देते हैं और भ्रष्टाचार फैलता है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उस जिले के लिये सिंचाई का विशेष प्रबन्ध करें।

हमारे यहां दक्षिणी इलाके में क्योला से ऊदी तक का ६५ मील का क्षेत्र ऐसा है जहां कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। जमुना के सिकरना किनारे पर जो कुंड है वहां पर बांध की जरूरत नहीं है। अगर केवल लिफ्ट सिंचाई की योजना ही चलाई जाय तो हजारों एकड़ की सिंचाई उससे हो सकती है। हमारे यहां सर्वे अमीन जुलाई मास में गये थे और उन्होंने उस क्षेत्र को देखा था, हमने उनके साथ में जाकर तीन-तीन सौ एकड़ के ६ फ़ार्म दिखाये जो अच्छी जमीन है और जहां अगर पानी का प्रबन्ध हो जाय तो अच्छी पैदावार हो सकती है। अगर सिंचाई का प्रबन्ध हो जाय तो वहां यकसा अच्छी जमीन है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सिंचाई मंत्री श्री राममूर्ति ने भी इस क्षेत्र को देखा था। उन्होंने वादा किया था कि इस क्षेत्र के लिये सिंचाई का प्रबन्ध करेंगे, उसके बाद श्री गिरधारी लाल जी जब सिंचाई मंत्री थे तो वह भी इस क्षेत्र के दौरे में गये थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम वहां सिंचाई का प्रबन्ध करेंगे। हमेशा कांफ्रेंस में वादा किया गया और हजारों किसानों के प्रार्थना-पत्र आये लेकिन वहां सिंचाई का प्रबन्ध आजतक नहीं किया गया। मेरी प्रार्थना है कि उस क्षेत्र के लिये नलकूपों का प्रबन्ध करें।

हमारे यहां निजी नलकूप लगते थे, सन् १९६५–६६ में उनको २५ प्रतिशत सहायता मिलती थी लेकिन अब वह नहीं दी जाती। मैं चाहता हूं कि पहले की ही तरह निजी नलकूप लगाने वालों को सुविधा दी जाय। दूसरे हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि हम ३,००० आबादी वाले गांवों को बिजली देंगे। हमारे यहां फ़फ़ूंद दस बारह हजार आबादी का कस्बा है और वह टाउन एरिया भी है, वहां पर उद्योग धंधे भी चलते हैं। २ हजार बुनकरों की वह बस्ती है। उनकी वहां सहकारी समितियां हैं और उस क्षेत्र में बिजली की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि वहां पर बिजली जरूर पहुंचायी जाय, वहां पर किसानों को और उद्योग वाले लोगों को बिजली का प्रबन्ध करने की कृपा की जाय। वहां पर कपड़ा उद्योग भी बढ़ाया जा सकता है। अजीतमल ब्लाक है वहां सब से ज्यादा ट्यूबवेलों की कमी है। अजीतमल ब्लाक में ८० कुएं ऐसे हैं जिनसे सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर सरकार ५ एकड़ प्रति कुएं की योजना भी लागू करे तो भी इस इलाके में काफ़ी रकबे में सिंचाई हो सकती है।

हमारे जिले में जो काश्त की पैदावार है वह अब ८ लाख २२ हजार है। पहले वह ७ लाख २० हजार थी। पैदावार में जो बढ़ोतरी हुयी है वह उस जिले में पानी की निकासी के कारण से हुयी है। वहां पर और जमीन खेती के लिए उपलब्ध हो सकती है अगर नाले से पानी के निकालने का प्रबन्ध हो जाय। अन्त में मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस इलाके में भूमि के कटाव को रोकने की तुरन्त व्यवस्था करा दें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर सिंचाई का विषय बड़े जोरों से चल रहा है और हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत बड़े–बड़े सुझाव रखे हैं। मैं भी थोड़े से सुझाव आपके सामने इस प्रदेश के रखना चाहता हूं। सबसे पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को यह सुझाव देता हूं कि यहां पर राजा भागीरथ.....

श्री उपाध्यक्ष––

मुझे सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। आप माननीय मंत्री जी को, सम्बोधित न करें ?

श्री राजितराम पांडेय––

श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि भागीरथी जी गंगा जी को लाये थे और आज उसका १९सौ मील का पानी बेकार चला जाता है। मैं माननीय के० एल० राव साहब की बड़ी प्रसंशा करता हूं कि उनके दिमाग में एक चीज आयी कि इस गंगा का पानी नहरों में ले जाकर हम देश के किसानों का भला कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज २३ वर्ष की आजादी के बाद भी हम उस विचार को पूरा नहीं कर सके। आज तक जैसा सुझाव उन्होंने दिया, किसी ने नहीं दिया। श्रीमन्, हमारा देश सन् १९४७ में आजाद हुआ और चाइना १९५० में। अगर आज आप दोनों का मुकबला करें तो देखेंगे कि चाइना कितना आगे बढ़ा है और हम कितने पीछे गये हैं।

[श्री राजितराम पांडेय]

जहां तक सिंचाई और खेती की पैदावार का प्रश्न है मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे गरीब काश्तकार देहात में रहते हैं, उनकी ओर २३ वर्ष में भी कोई तवज्जह नहीं दी गयी। अगर इतने समय में कोई गौर की गयी होती तो जो गैर मुल्कों से हमें भीख मांगनी पड़ रही है, कर्जा ले लेकर हमारी सरकार ने हमारी सन्तानों पर बोझ लाद दिया है, वह न पड़ता। खेती के लिए सब से बड़ी जरूरत होती है खाद, पानी और अच्छे बीज की। लेकिन सरकार ने पानी की पूर्ति के लिए कोई तवज्जह नहीं की है। अगर की भी गयी होती तो मुझे कहने में कोई संकोच न होता। बाकी इलाके जो रहे हैं, बिजली के इंजिनियर व कर्मचारी बहुत घूंस लेते हैं बिजली गरीबों को नहीं मिलती विशेषकर तहसील हंडिया के बिजली के कर्मचारी बहुत ही भ्रष्ट हैं।

अंग्रेजों ने भी उनको दुतकारा और कोई इन्तजाम नहीं किया। जहां के लोग बा ी नहीं रहे वहां अंग्रेजों ने भी नहर खोदी, ट्यूबवेल लगाये। मेरठ में उस समय भी ट्यूबवल लगे लेकिन पूर्वी जिलों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, ४२ की बगावत में बलिया में क्या हुआ इसे कोई नहीं भूल सकता, लिहाजा वहां के साथ एक दूसरा बर्ताव किया गया। मंगल पांडेय ने जो इतिहास वहां का बनाया वह अमर रहेगा, मिट नहीं सकता। पूर्वी जिलों के लोगों न बगावत को अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी लेकिन आज भी वहां पानी की व्यवस्था नहीं है चाहे आप झांसी, फतहपुर, इलाहाबाद, बनारस, बलिया किसी को भी देख लें।

सिंचाई मन्त्री ने अपने क्षेत्र बनारस के कुछ हिस्से में भले ही सिंचाई की व्यवस्था कर दी हो लेकिन बनारस के अन्य हिस्से भी अछूत रह ग हैं। प्रतापगढ़ भी बिलकुल अछूता पड़ा हुआ है और इन जिलों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि जितना पैसा नसबन्दी और लूप लगाने पर खर्च किया गया अगर वह पैसा किसान को पानी देने में खर्च किया गया होता तो फिर कोई जरूरत न पड़ती कि हम दूसरे देशों से गल्ले की भीख मांगते। जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी वहीं के लोग भूखे मर गये। हमारे यहां हंडिया में चन्द ट्यूबवेल लगे हुए हैं वहां की हालत अच्छी है लेकिन बुमदुमा, टेला, मुवइया, भीसलपुर आदि गांवों में पानी की व्यवस्था न होने से वहां के लोग महुवा खा कर जिन्दा रहते हैं। उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर उनको पानी मिला होता तो वहां की यह हालत न होती।

आज पश्चिमी जिलों के किसान क्यों खुशहाल हैं? फर्रुखाबाद का किसान क्यों हाई ईल्डिंग क्राप पैदा करता है, मेरठ का किसान क्यों अधिक गन्ना पैदा करता है? इसलिये कि वहां पानी का साधन है। बांदा, झांसी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद तथा बनारस के अधिकांश हिस्से में किसान भूखा मर रहा है। इसलिये कि वहां पानी की सुविधा उसको नहीं है। पानी की सुविधा होती तो बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत ही न पड़ती, भूखे मरने की नौबत ही न आती। इसलिये निवेदन है कि टी० ए०, डी० ए०, रंग-रेलियों, पार्टीबाजी, इलेक्शनबाजी में अगर रुपया खर्च न करके सारा का सारा रुपया सिंचाई में लगा दिया जाय तो आप भी चीन की तरह शक्तिशाली हो सकते हैं।

काशी नरेश, शंकर जी महाराज से निवेदन है कि बिजली की तरफ भी वह देखें। कानपुर में झींझक कस्बे में बिजली का काम अधूरा पड़ा हुआ है। और डेरापुर क्षेत्र में रामगंगा योजना का बम्बा बन्द है। तो इस ओर आप थोड़ी तवज्जह करें। अभी हमारे श्री रामकिशोर साथी ने कहा कि गवार बांध अगर बन गया होता तो ४०–५० गांवों के लोगों को राहत मिलती लेकिन के० एल० राव साहब आये वहां की जनता ने हजार डेढ़ हजार रुपया लगा कर शिलान्यास किया, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, शिलान्यास अभी भी लगा हुआ है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारी हंडिया तहसील बहुत पिछड़ी हुई है और वहां पीने के पानी तक का साधन नहीं है। जो बम्बे आपने लगवाये हैं वे सूख गये। सिंचाई के लिये नल कूप लगवाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने व्यापक अनुभव और चतुर्मुखी ज्ञान के प्रकाश में माननीय उप मंत्री मुख्य का ध्यान सिंचाई के प्रत्येक पहलू की ओर गया,। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री को इस बात के लिये हृदय से बधाई देना चाहता हू कि उन्होंने एक सिंचाई आयोग के गठन की घोषणा की जिसके जिम्मे सिंचाई से संबंधित हर बात के ऊपर विचार करने का अधिकार होगा। इससे भी अधिक बधाई के पात्र में उन्हें इसलिये समझता हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग के सबसे उपेक्षित वर्ग श्रमिक की समस्याओं का भी हल करने की घोषणा की। यह भी निर्विवाद है कि कृषि प्रधान व्यवस्था में जहां खेती के साधनों पर ही लोगों का जीवन अवलंबित हो वहां सबसे अधिक महत्व सिंचाई के साधनों को देना चाहिये, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। इसलिये हमारे देश की सरकार ने जब से शासन का भार सम्हाला है इस ओर ध्यान दिया है।

सिंचाई के साधनों की बड़ी योजनाओं के रूप में जैसे रामगंगा और शारदा नहर इत्यादि, मध्यम प्रकार की योजनाओं के रूप में जैसे विभिन्न जलाशय इत्यादि तथा छोटी योजनाओं के रूप में जैसे नलकूपों द्वारा किसानों तक सुलभ करने का प्रयास किया। १९६८-६९ तक हमारे प्रदेश में ९,४०४ नलकूपों का निर्माण हुआ जिस पर २५७.५४ करोड़ खर्च हुआ। और इन साधनों के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र का खेत्रफल इस प्रकार है। योजनाओं के पहले ७४.९९ लाख एकड़ था और आज १३४.५७ लाख एकड़ हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इन विस्तारों से हम संतुष्ट हो सकते हैं लेकिन आप ने सीमित साधनों के अंतर्गत सरकार के प्रयास की दिशा बड़ी सही रही है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद हमें बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि हमारा पूर्वांचल बहुत ही कम लाभान्वित हुआ। यद्यपि मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रदेश की रग रग से वाकिफ हैं और पुर्वांचल के चप्पे चप्पे से परिचित हैं परन्तु फिर भी उनकी स्मृति को ताजा करने के लिये मैं जो प्रगति की पुस्तिका छपी है उसके कुछ आंकड़ों को आप के माध्यम से उनके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि उनके सामने यह बात स्पष्ट हो जाय कि कितना क्षेत्रीय विषमता है। इसे पुस्तिका में दिया है राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल। यह संख्या हजार एकड़ में है :--

जिला	कृषि योग्य क्षेत्रफल	१९६८ तक सिंचाई क्षमता
सहारनपुर	१००२.७	३७५.१
मुजफ्फरनगर	८९२.४	५७८.३
मेरठ	१२७०.६	८७९.१
बुलन्दशहर	१०५७.१	६०१.१
अलीगढ़	१०५८.४	५५८.२
गोरखपुर	१२९३.६	१८९.५
देवरिया	१२१३.४	१७४.६
बस्ती	१५९४.३	१९४.९
आजमगढ़	१२३१.९	२२१.८
गोंडा	१४८९.८	१०२.७
बहराइच	१२९२.९	६२.४

[श्री रामलखन शुक्ल]

यह आंकड़े स्वयं हीं इस बात को बताते हैं कि कितना इम्बैलेंस है । जब माननीय उपमुख्य मन्त्री नलकूपों की व्यवस्था पर विचार करें और उसका एक नक्शा बनाय तं, इस बात का ध्यान रखे कि प्रायरिटी कहां होनी चाहिये । मेरा विचार है कि उपेक्षित क्षेत्रों को वरीयता मिलनी चाहिये ।

इसके बाद १–२ शब्द मैं बाढ़ नियन्त्रण के संबंध में भी निवेदन कर देना चाहता हूं । कई बार इसके लिये योजनायें बनायी गयीं । केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह आदेश हुयकि राज्य अपने–अपने प्रदेशों के मास्टर प्लान इस बारे में तैयार करें । इस प्रदेश ने भी उसके अनुसार एक मास्टर प्लान बनाया जो २२८ करोड़ का बैठा । लेकिन चूंकि उसका वित्त-पोषण इस प्रदेश के साधनों स सम्भव न हो सका इसलिये स्वभावत: इसकी व्यवस्था न्तीय स्तर पर न हो सकी । हमारे जिले में राप्ती नदी बहती है । उसक सर्वेक्षण माननीय उपा मुख्य मंत्री जी द्वारा कराया जाय । एक बार स्वयं माननीय मंत्री जी ने राप्ती की उफनती हुई ऊमियों पर सवार होकर उस क्षेत्र का दौरा किया है । उसके आसपास क गांवों की उस समय क्या हालत होती है, इसका अनुभव माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपनी आंखो से देखा है । उसके आसपास बसन वाले अनेक गांव वाले कहते हैं कि यहां ठोकर लगा दी जाय और दूसरा गांव कहता है कि यहां न लगायी जाय, यहां लगायी जाय । क्योंकि एक जगह ठोकर लगाने से दूसरे गांव के कटन की सभावना भी हो सकती है । इसलिये निष्पक्ष भाव से माननीय मंत्री जी इसका सर्वेक्षण करायें और यथा संभव ठोकरें लगायें ताकि वहां की जनता को उस बाढ़ विभिषिका से बचाया जा सके । जिन गांवों की हालत बहुत खतरनाक है वे ह–– मझनगांव, भखलिया, बसावल, केतहन गांव और गजपुर कस्बा । यह बराबर कटते जा रहे हैं । इनको बचाने के लिये सर्वेक्षण के पहले ही ठोकर लगाने की व्यवस्था की जाय । क्योंकि उसका सर्वेक्षण ही किया जाता रहा और ये गांव कट गये तो उस व्यवस्था का कोई अर्थ ही न रह जायगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इनके कटाव को रोकने की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं जानता हू कि सिंचाई मंत्री जी को इतना अनुभव तो है कि उनको यह भ्रम नहीं है, कि बाढ़ नहीं है। इसलिये कटाव भी नहीं है। जब बाढ़ नहीं होती तब कटाव भी ज्यादा होता है । और इन गांवों की यही सबसे बड़ी समस्या है ।

इसके अतिरिक्त कुछ बांधों का निर्माण हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी के काल में ही पहले हुआ था । इन बांधों की हालत बहुत खराब हो रही है । इसलिये उन बांधों की और जो पहले ठोकरे बनायी गयीं थीं, उनकी मरम्मत होनी चाहिये ।

अब नल कूपों के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जहां तक मुझे स्मरण है पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब नल कूपों का निर्माण किया गया है तो आधारभूत सिद्धान्त यह माना गया था कि रबी की फसल कों सिंचाई की आवश्यकता होती है और उसी सिद्धान्त पर ट्यूबवैल्स लगाये गये थे । लेकिन अब परिस्थिति बदल गयी है । अब फसलों की हाईब्रीड बेराइटी आ जाने से बारहों महीनें पानी की आवश्यकता होती है । इसलिये बिना ट्यूबवैल के अब खेती संभव नहीं है । ऐसे क्षेत्र में भी जिनमें केवल धान की फसल ही होती है । इसलिये ऐसे स्थानों के लिये तथा नहरी क्षेत्रों के लिये जिस प्रकार से आपने गांवों को ऊंचा किया था उसी प्रकार से स्थानों को ऊंचा करके वहां पर ट्यूबवैल लगाये जायं ।

इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस पिछड़े हुये प्रदेश का लघु रूप देखना चाहें तो उसके लिये बांसगांव तहसील को देखें । वहां आज भी असिंचित क्षेत्र बहुत है । वहां जितने ट्यूबवेल आज हैं उनसे दस बारह गुना ट्यूबवैल हों तो शायद कृषि की सिंचाई हो सके। वहां न रेलवे लाइन है, न नहरें है । सिंचाई का एक मात्र साधन ट्यूबवैल हो सकता है । इसलिये ट्यूबवैलों का वहां निर्माण करना चाहिये ।

भ्रष्टाचार के सिलसिले में यद्यपि भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग करते थे हिम्मत नहीं पड़ती लेकिन इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग

में भ्रष्टाचार के संबंध में बड़ी कठिनाई होती है। यह टैक्निकल डिपार्टमेंट है। माननीय मंत्री ने स्वयं कहा था कि जो डाक्टर कहेगा वसी दवा होगी। वही हम लोग भी मानते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा कटु अनुभव हुआ है, बिलकुल अव्यावहारिक राय टैक्निकल लोग देते हैं। बड़ी शीर्षस्थ संस्था है टेक्निकल लोगों की, रुड़की अनुसंधानशाला। उनका जो अनुभव हुआ वह यह कि वह केवल यही जानते हैं कि रिटार्ड बांध बना दो। मौजूदा बांधों को मजबूत करने की स्कीम वह नहीं बनाते हैं। इसके मानी यह है कि जो क्षेत्र बचाना है उसको नदी के पेट में कर दो।

हमारे बांसगांव तहसील में ऐसे अनेक अवसर आये, टेक्निकल लोगों की राय के खिलाफ माननीय उप मुख्य मंत्री ने काम किया है। कई बांध बनाये हैं, कोठा, रकहट बांध, मझौलिया बांध, टेढ़िया बांध। वे सब उसी प्रकार पड़े हुये हैं तो मरम्मत की आवश्यकता अवश्य है। एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में यह विभाग है। हमें आशा है कि वह स्वयं विवेक का प्रयोग करेंगे और टेक्निकैलिटी के आधार पर कामों में क्षति नहीं पहुंचेगी। जो चीजें बनती हैं वह कमजोर रहती हैं। उनके निरीक्षण के लिये एक हाई पावर कमीशन होना चाहिये जिसमें टेक्निकल लोग भी हों और कुछ जनता के प्रतिनिधि भी हों। जनता का प्रतिनिधि उसमें बैठेगा तो जनता की भावना को प्रदर्शित करेगा। कभी-कभी कामनसेंस प्रिवेल कर जायेगा। इसलिये प्राजेक्ट्स का सही निर्माण और निरीक्षण होगा। कभी-कभी बात साफ होती है, लेकिन उसका सबूत नहीं मिलता है।

सिंचाई विभाग में रिश्वत देने का सबूत नहीं मिल सकता है। कभी-कभी मुश्किल से कोई मजिस्ट्रेट द्वारा पकड़ने पर गिरफ्तार हो जाता है लेकिन अदालतों में अनेक प्रकार की बातों से वह बच जाता है। इस विभाग में रिश्वत का एक बड़ा भारी सबूत यह है कि एक आदमी ओवर-सियर आज नियुक्त होता है, डेढ़ वर्ष में उसके पास मोटर साइकिल हो जाती है, मकान बन जाता है। एक इंजीनियर की पांच वर्ष में क्या हशियत हो जाती है। माननीय उप मुख्य मंत्री के हाथ में यह विभाग है। अधिकारियों की सम्पत्ति का वार्षिक निरीक्षण हो और इंडियन पनल कोड में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उस सीमा तक जाना चाहिये। मेरा स्पष्ट सुझाव है कि इंजीनियर्स जसे लोगों की सम्पत्ति का निरीक्षण होना चाहिये और फिर उसके आधार पर कार्य-वाही हो। म उप-मुख्य मंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं। आपकी कृपा से बांध वहां बना। मैं उस गरीब जनमानस की आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं। जो आपके सिंचाई विभाग संभालने पर आशा भरी निगाह से देखने लगा है। निश्चय ही आपकी निगाह उधर जायगी। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हू कि आपने मुझे समय दिया। किसी भी कृषि प्रधान दश के लिये सिंचाई के साधन जुटाना सरकार का प्रथम काम होता है। लेकिन २२ साल की आजादी के बाद भी आज हम ३४ प्रतिशत सिंचाई साधन जुटा पाये हैं। इसकी ओर हमने कभी पूरा ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है कि हमारे जो संबंधित कर्मचारी हैं, वह भी इस भ्रष्टाचार की जड़ हैं, उनका ध्यान अपना मकान बनाने में ही लगा रहता है। मेरे क्षत्र में आज तक कोई ट्यूबवैल नहीं बना है। सेवाजपुर और पिपलौती ग्रामों के मध्य में एक नाला गंगा नदी से कट गया है, जिससे वहां २०० गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री के० एल० राव ने सन् १९६८ में निरीक्षण करके उसके लिये आश्वासन दिया था कि उसके निर्माण के लिये कुछ धनराशि स्वीकृत की जायगी, लेकिन आज तक वह नाला उसी हालत में पड़ा हुआ है। उस नाल की वजह से जनता परेशान है। ५० गांव

[श्री जितेन्द्रपाल सिंह]

तो उस से बहुत ही प्रभावित हैं जिनकी बरसात में कटाव से जन-धन की बहुत हानि होती है। जिले में जिलाधीश भी हैं, अधिशासी अभियन्ता भी हैं, लेकिन उन्होंने उसका सव कराकर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

दूसरी बात मैं राजकीय नलकूपों के बारे में कहना चाहता हूं, आज मौजूदा राजकीय नलकूपों की हालत बहुत खराब है, उनको ठीक किया जाना चाहिये।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जो किसान लोगों को बिजली मंजूर कराने में और ऐग्रीमेंट कराने में परेशानी होती है, उन परेशानियों को दूर किया जाये। अतः मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि उनकी परेशानियां दूर करके उनको बढ़ावा दिया जावे ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ सके, यदि कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो देश खुशहाल होगा।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने समय दिया। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने जो सिंचाई और बिजली का अनुदान सदन में रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, सिंचाई और बिजली की आज इतनी बड़ी समस्यायें हैं, इतनी बड़ी मांग है कि इस पर काफी गौर होना चाहिये। यह उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है, इसमें यदि एक दो ही समस्या ही हल हो जायं—सिंचाई और बिजली की तो यह प्रदेश बहुत आगे हो सकता है और अन्य प्रदशों के मुकाबले में पीछे नहीं रहेगा। मान्यवर, आजमगढ़ जनपथ की तरफ आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस जिले से उप-मुख्य मंत्री जी बहुत परिचित हैं। पिछले दिनों में जब वह सिंचाई मंत्री थे, जो कुछ भी उन होंने किया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जनपथ में बहुत कुछ हुआ उनके समय में। लेकिन लालगंज तहसील की ओर मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज भी वहां एक बड़ी समस्या खड़ी है, जो अधिकारी वर्ग इंजीनियर, बिजली इंजीनियर और डी० एम० के सामन एक उलझन है कि उसको कैसे हल किया जाये। वहां कुवें नहीं बन सकते, इसलिये नहीं बन सकते कि बालू का स्ट्रेटा इतना लम्बा पड़ता है कि हमारे किसान कुवें नहीं बनवा सकते। कुवें नहीं बने तो सिंचाई कैसे हो। वहां आप सरकारी नलकूप लगवायें।

ंडित जी के समय में वहां पर १०–१२ नलकूप लगे थे, उसमें से ४–५ फेल हो गये। फेल होने का कारण यह था कि उस समय केन्द्रीय सरकार का एक कंट्रेक्ट हुआ जर्मनी और फ्रेन्च कम्पनी से कि ढाई सौ फुट तक वह बोरिंग करेंगे, लेकिन उस जिले का दुर्भाग्य यह है कि वहां २०० फुट पर पानी नहीं मिलता। पानी के लिये ३–४ सौ फुट जाना पड़ता है तब कहीं पानी मिलता है। और पंडित जी ने उसे बन्द करवा कर उसके बाद डिपार्टमेंटल रिंग जो डिपार्टमेंटल मशीन है उससे बोरिंग करवाया तो पांच छः ट्यूबवैल पंडित जी के प्रयत्न से लगे।

हमारे आजमगढ़ में कहीं पर ४८ टयूबवैल, कहीं पर ६५ ट ूबवैल और कहीं पर ६० ट्यूबवेल और कहीं पर ३६ ट्यूबवैल लगे हैं लेकिन मान्यवर लालगंज तहसील में केवल पांच छः नलकूप हैं। इतनी बड़ी तहसील है और इतना लम्बा चौड़ा इलाका है लेकिन वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मैं आप से और माननीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि छः छः और सात सात मील का इलाका बिलकुल बंजर पड़ा हुआ है जहां पर न कुवां है न नलकूप है और न कोई दूसरे विभागीय साधन हैं। अपने तरीके से निजी नलकूप लगाकर एक आध जगह काम कर सकते हैं। माननीय पंडित जी की कृपा से एक कड़ुवा सब स्टेशन तैयार हुआ और एक लाल गंज सब स्टेशन तैयार हुआ। लाल गंज सब स्टेशन ने कुछ इलाके का भला किया लेकिन कड़ुवा सब स्टेशन तैयार हुआ लेकिन उसमें लाइन नहीं निकली। गांवों में लोग उससे सिंचाई के साधन नहीं बना सके। आज उस तहसील में तमाम निजी नलकूप बोर करा कर लोग बैठे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं लेकिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सका । मैं आपके माध्यम से इस ओर पंडित जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । उन्होंने विभाग को लिखा है लेकिन विभाग में देरी होती है । यह तो विभागीय कार्यवाही है । यह जिला पंडित जी के क्षेत्र से मिला है, बनारस तहसील से सटा हुआ है और पंडित जी जब जौनपुर से एम०एल०ए० थे तो उनके उस क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है ।

मान्यवर, जहां कहीं जब निजी नल कूपों से सिंचाई के साधन की मांग होती है और उसके लिये बिजली के कनेक्शन की मांग होती है तो बिजली का कनेक्शन नहीं देते हैं । अधिकारी कहते हैं कि वोल्टेज काम नहीं करता है इसलिये वहां पर बिजली सप्लाई नहीं हो सकती है । इस इलाके में वोल्टेज काम नहीं कर रहा है । वहां पर एक बड़ा सब-स्टेशन बनाना चाहिये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इतना लम्बा चौड़ा इलाका है लालगंज तहसील का उसके एक तरफ जौनपुर का इलाका है, दक्षिण में बनारस का चोलेपुर इलाका है और पश्चिम में मार्टिनगंज और शाहगंज है दक्षिण में और फिर सैदपुर गाजीपुर का इलाका है पूर्व दक्षिण में, यह सब इलाका पूरे का पूरा सिंचाई से वंचित रह जाता है । यह पांच छः मील का इलाका है । अभी वहां पर माननीय माल मंत्री जी गये थे उस स्थान पर जहां पर पीने के लिये पानी नहीं । वहां पर कोई कुआं नहीं है । माननीय माल मंत्री जी ने उस इलाके का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मिर्जापुर के उन इलाकों से लालगंज का इलाका कम खराब नहीं है । यहां पर रेह ही रेह और ऊसर ही ऊसर दिखाई देता है । वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है । मैं उधर माननीय उप-मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । जब उप-मुख्य मंत्री जी सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने शारदा कैनाल के साथ लालगंज में दो उपशाखायें कायम करवाई लेकिन वह इस दृष्टिकोण से करवाई कि उनमें पानी जायगा लेकिन आप देखें कि वहां पर पानी नहीं जाता है । किसानों की जमीन चली गई । जितनी किसानों की जमीन चली गई उतनी सिंचाई नहीं हो पा रही है । लोगों से और चीफ इंजीनियर से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि वह तो काफी टेल पर है वहां पानी नहीं जा सकता है । मान्यवर, आजमगढ़ जनपद की ओर पंडित जी का वैसे ध्यान है चूंकि पिछड़ा जिला है । पूर्वी उत्तर प्रदेश का और आजमगढ़ जनपद में सबसे पिछड़ा इलाका लालगंज तहसील का है । उसकी बड़ी अहम समस्या है । निजी नलकूपों के कनेक्शन बड़ी मेहनत से २ या ३ या चार मिले हैं और सैकड़ों बोरिंग हो कर पड़े हैं और बिजली उपलब्ध न होने के कारण पड़े हैं ।

(लाल बत्ती दिखाये जाने के बाद)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय हो गया ।

श्री त्रिवेणी--

मान्यवर, तीन चार मिनट और दे दीजिये । मुझे कुछ सुझाव देने हैं क्योंकि सिंचाई का बजट है ।

आजमगढ़ जनपद में दोहरीघाट कैनाल है । उसने सिंचाई की समस्या हल की है लेकिन जिस तरीके से यह जिस पैमाने पर सिंचाई की समस्या हल करनी चाहिये उससे सिंचाई की समस्या हल नहीं हो रही है । टांडा पम्प कैनाल है । उससे आज तक उस इलाके में टेल पर पानी नहीं गया । उसमें जितनी जमीन जिन किसानों की गई, खेत गये, उनको उतना पानी नहीं मिल रहा है ।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

[श्री त्रिवेणी]

मान्यवर, पटेल कमीशन ने जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये, पूर्वी जनपद के लिये और अन्य पिछड़े हुये इलाकों के लिये रिकमेंड किया है और जिन पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है उनके लि ं मैं उप मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा क्योंकि उनका यह इलाका चप्पा-चप्पा देखा हुआ है और पड़ोसी ोने के नाते वे आजमगढ़ के बारे में और पूर्वी जिलों के बारे में भी सब कुछ जानते हैं कि इन इलाकों के लिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की भांति एक विकास बोर्ड बनाया जाय आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की वही स्थिति है जो २० साल पहले थो। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच सभी इलाकों का यही हाल है । आज वहां का जन-जीवन त्रस्त है, घाटे का क्षेत्र रहा है और हमेशा बरेली का सड़ा हुआ चोटा पीकर जीता रहा है और आज भी वही हाल है । मैं पश्चिम के लोगों के सुख में सुखी हूं, उनकी आलोचना नहीं करता लकिन चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरबत है वहां के लिये एक विकास बोर्ड बनना चाहिये और जब वह बन जायेगा तभी उनका उद्धार हो सकेगा। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश केलिये विकास बोर्ड तुरन्त बनाया जाय ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई का अनुदान वास्तव में किसानों का अनुदान है। किसान का हमारे प्रदेश की आर्थिक अवस्था से बहुत गहरा संबंध है । मैंने माननीय सिंचाई मंत्री के भाषण को गौर से सुना । उन्होंने अनेक घोषणायें आज की हैं। मैं उनकी उन घोषणाओं का स्वागत करता हूं मगर इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन और घोषणायें होती बहुत हैं किन्तु उनका अमल कब तक और कितना होगा इसकी तरफ उनका ध्यान होना चाहिये ।

उस कमीशन के बारे में तो इतना कहना चाहता हूं कि अभी पटेल कमीशन की आलोचना आज अभी आप सुन रहे थे । कमीशन बनते हैं मगर वह हमारे लिये शिरदर्द बन जाते हैं । उन पर अमल न होने से लोगों की इच्छायें तो बढ़ा दी जाती हैं लेकिन उचित पूर्ति नहीं की जाती है। उससे फिर असंतोष उत्पन्न होता है। यह जो सिंचाई कमीशन आप बनाना चाहते हैं वह इस तरह का न हो कि कमीशन जो बने और उसके प्रति लोगों को आस्था हो और फिर कुछ न हो कर सब बेकार हो जाय । मैं इस तरह के कमीशन का स्वागत करूंगा कि जब उसका अमली स्वरूप प्रदेश के सामने आये ।

मैं सिंचाई मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ के इलाकों में गांवों को ऊंचा करने की स्कीम थी वह बन्द कर दी गयी है और जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। अगर यह स्कीम रहती है तो उससे गल्ले को बचाने में मवेशियों को बचाने में, चारे को बचाने में और लोगों को जो बाढ़ से बाहर निकाला जाता है इन सब कामों में हमारी सारी कठिनाई दूर हो जाती है और बहुत लाभ होता है ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने गांधी शताब्दी साल के अन्दर गांवों में बिजली देने की योजना बनाई है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में सुझाव दूंगा कि आप किसान के खेतों में बिजली देने का कष्ट करें क्योंकि जब वहां बिजली होगी तो स्वाभाविक रूप से किसान के घर में बिजली पहुंच जायगी । क्योंकि पैदावार से बिजली हो जायगी इसलिये उनके खेतों पर बिजली पहुंचाने में प्राथमिकता करें और जो उसमें कठिनाइयां दफ्तर के अन्दर लोगों को आने-जाने में व्यवहारिक होती हैं, उनको जिला स्तर पर हल करें । दरख्वास्त देने के बाद किसान को कितना परेशान होना पड़ता है । गांव का बेपढ़ा लिखा किसान वह आपके आदेश को नहीं जानता और मामूली क्लर्कों के पास दौड़ता रहता है । आप हरियाणा की तरह से बिजली की सुविधा दें । वहां के अधिकारी किसान के घर पर जाकर उसको मजबूर करते हैं कि तुम बिजली लगा लो, तकावी ले लो । हमारे पड़ोस का इलाका है हम जानते हैं लेकिन हमारे यहां किसान दफ्तरों में धक्के खाते हैं और उनको बिजली पाने में असुविधा होती है ..... जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां पर बड़ी-बड़ी योजनाओं की चर्चा की गयी। इस सिंचाई विभाग के बजट को मैं किसानों का बजट कहता हूं। जहां इस विभाग से आर्थिक विकास होता है वहां मैं यह भी कहता हूं कि इस विभाग के द्वारा जमीन और धन का बहुत दुरुपयोग होता है। यह बात नहीं देखी जाती कि उस जमीन का कितना उपयोग हो सकता है और वह कितनी उपयोगी है। धन का भी इसी तरह से दुरुपयोग होता है कि बड़ी योजना बना दी गई और बाद को वे फ़ल हो गईं। मैं चाहता हूं कि योजना बनाने वाले अफ़सर कहीं भी चले जायं उनको वहीं से बुला कर दण्ड दिया जाय तो तब यह योजनाओं के खराब होने की बात बन्द होगी।

पीने के पानी की योजना बना दी गई। उस समय मुख्य मंत्री जी के हाथ में यह विभाग था लेकिन उस योजना से गांवों में पीने के पानी का उपयोग नहीं हुआ है। जमीन में वह लोहा दबा पड़ा है। वह नुकसान हो गया। गांव वाले पीने के पानी की बात नहीं करते। उन योजनाओं पर धन भी बहुत दुरुपयोग में आया। इस तरह की अनेक योजनायें मैं बता सकता हूं। नहरों को चौड़ा करने की योजना थी। पुलों को भी चौड़ा किया गया जिसके ऊपर बहुत धन व्यय हुआ। माट ब्रांच में और आगरा कैनाल में भी पुल बनाये गये और उनको चौड़ा किया गया लेकिन उनमें पानी नहीं है तो फिर इससे क्या लाभ किसान को हो सकता है। बिना पानी के नहरें व्यर्थ हैं। धन सिर्फ़ खर्च कर दिया गया पर किसानों को लाभ नहीं मिला। इस तरह से करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है जिसका लाभ किसानों को या गांव वालों को नहीं मिलता है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह उपयोगी विभाग होते हुए भी जमीन और धन का अपव्यय बहुत करता है और जितना लाभ उठाना चाहिये उतना नहीं उठाता है।

सिंचाई मंत्री जी ने हमारे यहां माट ब्रांच को पानी आगरा मथुरा के नाम पर नहीं दिया। जो पानी हमारे यहां जा रहा था उसके लिये कहा गया कि नहरी कमांड में जो एरिया है उसको लाजमी पानी देंगे मगर समय-समय पर इस वादे को तोड़ा गया। नहरी कमान्ड को पानी नहीं मिलता है। नलकूप लगे हैं पर वे नलकूप नहरी कमांड के बाहर लगे हैं। कुलाबे की टेल पर पानी नहीं मिला तो नुकसान हुआ। इस तरह से हमारे पानी को रोका गया। आगरा मथुरा को पानी मिले या न मिले लेकिन हमारा पानी बन्द कर दिया। वहां पर नाली बनाने की योजना बनी तो उसमें भी धन का दुरुपयोग किया गया। आज सिंचाई के लिये लोग परेशान हैं। जो नहरी कमांड को पानी देने का वादा था उसको पूरा नहीं किया।

अनेक योजनायें हैं जिनमें अपव्यय हुआ है। रामगंगा योजना बहुत बड़ी है। करोड़ों रुपये की है। गढ़मुक्तेश्वर की गंगा में जाकर वह पानी डाला जायगा। फिर नरौरा में बेराज बनाया जायगा। पहले से एक बना हुआ था उसको तोड़ा गया। दो फ़र्लांग नीचे बनाया गया है। पहले वाले को ऊंचा कर सकते थे, मजबूत कर सकते थे लेकिन दो फ़र्लांग नीचे नया बनाया गया है जिसमें पानी जायगा। कहते हैं वहां से दूसरी जगह को पानी जायगा कब जायगा, कितना जायगा यह दूर की बात है। रामगंगा को गंगा में और फिर वहां से दूसरी जगह यह सब भविष्य की बातें हैं। बड़ी योजना में बहुत समय लगता है। छोटी योजना बनती तो उससे ज्यादा लाभ होता और तुरन्त लाभ होता है। भविष्य के नाम पर बनाई जाती हैं और वे आगे चल कर फेल हो जाती हैं। करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है जिसका दुरुपयोग होता है।

हमारे गांवों में कुछ कठिनाई है। नहर के उस तरफ़ खेत हैं। अब अच्छी हालत किसान की हो गई है तो वह खेतों पर खाद पहुंचाना चाहता है। २, ३ मील का उसको चक्कर काटना पड़ता है, क्योंकि नहर पर पुल नहीं है। जिन लोगों ने निजी नलकूप बना लिये उनको भी अपने नलकूप तक जाने में कठिनाई होती है। पी० डब्लू० डी० के मंत्री भी यहां पर आ गये हैं। सिंचाई विभाग और पी० डब्लू० डी० को एक में मिल जाना चाहिये और मैं चाहता हूं कि जनता के जाने के लिये सड़कों व पुलों की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिये।

[श्री रामचन्द्र विकल]

सिंचाई मंत्री जी को मैं उनका एक वादा याद दिलाना चाहता हूं। जब कि वे हमारे क्षेत्र में ओखला के नीचे गये थे तो वहां के लोगों ने उनसे अपने यहां ट्यूबवेल लगाने की मांग की थी और कहा था कि हम दिल्ली के इतना नजदीक हैं लेकिन हमारे यहां बिजली क्यों नहीं है, और इसी वजह से हमारे यहां ट्यूबवेल भी नहीं है। माननीय मंत्री जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थ, उन्होंने वहां की जनता से कहा कि मैं सिंचाई मन्त्री नहीं हूं, और आप लोग ट्यूबवेल की मांग कर रहे हैं। अगर आज मैं सिंचाई मन्त्री होता तो यहां ट्यूबवेल लगवा देता। माननीय मन्त्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वह ओखला के नीचे का इलाका है और आज से ४ साल पहले आपने वादा किया था और सौभाग्य से आपके पास फिर वही विभाग आ गया है इसलिये अब आप वहां ट्यूबवेल लगवाने की कोशिश करें। बुलन्दशहर जिले का वह इलाका गांधी जी की समाधि के नजदीक है, वहां ट्यूबवेल लगवाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं उनके विभाग में कटौती की बात तो कह नहीं सकता, क्योंकि यह बढ़ौती का विभाग है मगर हमारी जो समस्यायें हैं उनको व्यावहारिक तरीके से देखें और कुछ व्यावहारिक बनावें।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे सामने सिंचाई मंत्री जी ने मांग रखी है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करती हूं। जनाबवाला, सिंचाई और बिजली की जितनी अहमियत है हमारी कृषि के सम्बन्ध में, उसकी बाबत बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि यह बड़ी खुशी की बात है कि जनाब सिंचाई मंत्री जी ने अपनी तकरीर में चन्द बहुत ही अहम फ़ैसलों का एलान किया है और उन्होंने बतलाया कि वे बहुत जल्द इर्रीगेशन कमीशन बनाने जा रहे हैं जिसके जरिये तमाम अपने यहां के पूरे राज्य के जितने काम हैं सिंचाई सम्बन्धी, उनकी बाबत पूरी गौर व खोज की जावेगी। और उसका एक इर्रीगेशन बोर्ड बनाने का एलान किया है और एक मास्टर प्लान भी सिंचाई के मुताल्लिक बनाने का एलान किया है। जनाबवाला, मैं समझती हूं कि इसकी अहमियत को देखते हुए कृषि के सम्बन्ध में अभी जो एलान हुआ है वह कोई जल्दी नहीं हुआ है। मैं सिंचाई मंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि जितने पिछले रूल्स व कायदे कानून हैं वे बहुत पुराने हो गये हैं और उसके साथ ही हमारे सूबे में जितना ज्यादा कृषि को बढ़ाने की जरूरत है उनको भी देखते हुए, इन तमाम चीजों पर गौर व खोज की जाय, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जनाब को मालूम है कि बीज, पानी, खाद, एग्रीकल्चरल इक्वीपमेंट्स, इनसैक्टिसाइट्स, पैस्टिसाइट्स---इन चन्द चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत कृषि को बढ़ाने के सम्बन्ध में है। और हमारे सूबे के कम से कम ८५ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उन तमाम का ताल्लुक खेती से है। वे न सिर्फ़ अपने लिये, अपने खानदान वालों के लिये, बल्कि पूरे सूबे भर के लिये और जो लोग शहरों में रहते हैं, उन सब के लिये गल्ला और खाने की तमाम चीजें मुहइया करने के लिये अपने खेतों में काम करते ह और इसलिये उनके लिये जितनी जरूरी चीजें आसानी से मुहइया हो सकती हों, उनको जरूर दें और जो भी आसानी उनको इस काम में दे सकते हों वह देना बेइन्तहा जरूरी हो जाता है।

जनाब के जरिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि आज जो हमारी कृषि की हालत है, अगर तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इर्रीगेशन के सम्बन्ध में जैसा कि आज एलान जनाब सिंचाई मंत्री जी ने किया है, वह एलान किया जाता और तमाम वे चीजें की जाती तो उससे जो हमने पिछले चन्द सालों में करोड़ों अरबों रुपये बाहरी मुल्कों को भेजे हैं खाने के सामान मंगाने के लिये, तो वह नौबत न आती। बहरहाल अंग्रेजी में एक कहावत है---"बेटर लेट दैन नेवर"। इन अल्फ़ाज के साथ में अर्ज करती हूं कि जो एलान किया गया है वह काबिले मुबारकबाद है और इसके लिये मैं जनाब सिंचाई मंत्री जी को मुबारकबाद देती हूं। मैं जानती हूं कि सिंचाई मंत्री इस तरफ़ जरूर ही सीरियस तौर से गौर कर रहे हैं।

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३७ ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८--बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९--सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

हरदोई का जिला, संडीला का जो क्षेत्र है जो मेरा क्षेत्र है, उसमें भी दिक्कतें हैं। वक्त न होने की वजह से मैं उन तमाम गांवों का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ज्यादातर जो दिक्कत है वह यह है कि या तो पानी नहीं है, साधन नहीं हैं, कुलाबे की जरूरत है नहरों के और सबसे ज्यादा यह कि ट्यूबवेल तो बीसियों हमारे यहां बन गये हैं मगर बिजली नहीं मिली है। आज जनाब सिंचाई मंत्री ने बताया कि हमारे यहां ५० हजार दरख्वास्तें पड़ी हैं ट्यूबवेल्स के लिए बिजली लेने के लिए। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे सूबे में बन तो ग है दो लाख ट्यूबवेल, लेकिन बिजली ६५ हजार को ही मिल पायी है, तो इसके लिए क्या इलाज किया जा रहा है? जब कि हमें केन्द्र से ज्यादा रुपया मिलने की उम्मीद हो सकती है, बैंक नेशनलाइजेशन के बाद जो रुपया गरीबों की जरूरियात के लिए मुहइया किया जायगा तो ये जो दो बैंक हैं जिसमें कि कृषि के सामान के लिए तमाम आसानियां मुहइया की जायंगी उसके जरिये से--एक तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन है और एक रि-फाइनेंस कारपोरेशन है जिसको रिजर्व बैंक रुपया देता है उन लोगों के लिए जिनको कि कृषि की सिंचाई के लिए रुप की जरूरत है।

मैं अर्ज करना चाहती हूं कि ऐग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन का हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रुपया लेगा तो हमारे जो कुएं बिना बिजली के बेकार पड़े हुए हैं उनके लिए रुपया लिया जाना चाहिए और उसके जरिये से बिजली मुहइया की जाय। क्योंकि आज जितनी मांग बिजली की है उसमें कोई दो रा नहीं हैं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह बिजली के विभाग में क्या कायदा बना रखा है कि उन्नाव में एक जगह का नाम है फुरसत और मेरे क्षेत्र से हरदोई जिला ३-४ फर्लांग से शुरू हो जाता है और हमारे क्षेत्र में एक जगह है बिन्धौरा वहां बिजली की मांग है और हरदोई की सरहद वहां से ३-४ फर्लांग अन्दर है। तो एक तरीके से फुरसत से एक मील का फासला है। बिन्धौरा में बिजली अगर मिल जायगी तो बहुत से ट्यूबवेल काम करने लगेंगे, जैसे जाहिदपुर, नरियारी वगैरह। इन जगहों में बिजली की मांग है लेकिन जब मैंने यह कहा तो बताया गया कि हमारे यहां यह कायदा बना हुआ है कि दूसरे जिले में बिजली की लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसकी देखभाल के लिए कोई इन्तजाम वहां नहीं होगा। तो मैं चाहती थी कि फुरसत से बिन्धौरा तक बिजली आ जाय, लाइन खिंच जाय जिससे लोगों का ज्यादा खर्चा न हो और आसानी से बिजली पहुंच सके। तो आप इन चीजों के ऊपर जरूर खयाल करें और मुनासिब अहकाम दें। अगर कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल सकती हैं तो उनसे इन्कार न किया जाय और ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम किये जायं। मैं जनाब की मशकूर हूं।

देहरादून नगर के बीच कृषि पर्णा नदी में एक ट्राली के बह जाने से ४० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत मेरे पास १३ सूचनाएं आयी हैं। उनमें से मैंने एक स्वीकार की है सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी और जगन्नाथ खन्ना की, और उसमें श्री इन्द्रलाल की भी है :--

"देहरादून नगर के बीच ऋषिपर्णा नदी में एक ट्राली में बैठे हुए जो नदी पार कर रहे थे उसमें ४० लोगों की मृत्यु हुई जिसमें ३ लड़कियां थीं।"

इसमें पहले वह कहते हैं कि एक बस भी बह गई थी और बहुत से जिलों से यह मांग थी जनता की कि वहां पुल बनना चाहिए और इस तरह की हमेशा बहने की घटनायें हो जाती हैं। तो मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। और माननीय मंत्री जी २८ तारीख को इस पर वक्तव्य देंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री तिरमल सिंह व बदन सिंह यादव ने एटा मे गंगा व बूढ़ी गंगा में बाढ़ आने की सूचना दी है। मैंने बाढ़ के सम्बन्ध मे दिन मुकर्रर कर दिया है लेकिन मंत्री जी जहां-जहां जो-जो की बाढ़ आई है उसके बारे मे कुछ कह दें, माननीय मंत्री जी यहां बैठे है, शायद वह शाम को बतावे कि कब वह इस सम्बन्ध मे जानकारी दे सकेंगे।

सर्वश्री मोहनलाल कपूर व रामगोपाल संड ने बलिया जिले के बेरिया बलिया बांध में बाढ़ के कारण दरार के बढ़ जाने की सूचना दी है। इसे भी मैंने २९ तारीख के लिए रखा है।

सर्वश्री रघुनाथ सिंह, चन्द्रपाल आजाद, मुल्तान सिंह, लालधर, हुकुम सिंह व बदन सिंह यादव ने मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा जिलों मे बाढ़ के संबंध मे सूचना दी है। इसे भी उसी रोज के लिए मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री रामकिशोर शुक्ल ने इलाहाबाद मे गंगा नदी में पुनः बाढ़ के बारे में सूचना दी है। इसको भी उसी दिन के लिए रखा है।

श्री मनोहरलाल ने फर्रुखाबाद के स्वामी रामानन्द इंटर कालेज के समस्त अध्यापकों को वेतन न मिलने के कारण १६ अगस्त से हड़ताल होने की सूचना दी है। इस सम्बन्ध मे माननीय सदस्य प्रश्न पूंछे।

सर्वश्री अनन्त राम जायसवाल व नगीना सिंह ने इलेक्ट्रिक स्टीम पावर हाउस, मऊनाथ-भंजन जिला आजमगढ़ मे ४ लाख रुपये के सामान की खरीद मे बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध मे सूचना दी है। यह महत्व का विषय मालूम होता है। चूंकि मैंने एक स्वीकार कर लिया है इसलिए इसे आप दुबारा दे तो मैं इसे नियम ५१ मे स्वीकार कर सकता हूं। कल आप इसे दे सकते हैं।

श्री शिवदास ने लखनऊ नगरमहापालिका के भवन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रमाणित प्रतिलिपि देने मे गैर कानूनी शुल्क व स्टाम्प लिए जाने के बारे मे सूचना दी है। मैंने इसको अस्वीकार किया है। माननीय सदस्य यदि जानकारी हो तो निश्चित प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उनको मंजूर कर लूंगा। नगरमहापालिका का सवाल है इसमें ज्यादा डिटेल मे तो जा नहीं सकते। अल्प तारांकित प्रश्न स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री फिरंगी ने गोरखपुर मे एक रात्रि में दो डकैतियां एवं एक व्यक्ति की हत्या के बारे में सूचना दी है। इसके बारे में भी प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। सर्वश्री त्रिवेणी सहाय व सूबेदार प्रसाद ने लखनऊ के ब्लाइन्ड स्कूल के छात्रों की स्वीकृत पूरा स्टाइपेंड न दिये जाने तथा विरोध करने पर उन्हे निकाले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह शायद प्राइवेट स्कूल है। इसके बारे मे प्रश्न पूछ सकते हैं।

सर्वश्री कृष्णस्वरूप वैश्य व राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बदायूं राजकीय इंटर कालेज के अन्दर घुसकर गुंडों द्वारा एक छात्र एवं वार्डन के पीटे जाने की सूचना दी है। प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछा जा सकता है।

सर्वश्री मोतीलाल वेहलवी व श्याम लाल ने कानपुर के सहकारिता विभाग में लाखों रुपये का गोलमाल की सूचना दी है। इस विषय में मै समझता हू कि निश्चित प्रश्न होना चाहिए। आप कृपा कर प्रश्न पूछ ले।

बस इतने ही हैं। मैंने आपको सूचना दे दी।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)--

जो अन्धे बहरे स्कूल का है तो वह गवर्नमेंट स्कूल है। वहां पचास विद्यार्थी थे और अब १९ रह गये हैं। वहां मैनेजमेंट इतना खराब है कि लड़कों को स्टाइपेंड नहीं मिलता, कोई

सुविधा नहीं मिलती। सारे अन्धे विद्यार्थी लखनऊ में घूमा करते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री जी जांच करके सूचना दे देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद के विषय में कई दिन से प्रश्न उठ रहा है लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी मेरे पास प्रयाग से समाचार आया है कि जो मुगल काल का बना हुआ बांध था वह दो जगह से टूट गया है। अगर उसकी मरम्मत के लिए कोई उचित प्रबन्ध न किया गया तो बतला दूं कि इलाहाबाद नगर का निशान मिट जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। एक-एक करके बोलें। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

वहां कुछ इन्तजाम करायें। वहां मवेशियों के लिए खाने को नहीं है। लोगों के लिए खाने को नहीं है। सस्ते गल्ले की दुकान खोलनी चाहिए थी लेकिन कुछ प्रबन्ध नहीं किया। २८ तारीख रखी है तो तब तक वहां गांव डूब जायंगे।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्न दिया था। चूंकि जिला एटा में गंगा के बीच का इलाका बरबाद हो गया है तो प्रार्थना मंत्री महोदय को कोई जानकारी हो तो आज ही देने की कोशिश करें वर्ना चर्चा करने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

हम २८ को वक्तव्य नहीं चाहते। हम आज सुनना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लगान वसूल हो रहा है उसमें बहुत सख्ती है। जो तकाबी देते हैं वह अमीन से लेता है। वह तकाबी न देकर लगान वसूल करता है और यहां कहा जाता है कि तकाबी दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, नियम ५१ के अन्तर्गत बाढ़ के संबंध में मैंने प्रश्न किया था। उस पर आपने क्या व्यवस्था की? गंगा और बढ़ी गंगा नदियों में बाढ़ आ जाने से काफी क्षति हुयी है।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने कहा भी था। राजस्व मंत्री सामने बैठे हैं। सुबह मैंने मुख्य मंत्री से कहा भी था। उन्होंने कहा था कि शाम को राजस्व मंत्री बताएंगे कि वे किस दिन वक्तव्य दे सकेंगे। पहले आप यह काम खत्म हो जाने दें। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था कि एक रात में दो डकैतियां और कत्ल हुए। मुझे बताया जाए कि क्या मेरा प्रश्न स्वीकार हुआ है या अस्वीकार।

श्री अध्यक्ष--

इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें आप प्रश्न पछ लें।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

नियम ३२ में मैंने एक दरख्वास्त दी थी और उसके लिए आपकी व्यवस्था चाही थी। कल आपके पास दरख्वास्त दी थी और नम्बर से लिखवा दी थी।

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि कागजात मंगाए हैं इसलिए शामिल नहीं हो पाया। मैं देखूंगा कि उस पर क्या आर्डर हो चुके थे। अभी तो सदन चल रहा है, कल आपको मालूम हो जाएगा।

(कुछ रुक कर)

राजस्व मंत्री जी, जितने प्रश्न आपके पास बाढ़ के संबंध में आ गये हैं क्या उन पर २९ अगस्त के पहले भी आप एक वक्तव्य दे सकेंगे ?

एक सदस्य—

१९ अगस्त, ६९ को नियम ५२ के अन्तर्गत दिये हुए प्रश्न के विषय में मुझे कुछ पता नहीं चला है।

श्री अध्यक्ष—

अभी मंत्री जी के पास भेजा है। वे बताएंगे कि वे किस तारीख को ले सकते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

सब प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना मंगायी जा रही है। २९ अगस्त तक सब सूचनाएं आ जाएंगी। अगर कुछ जिलों से खास-खास बातों के विषय में सूचना पहले प्राप्त हो जाती है तो २५ अगस्त को सदन में उपस्थित की जाएगी। मुझे आशा है कि कम से कम २–३ जिलों के बारे में तो २५ अगस्त, ६९ को सूचना अवश्य दी जा सकेगी। इलाहाबाद के सम्बन्ध में मुझे आशा है कि मैं पूर्ण सूचना सदन को दे सकूंगा।

एक सदस्य—

और बलिया के बारे में भी।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अगर हो सकेगा तो बलिया के बारे में भी दी जाएगी।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि लगान की वसूली में सख्ती नहीं बरती जाएगी और जो क्षेत्र सूखा पीड़ित घोषित हो गये हैं वहां माफी भी की जाएगी, परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या वे अपने उस वायदे को भूल गये हैं और इलाहाबाद में बहुत ही बेदर्दी के साथ लगान की वसूली हो रही है। या तो वे यह कह दें कि उन्होंने यहां जो बात कही थी, जो आश्वासन दिया था, वह गलत है और या उन अधिकारियों को दण्ड दें जो कि लगान की वसूली सख्ती से कर रहे हैं।

श्री राजित राम पांडेय—

श्रीमान् जी इलाहाबाद में लगान की वसूली बहुत सख्ती से हो रही है जबकि वहां पर आदमी भूखों मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है, और वहां सूखा पड़ गया है। आप जल्दी से जल्दी जिलाधीश को लिखें कि वह वहां पर लगान की वसूली बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट हो चुका है और वे उचित कार्यवाही करेंगे तथा सदन को भी सूचना देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमान् जी, गोंडा जिले में बाढ़ की जो रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गयी है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं। घाघरा में बाढ़ आ गयी है और वहां पर बहुत से गांव कट गये हैं। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि कोई गांव नहीं कटा है। रिपोर्ट में ८ गांव कटे दिखाए गये। समाचारपत्रों में छपा है कि १०० गांव बह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

किस जिले की बात है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

गोंडा।

एक सदस्य—

इलाहाबाद के बारे में मैंने नियम ५१ में दिया था और एक सोशलिस्ट नेता ने भी वक्तव्य दिया था कि इलाहाबाद जिले में कटाव हो हा है। तो मैं चाहता हूं कि अबकी बा जो रिपोट आये उसमें तथ्य आवें जैसे कि समाचार पत्र वाले देते हैं। सदन में जो रिपोर्ट आती है उससे जाहिर होता है कि आफिसर लोग अ नी मेहनत बचाने के लिये झूठी रिपोर्ट भेजते हैं तो अबको ऐसा पाया जाय तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नं० ९ पर विचार होगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

बलिया और इलाहाबाद आदि के लिये मेरा सुझाव है कि राजस्व मंत्री जी वहां का दौरा करें और सच्ची रिपोर्ट दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है।

अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री वक्तव्य देंगे।

कन्धारी बाजार, लखनऊ में हरिजनों के मकान गिराये जाने के संबंध म नियम ५१ के अन्तर्गत बक्तव्य

स्वायत्त शास मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)--

कंधारी बाजार में नगर महापालिका का एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें लड़के व लड़कियां अलग-अलग सिफ्ट में सुबह व शाम पढ़ने आते हैं। इस स्कूल की इमारत एक बड़े हाते में स्थित है और उसका खुला भाग बच्चों के खेलकूद में प्रयोग होता है। इस स्थान पर यही एक खुला मैदान है जहां स्कूल व मोहल्ले के बच्चे खेलकूद सकते हैं।

स्कूल के खुले मैदान के एक भाग में कुछ वर्ष पहले हरिजनों ने ६ कच्चे मकान अनाधिकृत रूप से बना लिए थे और वे उसमें रहने लगे थे। यह मकान खपरैल व फूस की छत के बने हुए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह सारी जमीन महापालिका की है और यह मकान अन धिकृत रूप से बनाये गये थे।

मुख्य नगर अधिकारी के पास कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि इन लोगों के कारण बच्चों के शिक्षा संचालन में बाधा पड़ती है। समाचार पत्रों में भी इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कई बार समाचार प्रकाशित हुए थ। मुख्य नगर अधिकारी इस प्रश्न पर विचार कर

[श्री अतीकुर्रहमान]

रहे थे कि जब तक कोई अन्य व्यवस्था इन लोगों के रहने के लिए न हो जाय तब तक कम से कम इस वर्षा ऋतु में उनको न हटाया जाय। लेकिन १० अगस्त, १९६९ से कुछ और हरिजनों ने भी इसी स्थान पर ५ मकान बनाना शुरू कर दिये। यह कार्य काफी तेजी से चल रहा था और १४ अगस्त, १९६९ को यह सूचना भी मिली कि मकानों के साथ-साथ ये लोग एक मन्दिर की स्थापना इसी भूमि पर करने जा रहे थे। अतः मुख्य नगर अधिकारी के सामने यह आवश्यकता उत्पन्न हो गयी कि यदि तुरन्त कोई कार्यवाही न की गयी तो इस अतिक्रमण को हटाने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसी तारीख को मुहल्ले के निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्य नगर अधिकारी से मिला और इस अतिक्रमण को न रोके जाने के सम्बन्ध में रोष एवं असन्तोष प्रकट किया। मुख्य नगर अधिकारी ने जनहित के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उसी दिन यह आदेश दिया कि इन अतिक्रमणों को तुरन्त हटवा दिया जाय।

१४ अगस्त, १९६९ की शाम को लगभग ४ बजे महापालिका के कर्मचारी पुलिस और एक मजिस्ट्रेट के साथ इस स्थान पर पहुंचे और इन मकानों को गिराने की कार्यवाही की गयी। उसी दिन लगभग ६ बजे शाम को इनमें से कुछ लोग नगर प्रमुख से मिले और उनके सुझाव पर शेष मकानों के हटाने की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। पुराने ६ मकानों में से केवल दो मकान गिराये गये और नये ५ मकान जो गिराये गये उनमें से ३ मकान ऐसे थे जिनकी कि ४/५ फीट ऊंची दीवा ही बन पायी थीं। ४ मकान अब भी उस स्थान पर मौजूद हैं।

इन मकानों में ११ हरिजनों के परिवार रहते थे जिनके कुल सदस्यों की संख्या लगभग ६० बतायी जाती है। जहां तक शासन की सूचना है इन अतिक्रमणों को हटाते समय किसी के कोई चोट नहीं आयी थी और न ही किसी के घर का कोई सामान वहां से ले जाया गया। इन मकानों के बनने में जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था वह सब अभी वहीं मौजूद है। यदि इन हरिजनों का कोई नुकसान हुआ है तो वह केवल मकानों के बनाने में लेबर चार्जेज (श्रम व्यय) का ही है। जिसका तखमीना लगभग ३०० रु० से अधिक नहीं है।

इन हरिजनों को दूसरे स्थान पर बसाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। अशर्फाबाद में महापालिका के कुछ शेड्स हैं जिनको उन्हें देने का प्रस्ताव भी किया गया था लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, महापालिका की कुतुबपुर-इरादतनगर योजना में १२० ऐसे मकान हैं जिन पर इस समय अधिकतर महापालिका के हरिजन कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत कब्जा है। इनमें कुछ मकान ऐसे हैं जिन पर बाहरी लोगों ने भी कब्जा कर रखा है। उनसे उन्हें खाली कराने की कोशिश की जा रही है। और यदि वे खाली हो जाते हैं तो वे इन लोगों को दिये जा सकते हैं।

फिलहाल इनको परेशानी से बचाने के लिए ६ तिरपाल दे दिये गये; और जो चार मकान बाकी रह गये हैं उन्हीं में रह रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन् जो वक्तव्य दिया इसको सही भी मान लिया जाय तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इतने वर्ष पहले मकान अनधिकृत रूप से बने थे तो अधिकारियों का कर्तव्य था कि अनअथाराइज्ड कांस्ट्रक्शन को रोकते, उनके खिलाफ तो कुछ स्टेप नहीं लिया और जो ८–१० और १५–२० वर्ष से रहते चले आ रहे थे—दो, चार वर्ष की बात गलत है—उनको हटाने के लिए, बिना कोई और प्रबन्ध किये, इस बरसात में क्यों कार्यवाही की गयी?

श्री अतीकुर्रहमान—

जो पहले से बने हुए थे ७–८ वर्ष से वह ६ मकान थे। जहां तक बसाने का सवाल है जैसा मैंने वक्तव्य में कहा, जो टाइल शड हैं अशर्फाबाद में वहां जगह दी गयी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)--

श्रीमन्, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे बोलने का मौका दीजिए, नहीं तो मैं जबरदस्ती बोलना शुरू करूं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछ लीजिएगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न के दो भाग थे। पहला तो यह कि जिन अधिकारियों ने किसी कारण से अनधिकृत कांस्ट्रक्शन होने दिया वह विपत्ति के कारण थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुयी और दूसरे इन लोगों को हटाने के पहले कोई दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं की?

श्री अध्यक्ष--

यह महानगरपालिका का सवाल है, इनसे सम्बन्धित नहीं है, उन्होंने आपको सूचना एकत्र कर के दी है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल--

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि १० साल से जब ये लोग वहां रहते थे और अभी तक इनको हटाया नहीं गया, न कोई वहां मकान नये बने, शिकायतें थीं कि सड़क पर टट्टियां बना ली हैं और चबूतरे बना लिये हैं वह तो हटाए नहीं गए और हरिजनों को जो वहां टूटा-फूटा पाक पड़ा था वहां जब छोटे मकान बनाने लगे रहने के लिए, उनको हटाया गया। इसके बारे में कई बार शिकायत की गयी कि ऐसा काम बरसात के महीने में न किया जाया करे लेकिन कभी उसको माना नहीं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि वहां का जो पार्क है वह टूटा-फूटा है या सही है?

श्री अतीकुर्रहमान--

पार्क है वहां पर। वहां एक मैदान है बच्चों के स्कूल के पास जो म्युनिसिपल ग्राउन्ड है।

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

श्रीमन्, यह बताया गया है कि ७ मकान गिराय गये हैं और उनका नुकसान का तखमीना केवल ३०० रुपये बताया है जबकि एक बड़े आदमी के मकान का अगर चबूतरा भी गिर जाता है तो उसकी कीमत १० हजार रुपये कूती जाती है। तो क्या सरकार उनके नुकसान का उनको मुआवजा देगी?

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन संस्था के बारे में माननीय मंत्री जी केवल सूचना ही मंगा कर दे सकते हैं। या जो जानकारी आप दें उस पर वे कार्यवाही कर सकते हैं। लकिन व हर चीज की डिटेल नहीं दे सकते। जो प्रश्न आपन दिया, उसके बारे में उन्होंने जानकारी आपको दे दी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जिन माननीय सदस्यों ने सर्वश्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, राजेन्द्र कुमार शर्मा, रामसागर, मोहनलाल कपूर तथा मैंने, यह प्रश्न दिया है आप उनको पहल अवसर देंगे प्रश्न करने का या उनको न देकर अन्य को देंगे पहले ?

श्री अध्यक्ष—

जिनके नाम हैं उन सब को अवसर दूंगा, किन्तु कुछ माननीय सदस्य लखनऊ के ही हैं जो इस केस में अधिक जानकारी रखते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, इनको १४ तारीख को अनधिकृत निर्माण की इत्तला मिली और १४ तारीख को ही मुख्य नगराधिकारी ने इनको गिराने का फैसला लिया और १४ तारीख को ही ये मकान गिराय गये। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि जो नियम है इस सम्बन्ध में उनका पालन नहीं किया गया यानी उनको पूर्व सूचना नहीं दी गई और मकान गिरा दिये गय। तो मान्यवर, ऐसे नियम-भंगी अधिकारियों के खिलाफ़ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह कहिये कि म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ़ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या नगरपालिका के विरुद्ध नियम भंग करने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

महापालिका ने अपनी राय में २९६ सेक्शन के अन्तर्गत जो महापालिका अधिनियम का है, कार्यवाही की है। मैंने भी कानून विभाग से मशविरा किया है आया वह कार्यवाही उन्होंने सही की है या गलत की है ?

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो छः मकान पुराने थे उनमें दो गिरा दिये, चार बाकी हैं। तो क्या इन मकानों को जब हटाया जायेगा तो उनके रहने के लिये कोई व्यवस्था सरकार करायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप महापालिका के बारे में कहें। इसमें प्रश्न पूछा जाता है जिस तरह वह नहीं पूछते हैं। आप पूछिये कि क्या आप महापालिका को इस बात के लिये मजबूर करेंगे कि जिनके मकान तोड़े गये, अगर उनका कसूर हुआ, उन्होंने कायदे के खिलाफ़ किया है तो क्या आप महापालिका से उनको मुआविजा दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि अगर खिलाफ-कानून कार्यवाही की गई है तो उनको मुआविजा दिलाया जाय।

श्री मोहनलाल कपूर—

आगे के मकान तब हटाये जायं जब दूसरी व्यवस्था कर दी जाय।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

यहां पर श्रीमान् ने जो अभी फ़रमाया कि अगर आपको यह मालूम हो कि यह नियम के विरुद्ध किया गया है तो आप कार्यवाही करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर "अगर" की गुंजाइश नहीं है। अगर यह दिया है कि इसका जिस तारीख को निर्णय हुआ उस तारीख को गिरा दिये गये तो इसके बाद और कौन-सी सूचना मिली जिससे समझ में आये कि यह बात गलत की गई? इसमें सन्देह नहीं है कि नोटिस दिये गये.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपकी राय है। वे भी तो कानूनी राय ले सकते हैं। महापालिका के भी अधिकार हैं। यह किस तरह से किया? २९६ के होते हुए उन्होंने किया, यह कहा। किस हैसियत से उन्होंने किया वह इसमें लिखा है कि इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये कई बार समाचार प्रकाशित हुए थे। मुख्य नगर अधिकारी इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे और जब तक कोई अन्य व्यवस्था इन लोगों के रहने के लिये न हो जाय तब तक कम से कम इस वर्ष वर्षा ऋतु में इनको न हटाया जाय। यह उन्होंने तय किया था। लेकिन दस अगस्त को उनको यह मालूम हुआ कि कुछ हरिजनों ने इसी स्थान पर पांच मकान बनाने शुरू किये और ये कार्य काफ़ी तेजी से कर रहे थे और १४ अगस्त को यह सूचना मिली कि मकानों के साथ ये लोग एक मन्दिर की भी स्थापना कर रहे थे। इतनी बातें हुईं, यह कहा गया। तो मंत्री जी को इनकी तहकीकात करना पड़ेगा कि यह जो कार्य हुआ है, यह मन्दिर बनाने की कोशिश वगैरह जो हुई, तो उन मकानों को गिराने के लिये तत्काल आर्डर दिये। तो नगर प्रमुख से ये पूछेंगे कि आपके आफ़िसर ने यह काम किया है यह किस आज्ञा के मातहत या किस कायदे के मातहत किया है। अगर इनको मालूम हो जायगा तो नगरपालिका के खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

श्रीमन, कंधारी बाजार में ५ नवम्बर, १९६१ ई० में महापालिका की ओर से सफ़ाई मजदूरों के मकान बनाने की योजना बनाई गयी थी। श्री एम० पी० अग्रवाल, अभियन्ता जी एवं श्री डुग्गल ओवरसियर ने इसका नक्शा आदि बना कर मकान बनाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी थी, परन्तु महापालिका ने इस मद के धन को दूसरी मदों में खर्च कर दिया जिसके कारण मकान बनाने की योजना रुकी पड़ी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस धन को क्यों खर्च किया गया और क्यों ये मकान तोड़े गये?

श्री अतीकुर्रहमान—

मुझको मालूम नहीं है कि योजना कब बनायी गयी थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो १० साल पुराने मकान थे उनको न गिराकर जो ५ नये मकान १० अगस्त को बनाये जा रहे थे, उनके लिए आदेश क्यों नहीं हुआ। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १० साल पुराने मकानों को नोटिस दिए बिना तुड़वाने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया है कि नोटिस दिया है।

श्री बिशन लाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी रिहायश का कोई प्रबन्ध किया गया है? इनके उत्तरों से कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिनिधि मंडल आया तो उसमें कौन-कौन थे और किस पार्टी के थे ?

श्री अध्यक्ष—

पार्टी-वार्टी का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)

क्या १६ अगस्त को सफाई कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था, उनकी भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कि बरसात तक उन लोगों के मकान नहीं तोड़े जायंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं गया था। मैंने जब उनको तकलीफ़ में देखा तो यह कहा कि उनको त्रिपालें दी जायं और जब तक बारिश हो रही है उनके रहने के लिये बेहतर से बहतर बन्दोबस्त किया जाय।

श्री रामसागर—

जो प्रतिनिधि मंडल मुख्य नगराधिकारी से मिला था उसके प्रतिनिधियों के क्या नाम हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नाम मुझे नहीं मालूम हैं। रिप्रेजेन्टेशन जो दिया गया था उस पर ७६ दस्तखत थे।

श्री डी० पी० बोरा—

वक्तव्य में यह कहा गया कि महापालिका की कुतुबपुर-इरादतनगर योजना में १२० ऐसे मकान हैं जिनमें अधिकतर महापालिका के हरिजन कर्मचारी रहते हैं। यह सही है कि अनधिकार रूप से वे रह रहे हैं लेकिन ३०, ४० साल से रह रहे हैं और माननीय मंत्री ने कहा है कि १२० मकानों को खाली कराया जायगा तो इन १२० मकानों को इसी तरह से खाली कराने की योजना है या कहीं और उनको निवास देकर उनका इन्तजाम करके उनसे खाली कराया जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

कारपोरेशन ने यह इत्तिला दी है कि जो ये १२० मकान हैं उन पर ज्यादात : नाजायज तौर से सफ़ाई कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा है, वे किराया भी नहीं देते हैं और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सफ़ाई कर्मचारी नहीं हैं नगर महापालिका के, उन्होंने भी कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि जो महापालिका के मुलाजिम नहीं हैं उन लोगों को हटाने की कारपोरेशन कोशिश में है।

श्री बंश गोपाल शुक्ल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो मकान गलत तरीके से गिराये गये वे उनके मकान थे जो महापालिका के सफ़ाई कर्मचारी हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैंने पहले ही कहा था कि वे हरिजन सफ़ाई कर्मचारी हैं।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

यदि इस प्रकार नाजायज तरीके से मकान बनाना शुरू कर दिया जाय तो इस प्रकार जो नाजायज तरीके से जमीन पर जिनके कब्जे हैं उन्हें मकान बनाने के लिये प्रश्रय दिया जाया करेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि अगर बिला कायदा गिराये जाते हैं तो उनके लिए मुआविजा वगैरह का प्रश्न उठता है। यह नहीं हो सकता कि अगर कायदे से काम हुआ हो तो भी ऐसे सवाल उठें। तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने की बात नहीं है क्योंकि पहले से ही व्यवस्था दे दी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अब आपने व्यबस्था दे दी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। केवल एक निवेदन है कि माननीय सदस्य शायद जानते नहीं हैं कि मकान गिराने के भी नियम होते हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी नगर महापालिका पर दबाव डालेंगे कि इन्हीं सफाई कर्मचारियों को इस जमीन का एलाटमेंट कर दें ताकि वे मकान बना लें?

श्री मतीकुर्रहमान—

मैं इस बात के लिये नगर महापालिका पर कैसे दबाव डाल सकता हूं?

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, दफा ५१ के जो प्रश्न होते हैं तो किसी प्रश्न पर किसी सदस्य की रुचि होती है और किसी पर किसी की। शिक्षा वाले मामले पर कभी-कभी रुचि मेरी भी होती है। इस प्रश्न में या तो प्रश्नकर्ता हैं या कुछ लखनऊ के सदस्य हैं जिनको रुचि है। तो हम लोग क्या सदन से चले जायं या हम लोग भी उठें तो आप की कृपा दृष्टि होगी?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी अपने १६ अगस्त के आश्वासन को ख्याल करते हुये महापालिका को ऐसे आदेश देंगे कि जो अब हरिजन रह गये हैं उनको तब तक न हटाया जाय जब तक महापालिका इनके बसाने का दूसरा प्रबन्ध न कर ले?

श्री मतीकुर्रहमान—

मैं इसकी कोशिश करूंगा लेकिन मैंने कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

हरिजनों को हटा कर फिर वह जमीन किसी दूसरे को तो नहीं दी जायगी?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कह दिया कि वह महापालिका से कहेंगे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दे सकते।

एक सदस्य—

मान्यवर, क्या कोई सदस्य इस सदन में किसी को धमका सकता है?

श्री अध्यक्ष—

नहीं धमका सकता। मैंने उनको रोक दिया है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री जी लखनऊ नगर महापालिका को यह निर्देश देंगे कि कंधारी बाजार से हरिजनों को तब तक न हटाया जायगा जब तक कि उनको कोई विकल्प स्थान न दे दिया जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान --

दूसरी जगह के बारे में कह दिया गया है। जब तक दूसरी जगह उन्हें न दे दी जाती, उनको नहीं हटाना चाहिये था।

श्री उदित नारायण--

क्या माननीय मंत्री जी नगर महापालिका के अधिकारियों का इसलिये जवाब तलब करेंगे कि जब कि वहां और दूसरे लोगों को भी मकान बने हुए हैं, केवल हरिजनों को ही वहां से क्यों हटाया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान--

बार-बार मैंने इसको बता दिया कि बराबर उस विषय में लिखापढ़ी चल रही थी, रिप्रेजेन्टेशन हो रहे थे, अखबारों में इसकी चर्चा हो रही थी। तारीख १० और १४ के बरमियान यह नोटिस में आया कि वे एक मंदिर बनाने जा रहे हैं, इस वजह से यह कार्यवाही की गयी।

अविवाहित लोगों की नसबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर आधे घंटे का समय दिया। लगभग १५ अप्रैल को मैंने यह प्रश्न दिया था और उसमें यह था कि १९६३-६४ से लेकर ३१ मार्च, १९६९ तक का ब्योरा दिया जाय। लेकिन प्रश्न में १-८-१९६८ से ३१-३-१९६९ कर दिया। ८-९ महीने का ब्योरा देने में इतना समय लग गया। यह आप के दफ्तर की ऐफीशियेन्सी है। ९ अविवाहित आदमियों की नसबंदी हो गयी यह बताने में ४ महीने लग गये। अगर माननीय मंत्री जी इस बात की सही रूप से जांच करना चाहें कि कितने अविवाहितों की नसबंदी कर दी गयी है तो उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि हर फार्म में जिसकी नसबंदी होती है, उसका पूरा पता, गांव, मकान का नम्बर आदि सब होता है। पता लग सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वे सही जांच करेंगे तो २५-३० प्रतिशत लोग ऐसे मिलेंगे जिनके नाम के कोई व्यक्ति ही न हों हैं, इस प्रदेश में। और बाद में फर्जी नाम भरे गये हैं। १५-२० परसेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी बाद में खाना पूरी की गयी। चार महीने लगने का और कोई कारण ही नहीं था।

एक दूसरी बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। परिवार नियोजन के नियम के अनुसार तीस वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति की नसबन्दी नहीं हो सकती है। लेकिन हालत यह है कि सीतापुर जिले में तहसील मिश्रिख, गांव मछरेहटा में, दिसम्बर, १९६८ को १३ वर्षीय बालक की नसबन्दी की गयी। जब उस गांव के प्रधान प्यारेलाल गुप्त ने उसकी कड़ी मुखालिफत की तो एस० डी० एम० ने उनको सस्पेंड कर दिया। यह हालत है।

श्री अध्यक्ष--

आप नाम भी बता दीजिये लड़के का।

श्री जगननाथ खन्ना--

नाम मुझे पूरा ध्यान नहीं है मैंने गांव बताया है, लड़के की आयु बतायी है, गांव और तहसील बतायी है और जिसको सस्पेंड किया गया है उसका भी नाम बताया है। यह अपने प्रदेश की हालत है। उन्होंने तय कर लिया है कि हर सहायक को एक महीने के अन्दर ६ व्यक्तियों की नसबन्दी करवानी है और पन्द्रह स्त्रियां को लूप लगवाने हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी घटौती हो जाती है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। स्पष्ट नाम पता नहीं है तब तक कैसे प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है?

(शोर)

श्री जगननाथ खन्ना--

श्रीमन, एक मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--

प्वाइंट आफ आर्डर। मान्यवर, मैं आप के द्वारा प्रार्थना करना चाहती हूं कि और कोई क्वैश्चन नहीं रह गया है। इस तरह के प्रश्न हाउस में ला कर लडकियों की बेइज्जती की जाती है। ऐसे प्रश्न न होने चाहिए, और न आप को मंजूर करना चाहिए। इसमें लड़कियों का बड़ा अपमान है। लड़कियों की आप हमदर्दी नहीं करते हैं, बल्कि इससे जो न भी जानता हो वह भी जान जायगा।

श्री अध्यक्ष--

लड़कियों के नाम न लें।

श्री जगननाथ खन्ना--

मैंने नाम नहीं लिया। अगर बहन जी चाहती हैं कि इस पर बहस न हो तो कांग्रेस दल से पहले यह कहना चाहिए कि इस चीज को बन्द कर दें, अगर वह यहां सुनने को तैयार नहीं हैं।

एक आदमी सीधासादा है। वह आंख का आपरेशन करवाने जाता है। रास्ते में उसको परिवार नियोजन के आदमी मिल जाते हैं। वे पूछते हैं कि तुम कहां जाते हो। वह कहता है कि आंख का आपरेशन करवाने जा रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारे साथ हास्पिटल चलो वहां आपरेशन फ्री हो जायगा। वहां जा कर आंख के आपरेशन की जगह नसबन्दी का आपरेशन शुरू कर देते हैं। उसने कहा कि यह क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि पहले नसबन्दी हो और फिर आंख का आपरेशन होगा। यह हालत है। हजारों व्यक्ति इस परिवार नियोजन में काम करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उन लोगों से पूछ लिया जाय कि तुममें से कितनों ने नसबन्दी करवायी है तो पांच परसेंट शायद न मिलें। तो यह लोग क्या करेंगे? इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसका जो डिपार्टमेंट चल रहा है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, बिलकुल बेकार है, जबकि इसके विपरीत आबादी बढ़ती चली जारही है। इस स्कीम का नाम तो "परिवार नियोजन" के स्थान पर 'पेट-नियोजन' कर दिया जाए, तो अच्छा हो।

*चिकित्सा मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)

मान्यवर, मैं खन्ना जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में रखा। इस सरकार की परिवार नियोजन के बारे में वही नीति है जो उनका विचार है। इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णा नन्द राय]

शासन को यह कमी भी नीति नहीं रही है कि अविवाहित, बच्चों या बूढ़ों की नसबन्दी की जाए। श्रीमन, उस पीरिएड के फीगर्स वह देखें, १ लाख ४० हजार आदमियों की नसबन्दी उस समय हुई जब कि १० जिलों में केवल १६ लोगों की इस प्रकार की नसबन्दी हुई है। यह संख्या कुल का .०१ परसेन्ट है। शासन की नीति है और शासन इस ओर से सतर्क है कि इस प्रकार की कोई गलती न होने पावे। प्रत्येक व्यक्ति जो नसबन्दी कराने जाता है, उसको एक फार्म भरना पड़ता है, जिसे यदि आप चाहेंगे तो सदन में रख दूंगा। उसमें उसको अपना नाम, पिता का नाम, विवाहित है या अविवाहित और बच्चे हैं या नहीं---ये सारी चीजें भरनी पड़ती हैं। लेखपाल या हेडक्लर्क जो उसे ले जाता है डाक्टर के सम्मुख उसे भरवाकर रखता है, तब उसकी नसबन्दी की जाती है। इस प्रकार से शासन इस बात को रोक लगाने का प्रयास करता है कि गलत नसबन्दी न हो जाए। लेकिन एक बड़ा काम चल रहा है, एक बड़ा टारगेट हमारे सामने है, उसमें १०-५ भूलें हुई हैं, जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, स्वाभाविक ही हैं।

पहली जून, १९६८ को जब इस सरकार ने चार्ज लिया उस फार्म को और ज्यादा पूर्ण बनाया गया कि कोई गलती न हो। अब यह भी रख दिया है कि एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जो लेखपाल आदि, उसे ला रहा है उसे देना पड़ेगा। एक अब लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर बनाया गया है। प्रत्येक सेक्टर में घर घर जा कर वैसे परिवारों का एक रजिस्टर बनाया जा रहा है जो कि एक निश्चित आयु सीमा के हैं, जिनके यहां बच्चे पैदा होने की गुन्जाइश है, जो विवाहित हैं और जिनके यहां ३-४ बच्चे हो चुके हैं। यह देखा जाएगा कि उस रजिस्टर के अनुसार ही लेखपाल नसबन्दी कराने वाले को लेकर आया है या नहीं, इसका उसे सर्टीफिकेट देना पड़ेगा। एक टारगेट रखा गया है, उसमें थोड़ी गलती हुई और थोड़ा भ्रम भी फैला है।

अब जो टार्गेट्स कुल रजिस्टर में आयेंगे उन्हीं की नसबन्दी की जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था और मेरे जो लायक मित्र ने भावना व्यक्त की है उस भावना को ध्यान में रख कर यह किया गया है कि नसबन्दी इस तरीके से होनी चाहिये। यह शासन की नीति है। उसमें कमजोरियों को देख कर ही यह कार्यक्रम बनाया है। हमें विश्वास है कि किसी बच्चे की या अविवाहित या बूढ़े की नसबन्दी नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष---

मगर जो प्रश्न उन्होंने किया है उसका कोई उत्तर नहीं दिया आप ने। यह कहते हैं कि अगर बच्चों की नसबन्दी हुई है उसके लिये कोई कार्यवाही आप कर रहे हैं। जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही आप कर रहे हैं या नहीं?

श्री कृष्णानन्द राय---

इस सम्बन्ध में, मुझे यह निवेदन करना है कि यह हमारा फैमिली प्लानिंग का जो कार्यक्रम है उसमें कोई कानून नहीं बना है कि अगर अविवाहितों की नसबन्दी हो जाय या बूढ़ों की नसबन्दी हो जाय या कम उम्र वाले की नसबन्दी हो जाय तो उसमें आई० पी० सी० की किसी धारा को तरह से उसके खिलाफ मूव कर सकें। शासन के स्टैन्डिंग आर्डर्स के खिलाफ किसी ने नसबन्दी की है तो इस तरह का केस जैसा विधान सभा में उठाया गया है, इस तरह के केसेज के लिये एक डिप्टी डायरेक्टर के लेविल के अधिकारी और सिविल सर्जन---दो आदमियों की कमेटी बना दी है जो इन सारे केसेज का निरीक्षण करेगी। कहीं अगर गलत तरीके से कोई केस है नसबन्दी का तो उसको निश्चित रूप से सजा दी जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

इन्हीं प्रश्नोत्तरों के सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो इतने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ की गई है, उसके लिये केवल एक बात कह दी गई कि आप के यहां कोई ऐक्ट नहीं है। रैश ऐण्ड नेग्लीजेन्ट ऐक्ट के प्रावीजन के मातहत तो आप ऐसे लोगों को सजा दे

सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ऐसे केसेज में कार्यवाही करना चाहते हैं यहीं जिनमें १६ व्यक्तियों का विवाहित जीवन समाप्त हो गया और जिनका जीवन भर के लिये विवाहित जीवन का आनन्द समाप्त हो गया। चूंकि यह सरकार की तरफ से गलती है इसलिये आप उन लोगों को कोई मुआवजा देने के लिये तैयार हैं। मान्यवर, प्रति व्यक्ति जो लास हुआ है उसका आप क्या मुआवजा दे सकते हैं? उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, जिन व्यक्तियों की नसबन्दी हुई है उन लोगों ने तो फार्म पर हस्ताक्षर किये हैं। उस फार्म में एक क्लाज है कि वह स्वेच्छा से नसबन्दी करा रहे हैं। जब यह साबित होगा कि वे अशिक्षित थे और उनसे धोखा देकर हस्ताक्षर करा लिये तो जो धोखा देगा उसको सजा होगी और उसमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से कंपेनसेशन दिया जाय।

श्री संजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मन्त्री जी को यह पता है कि तमाम दीवारें रंगी गईं, मोटरें दौड़ीं, टायर फाड़े गये और लाखों रुपया खर्च किया लेकिन इस आन्दोलन को सफलता नहीं मिली। क्या आप कोई उपाय दूसरा सोच रहे हैं जिससे जनता उस तरफ आकर्षित हो।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है कि इस आन्दोलन में सफलता नहीं मिली है। आप आंकड़ों को देखें तो श्रीमन्, पहले ४१–४४ फीसदी जन्म दर में वृद्धि हो रही थी लेकिन पिछले दस सालों से जन्म दर ३८ फीसदी पर कांस्टेन्ट चल रहा है। श्रीमन्, जन्म दर ४१–४४ फीसदी से घट कर ३८ फीसदी पर आ गया। परिवार नियोजन का लक्ष्य २५ फीसदी जन्म दर है। श्रीमन, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जो भ्रम है वह नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य कुछ सुझाव दें तो अच्छा होगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

नसबन्दी के जो कैम्प्स लगते हैं उनमें अगर डाक्टरों की गलती से किसी की गलत तरीके से अगर नसबन्दी हो गयी है तो क्या पुनः नस सम्बद्ध कर दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने एक अवधि निश्चित की है कि २५ वर्ष से ४५ वर्ष के दम्पतियों की नसबन्दी की जायगी लेकिन इस अवधि के बाहर जिनकी नसबन्दी हो चुकी है जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं या अविवाहित हैं उनकी पुनः नस सम्बद्ध किया जायगा?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन, माननीय सदस्य ने बड़ा टेक्नीकल प्रश्न पूछा है और श्रीमन्, इसकी बहुत मुझे जानकारी भी नहीं है कि पुनः नसबन्दी हो सकती है या नहीं लेकिन हमें भी ऐसा सुनने को मिला है और अगर बसन्तलाल जी ऐसा कोई केस हो तो मुझे बतलायेंगे, हम देख लेंगे।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इलाहाबाद के अन्दर डफ़रिन अस्पताल में गांव से जो महिलायें आती हैं उनको धक्का देकर जबरदस्ती उनके लूप लगा दिया जाता है। क्या सरकार इसके लिये कोई प्रबन्ध करेगी कि ऐसी जबर्दस्ती न हो और उन को लूप न लगवाया जाय?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह तो नसबन्दी का प्रश्न है लूप लगाने का प्रश्न नहीं है। वैसे लूप के बारे में तो यह है कि वह लगा भी दिया जाता है और निकाल भी लिया जाता है और अगर ऐसी बात है और माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उसके लिये आवश्यक आदेश कर दिये जायेंगे।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कर्मचारी निश्चित कोटे को पूरा नहीं करते उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और जबरदस्ती सस्पेंड कर दिया जाता है? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है जिन्होंने जबरदस्ती ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया हो?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह जितने सस्पेंशन आदि हुये हैं वह केवल इसी विषय को लेकर किये गये हैं कि जितना उनसे कोटा मांगा गया है उतना उसने नहीं दिया है बल्कि अगर लोग अपनी ड्यूटी लगातार नहीं देते हैं और डायरी वगैरह नहीं भरे हैं उनके खिलाफ़ हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ज्यादती हुई उनको रिव्यू कर के सजा दी जा सकती है। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई ऐसा केस हो तो वह हमारी नोटिस में लगावेंगे तो उचित कार्यवाही की जायगी। लकिन अधिकारियों को सजा देने का सवाल इसलिये नहीं है क्योंकि सब लोग एक स्कीम में लगे हुये हैं और नियत सब की साफ़ है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल लोगों को यह बताकर बहका ले जाते हैं अगर तुम नसबन्दी करा लो तो तुम्हारे नाम म खसरा खतौनी मे फलां खत चढ़ा दिया जायगा और वैसा इंदराज कर दिया जायगा। ऐसी शिकायतें क्या जिलों से आयी हैं और अगर हां, तो क्या सरकार लेखपालों को नसबन्दी योजना से वापस लेने पर विचार करेगी?

श्री कृष्णानन्द राय—

इसके बारे में शिकायतें अवश्य मिली हैं कि लेखपाल जो नसबन्दी के केसेज लाते हैं उसमें वे गलत प्रलोभन लोगों को देते हैं। सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उसकी यह नीति है कि लेखपालों को धीरे-धीरे इस कार्यक्रम से हटाया जाय और इसी लिये यह फैसला लिया जा रहा है कि प्रदेश के हर डिवीजन के एक एक जिले से एक्सपेरीन्मेटल मेजर्स के तौर पर फेमिली प्लानिंग के कार्यक्रम से लेखपालों को हटाया जाय। स्टाफ की कमी है जैसे ही वह पूरी हो जायगी वैसे ही यह सारे लेखपाल नसबन्दी के कार्यक्रम से हटा लिये जायेंगे।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या शासन द्वारा कोई ऐसे आदेश जारी हुये हैं कि जो काश्तकार ऋण लेगा उसको नसबन्दी करवानी पड़ेगी क्योंकि काश्तकारों को कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है इसलिये उनको जबरदस्ती नसबन्दी करानी पड़ती है और ऐसी मिसालें हैं कि जहां ५०-५० साल के बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा गया है?

श्री कृष्णानन्द राय—

ऐसी शिकायत तो नहीं आयी है। शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं हुए हैं। ऐसी अगर कोई बात हो रही है तो वह बिलकुल गलत है। और हमें उसका पता नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या कोई इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं कि अपने अपने क्षेत्र में कर्मचारी इतने नसबन्दी के केसेज करा दें नहीं तो उनके करेक्टर रोल में ऐंट्री की जायगी और इसका परिणाम यह हो रहा है कि अदालतों तक में बन्दूकों के लाइसेंस देने में जबरदस्ती की जाती है और इस तरह से जबरदस्ती होती है? क्या सरकार इसको रोकवाने की कृपा करेगी?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने निवेदन किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि इतनी नसबन्दी करायी जाय और न कराया जाय तो उसके करेक्टर रोल में ऐंट्री हो लेकिन चूंकि यह इतना बड़ा कार्यक्रम है। लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उनसे यह आशा की जाती है कि वह हर एक लक्ष्य को पूरा करे। बन्दूक की बात आपने कही तो जैसे ही आदमी मिलते जायेंगे तो जो तहसीलदार या एस०डी० ओ० वगैरा इसमें लगे हैं उनको हटा लिया जायगा।

श्री बसंतलाल शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश में इस बात की जांच करायेंगे कि कितने ऐसे व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई है जिनको सीलिंग में जमीन पट्टे पर दी गई है ?

श्री कृष्णानन्दराय--

जो कार्यक्रम है नसबन्दी का उसमें स्टाफ को यह स्पष्ट आदेश है कि वह किसी किस्म का लोभ या लालच देकर नसबन्दी न करें । यदि ऐसा कोई करता है तो वह गलत काम करता है। यदि किसी को कहीं से इस प्रकार की सूचना मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री बसंत लाल शर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कृष्णानन्दराय--

यह बिलकुल वेग सा प्रश्न है । अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक केस बतायें तो जरूर जांच करा सकते हैं।

श्री बसंतलाल शर्मा--

मैं कहता हूं बहरहाल बहराइच जिले में ऐसा हुआ है।

श्री कृष्णानन्द राय--

बहराइच के बारे में जांच करा लेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल(जिला बाराबंकी)--

क्या मंत्री जी को पता है कि विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों ने इस योजना को बिलकुल स्वीकार नहीं किया है और उनको तरफ से प्रचार किया जाता है कि वे लोग नसबन्दी न करायें या लूप न लगवायें, यदि हां तो उनकी जनसंख्या क्या है ।

श्री कृष्णानन्दराय--

किसी सम्प्रदाय में इस चीज का प्रभाव नहीं है। मैं उदाहरण देकर बताऊं कि मुसलमानों में इस बात का प्रचार करने की बात कही जाती है लेकिन प्रदेश में उन्होंने ७.८ फीसदी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी कराई है।

श्री जगननाथ खन्ना--

१-८-६८ से ३१-३-६९ जितने फार्म उत्तर प्रदेश में भरे गये हैं उनकी जांच मंत्री जी करायेंगे कि वाकया क्या सही है या गलत और उसमें किस वर्ग के हैं ?

श्री कृष्णानन्दराय--

मैंने निवेदन किया कि केवल नसबन्दी ९ महीने में ४० हजार हुई तो ९ महीने में बढ़ गई होगी । कुछ कठिनाई ब्लाक और गांव के स्तर पर आती है। २ डिप्टी डाइरेक्टर इसमें नियुक्त किये गये हैं कि वे केसेज को वाच करें और पता लगायें कि जो गलती की गई है वह क्यों की गई है और उन पर बराबर ऐक्शन लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया मेरे प्रश्न का, आपके मध्यम से मैं उस पर आपत्ति प्रकट करता हूं क्योंकि मैंने नाम लिया विभिन्न सम्प्रदाय का और आपने समझ लिया कि मैंने मुसलमान का नाम लिया । जब कि दोनों सम्प्रदाय के खुशहाल लोग इस योजना को मन से स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी तरफ से प्रचार होता है कि लोग नसबन्दी न करावें । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब वीकर सेक्शन के लोगों को ही लालच देकर, धोखा देकर योजना के लक्ष्य को पूरा किया जाता है तो इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिये जैसे इनकम टैक्स में छूट या दूसरी सहूलियतें उनको दी जायेंगी ताकि लोग इसके लिए तैयार हों और अपने मन से इसको स्वीकार करें।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय जायसवाल जी की यह बात सही है कि कुछ लोग जो दोनों सम्प्रदाय के हैं या कुछ बड़े लोग हैं वे इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया कि कार्यक्रम अपनी गति से चल रहा है और उस प्रचार का कोई बहुत प्रभाव नहीं है। रह गयी प्रोत्साहन देने की बात, तो कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है जैसे १५ रु० नसबन्दी कराने के लिए दिया जाता है। इसी तरह से कुछ रुपया कुछ और लोगों को भी दिया जाता है। अब रह गया यह कि जो सुझाव आपने दिया है उस पर भी विचार कर लिया जा ेगा।

श्री जगननाथ खन्ना---

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि इसके लिये जो लोगों पर जोर जुल्म किया जाता है या अन्य तरीके से दबाव डाला जाता है वह नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

इसका कायदा यह है कि पहले आपने वक्तव्य दिया, उसका उत्तर दे दिया गया। अब सब को आपने सुन लिया तो उसका कुछ उत्तर देना हो तो दीजिये, नहीं तो माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

(कुछ क्षण पश्चात्)

आपको कुछ नहीं बोलना है। तो अब हम उठते हैं, कल साढ़े १० बजे पूर्वान्ह फिर बैठगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन १०.३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२१ अगस्त, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्र० सं० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

चिकनदस्तांजी पुलिस संख्या १५६ थाना कोतवाली, सीतापुर

मुकदमा इ० नं० बिल धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० सम्बन्धित थाना तम्बौर, सीतापुर।

ता० घटना--२४-३-१९६९, समय करीब ८ बजे दिन।

ता० सूचना २५-३-१९६९, समय २०.१० बजे।

घटना स्थल--ग्राम गुलाबपुरवा मजरा रमवापुर, थाना तम्बौर, जिला सीतापुर।

वादी--श्री महाबीर पुत्र गोकरन लोद सा० गुलाबपुरवा मजरा रमवापुर, थाना तम्बोर।

बनाम--नं० १ भग्गू, २-शिव कुमार, ३-दया शंकर, ४-सुखा लाल, ५-सागर ६-जागेन्द्र, ७-राम भूषण, ८-रामधनी ९-सरस्वती, १०-पुतान, ११-बृज किशोर, १२-रामजीवन, १३-प्यारे लाल, १४-झब्बू, १५-जयदयाल तथा १००-१५० सौ आदमी और ग्राम रमवापुर, थाना तम्बौर।

भगरुता--८--१० हजार रुपये का माल कपड़ा, जेवर, नगद, गल्ला।

यापता-निल

की गई कार्यवाही व सूचना में देरी का कारण:--सूचना में देरी वादी की तरफ से है हस्फ दाखिला वादी, तहरीर मुकदमा कायम किया गया, तफतीश होगी।

तफतीश--एस० ओ० साहब तम्बौर

हस्ताक्षर अपठनीय एस० आई।

लेखक फिदा अली,

हे० मु० २५-३-१९६९।

(मुकदमा अ० सं० ४२ धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० में थाना तम्बौर में तरमीम किया गया।)

नकल तहरीर वादीहिन्दी

श्रीमन् कोतवाल साहब, कोतवाली, सीतापुर,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम गुलाबपुरवा जो मशूम्ले रमुवापुर, थाना तम्बौर, जिला सीतापुर का निवासी है। २--दो खेत के वजह से मेरा रंजिश भग्गू, शिवकुमार सा० मौजा रमुवापुर व जगमोहन, सा० मौजा सालपुर से चल रही थी, कल ता० २४-३-१९६९ को करीब ८ बजे दिन में घर पर नहीं था, सीतापुर गया था मेरे पिता गोबरन घर पर थे। कि भग्गू शिवकुमार, नयाशंकर, सुखलाल, सागर जागेन्द, रामभूप, रामधनी, सरस्वती, पुतान, वृजकिशोर, रामजीवन, प्यारे लाल, और अपने साथ करीब १०० व १५० आदमी लेकर मेरे गांव पर चढ़ आये। उनके पास लाठी, कांता, भाला और कई के पास बन्दूकें थीं, पहले मेरे खेत जिसमें गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी कटवाई और फिर मेरे घर पर आकर मेरे पिता गोकरन को पकड़ लिया और बाकी लोगों ने घर में घुस कर लूट मचा दी, बर्तन, कपड़ा, जेवर और नकद नोट ५०० रु० और गल्ला, मकई, गेहूं लूट ले गये। मेरा कुल माल करीब ९-१० हजार रुपया का था। और मेरे जानवर, गायें हकवा ले गये। जिनको गुरगुजार के कांजी हौज में बन्द करवा दिया। गांव वालों से कहा कि जो साला गोकरन की मदद करेगा या गवाही देगा, उसका यही हाल करेंगे। डर की वजह से गांव वाले और इधर उधर के

लोग देखते रहे जो मेरे गवाह हैं। जब मैं घर पर गया तो मेरे घर वालों से और गांव वालों से सब हाल मालूम हुआ। आने वाले, तम्बोर जाना चाहा, मालूम हुआ कि रास्ते में मार डालेंगे तो मैं सीतापुर जाकर लिखित रिपोर्ट देता हूं जांच की जाय मेरा घर खोद कर सब गिरा दिया गया है। झब्बू व जयदयाल कलवार मेरे गांव के लूट में शामिल थे।

प्रार्थी]
महाबीर, पुत्र गोकरन, कौम लौध, सा०
ग्राम० गुलाबपुरवा मशमूले रमुवापुर,
थाना तम्बौर, जिला सीतापुर।
२५ मार्च, १९६९।

नोट--मैं हेड मोहर्रिर तस्दीक करता हूं कि नकल तहरीर वादी शब्द-ब-शब्द लिखी है। तहरीर वादी नत्थी की जाती है।

ह० खुदाअली,
हे० का० २९ थाना कोतवाली, सीतापुर।
२५ मार्च, १९६९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्र० सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०२ पर।)

बी० बी० लाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्र संख्या ४२४/पी० ए० एम० एस०–६९
लखनऊ :
१ मार्च, १९६९

महोदय,

मुख्य मन्त्री जी के देखने में आया है कि कुछ विभाग और कुछ सचिव अंग्रेजी में टिप्पणी व आज्ञायें लिखतें हैं और शायद पत्र व्यवहार भी अंग्रेजी में करते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि अब सब काम हिन्दी में ही होना चाहिये और हिन्दी की प्रगति के कार्य में तनिक भी शिथिलता नहीं आनी चाहिये। अतः मुझे आदेश हुआ है कि मैं आप सब का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं और आप से अनुरोध करूं कि अब सचिवालय में तथा अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में सब काम हिन्दी में ही होना चाहिये। मुझे यह भी कहने का आदेश हुआ है कि प्रत्येक विभाग के सचिव व विभागाध्यक्ष को स्वयं यह देखना चाहिए कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी व कर्मचारी हिन्दी में ही सब काम करें।

भवदीय,

विपिन विहारी लाल,

(१) सचिवालय के समस्त सचिव।
(२) समस्त विभागाध्यक्षों व प्रधान कार्यालयाध्यक्षों को ।

विपिन विहारी लाल,
मुख्य सचिव।

अर्द्ध शा० पत्र सं० ८६५/इकीस–६९
भाषा विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार।
लखनऊ, २७ अप्रैल, १९६९

प्रिय महोदय,

मैंने अपने पत्र संख्या ४२४/पी० ए० एम० एस०–६९, दिनांक १ मार्च, १९६९ द्वारा आप का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि शासन के आदेशों के विरुद्ध किसी-किसी कार्यालय में अंग्रेजी में काम किया जा रहा था और आप से अनुरोध किया गया था कि आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में ही कार्य कराने का प्रबन्ध करें।

शासन को सूचना मिली है कि इन आदेशों के बावजूद अभी भी कहीं-कहीं जिला स्तर पर कार्यालयों में अंग्रेजी में ही कार्य हो रहा है। यदि यह सूचना सही है तो स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा प्रबन्ध करें कि आप के अधीनस्थ सब कार्यालयों में हिन्दी में ही कार्य हो।

भवदीय,
विपिन विहारी लाल।

सेवा में,

(१) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव।
(२) समस्त विभागाध्यक्षों व प्रधान कार्यालयाध्यक्षों को।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्र० सं० १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर।)

तालिका

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक ३०-६-१९६९ तक गन्ने के मूल्य की बकाया स्थिति

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	गन्ने का मूल्य (लाख रुपये में)						विवरण
		वर्ष १९६५-६६ से पूर्व	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	योग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	सिम्थौली	..	..	..	०.०९	..	..	१.४४	१.५३	
२	मोदीनगर	..	..	..	..	..	०.०१	०.०९	०.१०	
३	मोहिउद्दीनपुर	..	..	..	..	..	०.०१	५.७४	५.७५	
४	मलियाना	..	..	..	..	..	..	४.३४	४.३४	
५	मवाना	..	..	..	..	..	..	३.४१	३.४१	
६	दोराला	..	..	..	..	..	..	२.४२	२.४२	
७	लखौती टांडा	..	..	०.१५	०.०१	..	०.०६	९.७३	९.९५	
८	बागपत	..	..	..	..	..	..	२६.००	२६.००	
९	बुलन्दशहर	..	..	..	..	..	..	१०.९३	१०.९३	
१०	खतौली	..	..	..	..	..	०.०२	३.०३	३.०५	
११	रोहाना	..	..	..	..	..	..	०.६२	०.६२	
१२	शामली	..	..	..	..	..	..	०.०३	०.०३	
१३	मनसूरपुर	..	..	०.५८	..	..	..	५.७६*	६.३४	

१४	डोईवाला	..	..	०.५०	..	..	०.३०	३.१३	३.९३
१५	सहारनपुर	..	..	..	..	..	..	८.१५	८.१५
१६	देवबन्द	..	..	..	०.०२	..	..	१०.०२	१०.०४
१७	इकबालपुर	..	..	..	..	..	..	४.५७	४.५७
१८	सरसावी	..	..	२.६८	..	..	..	१२.४१	१५.०९
१९	लक्सर	..	..	..	..	..	..	०.०१	०.०१
२०	हरगांव	..	..	०.०६	..	..	..	१८.९६	१९.०२
२१	महोली	..	..	..	..	१.३४	..	९.८९	११.२३
२२	बिस्वां	..	..	०.०७	..	..	..	..	०.०७
२३	गोला	..	..	..	..	..	..	५७.७४	५७.७४
२४	ऐरा	..	..	..	..	..	..	२.९६	२.९६
२५	हरदोई	..	..	..	..	..	..	..	..
२६	बरेली	..	..	..	..	..	०.२०	६.६२	६.८२
२७	बहेड़ी	..	..	०.१७	..	..	..	२१.६९	२१.८६
२८	बिजनौर	..	..	..	०.०६	०.०२	१.३७	१.३६	२.८१
२९	धामपुर	..	..	०.६१	०.०९	..	..	०.०२	०.७२
३०	सिवहारा	..	..	..	..	..	..	२.३४	२.३४
३१	रामपुर	..	..	०.०४	१.२४	..	५.१६	११.१३	१७.५७
३२	रौजा	..	..	..	..	..	..	१४.१३	१४.१३
३३	पीलीभीत	..	..	..	..	..	..	१५.१८	१५.१८
३४	मझोला	..	..	..	..	..	०.०६	३.१६	३.२२
३५	अमरोहा	..	..	०.२१	..	..	१.६२	१६.३०*	१८.१३
३६	बिलारी	..	..	..	..	..	०.०४	३.७६	३.८०
३७	न्यूली	..	..	..	..	..	..	०.४०	०.४०
३८	काशीपुर	..	..	..	..	..	..	१.९५	१.९५

*वसूली प्रमाण-पत्र जारी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	गन्ने का मूल्य (लाख रु० में) वर्ष १९६५-६६ से पूर्व	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	योग	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३९	बाजपुर	०.०६	..	..	..	२.३६	२.४४	
४०	मसौधा	..	..	०.०१	..	११.७१*	११.७२	
४१	बलरामपुर	..	..	..	..	४.२७	४.२७	
४२	तुलसीपुर	..	..	..	..	५.०१	५.०१	
४३	बभनान	..	०.०८	०.०१	..	२४.७७	२४.८६	
४४	नवाब गंज	..	..	..	०.०२	३५.१५	३५.१७	
४५	जरवलरोड	..	..	..	..	१३.७२	१३.७२	
४६	बाराबंकी	..	..	..	..	२५.५४*	२५.५४	
४७	बुढ़वल	..	७.७५	१.०४	२.७७	११.९६*	२३.५२	
४८	शाहगंज	..	..	..	०.०४	०.१३	०.१७	
४९	बस्ती	..	..	..	..	२०.६७	२०.६७	
५०	वाल्टरगंज	..	..	..	..	१२.३१	१२.३१	
५१	मुंडरेवा	..	..	..	..	४.४३	४.४३	
५२	खलीलाबाद	..	..	०.५७	..	४.४९	५.०६	
५३	पिपराइच	..	..	..	..	६.५०	६.५०	
५४	धुघसी	..	..	..	..	०.०३	०.०३	
५५	सिसवा बाजार	..	..	..	..	१६.२१	१६.२१	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५६	आनन्दनगर	..	..	..	..	..	..	१.८७	१.८७	
५७	सरदारनगर	..	..	..	..	..	..	१.५९	१.५९	
५८	गौरीबाजार	..	..	..	..	..	..	०.३१	०.३१	
५९	बैतालपुर	..	..	..	..	..	..	१०.१३*	१०.१३	
६०	देवरिया	..	..	..	..	..	..	७.५९*	७.५९	
६१	भटनी	..	..	३.७३	..	०.०२	०.८५	२.७९	६.५९	
६२	परतापपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	
६३	खड्डा	..	..	०.१४	..	..	..	११.७४*	११.८८	
६४	छितौनी	..	..	..	०.१५	..	..	५.५६	५.७१	
६५	रामकोला (पी)	..	..	..	..	..	..	६.८३	६.८३	
६६	रामकोला (के)	..	..	८.६१	..	..	..	७.७२	८.३३	
६७	कैप्टनगंज	..	..	..	..	..	..	१.८५	१.८५	
६८	लक्ष्मीगंज	..	..	..	..	..	..	१.७६	१.७६	
६९	पडरौना	..	..	..	..	..	..	३.९९	५.९९	
७०	कठकुइयां	..	..	..	..	..	..	४.२५	४.२५	
७१	सिमराही	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग		..	९.६१	९.४९	३.०१	११.७३	५६८.६८	६०२.५२	

*वसूली प्रमाण-पत्र जारी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्र० सं० २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

उन स्थानों का विवरण जहां जनपद देवरिया में दिनांक १-१-६९ से ३०-६-६९ तक कत्ल हुए ।

१	स्थान	कुरगहा ..	..	थाना	गौरीबाजार
२	,,	कुमरी सबंगी पट्टी ..	..	,,	हाटा
३	,,	खरबनिया ..	..	,,	बनकटा
४	,,	कपरवार ..	..	,,	बरहज
५	,,	मधौली ..	..	,,	कप्तानगंज
६	,,	सहला ..	..	,,	सलेमपुर
७	,,	एकौना ..	..	,,	सलेमपुर
८	,,	बिशुनपुरा ..	..	,,	नबुआ गौरंगिया
९	,,	ईसरारपुर ..	..	,,	रुद्रपुवर
१०	,,	मंधूर गंज ..	..	,,	कप्तानगंज
११	,,	तुलसी पट्टी ..	..	,,	तरवासुजान
१२	,,	खरमेल बनरही ..	..	,,	रुद्रपुर
१३	,,	करोंवा ..	..	,,	सामपार
१४	,,	भरोली खुर्द ..	..	,,	गौरीबाजार
१५	,,	पडनी ..	..	,,	हाटा
१६	,,	पिपरा अवरामपुरा ..	..	,,	तुर्कपट्टी
१७	,,	कलवोरिया ..	..	,,	कसया
१८	,,	गगराई डोला भगवानपुर	..	,,	कप्तानगंज
१९	,,	करम जीतपुर ..	..	,,	गौरी बाजार
२०	,,	बरहुआ ..	..	,,	सामपार
२१	,,	बैतपुरा ..	..	,,	रामपुरा कारखाना
२२	,,	अमवां बाग ..	..	,,	बिशुनपुरा

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३११ पर)

तालिका

गोंडा, बस्ती व देवरिया की चीनी मिलों की पेराई क्षमता, मिल बन्द होने की तिथि तथा उनके द्वारा दिया गया गन्ना मूल्य १९६८-६९

क्रम-संख्या	मिल का नाम	रजिस्टर्ड दैनिक पेराई क्षमता (टन्स में)	मिल बन्द होने की तिथि	मिलवार दी गई/ गन्ना मूल्य दर (रु०/कुन्न)	स्तम्भ ५ में अंकित गन्ना मूल्य भुगतान लागू होने की तिथियां	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
जिला गोंडा—						
१—बभनान	.. ..	१,०००	१६-६-६९	१०.००	६-१२-६८	
				९.५०	९-५-६९	
				९.००	१५-५-६९	
				७.८५	२२-५-६९	
२—नवाबगंज	.. ..	१,५२४	२५-५-६९	१०.००	२३-१२-६८	
				९.५०	७-५-६९	
				९.००	२०-५-६९	
				७.३७	२१-५-६९	
३—तुलसीपुर	.. ..	९०४	२१-४-६९	१०.००	६-१२-६८	
४—बलरामपुर	.. ..	१,२१९	१८-५-६९	१०.००	११-१२-६८	
जिला बस्ती—						
५—खलीलाबाद	.. ..	७००	३०-४-६९	१०.००	९-१२-६८	

१	२	३	४	५	६	७
६	मुंडेरिया	७११	१५-५-६९	१०.००	११-१२-६८	
				९.५०	८-५-६९	
७	बस्ती	१,०२५	११-६-६९	१०.००	४-१२-६८	
				९.५०	७-५-६९	
				९.००	१०-५-६९	
				८.१२	२०-५-६९	
८	वाल्टरगंज	८१३	२५-६-६९	१०.००	७-१२-६८	
				९.५०	७-५-६९	
				९.००	११-५-६९	
				७.५८	२०-५-६९	
				९.००	१-१२-६८	
जिला देवरिया—						
९	परतावपुर	१,१५०	२५-३-६९	१०.००	२२-१२-६८	
१०	बैतालपुर	९१४	१६-५-६९	१०.००	२५-१२-६८	
				९.५०	८-५-६९	
				९.००	१२-५-६९	
११	गौरी बाजार	७५०	१३-५-६९	१०.००	२०-१२-६८	
				९.५०	८-५-६९	
				९.००	१३-५-६९	
१२	देवरिया	९६५	८-५-६९	१०.००	२०-१२-६८	
१३	भटनी	१,०१६	२२-३-६९	१०.००	७-१२-६८	
१४	कैप्टनगंज	१,२७०	१६-५-६९	१०.००	२१-११-६८	
				९.५०	७-५-६९	
				९.००	१२-५-६९	

१५	खडडा	..	..	७७३	६–५–६६	१०.००	१६–१२–६८	
१६	छितौनी	..	..	८१३	२५–४–६६	१०.००	२४–११–६८	
१७	लक्ष्मीगंज	..	..	७४४	२४–४–६६	१०.००	२६–११–६८	
१८	रामकोला (पी)	..	..	२,०००	२४–४–६६	१०.००	१–१२–६८	
१६	रामकोला (के)	..	..	७६१	२३–४–६६	१०.००	१२–१२–६८	
२०	पडरौना	..	..	१,०१६	१–५–६६	१०.००	१३–१२–६८	
२१	कठकुइयां	..	..	१,०००	१३–५–६६	१०.००	१३–१२–६८	
						६.५०	७–५–६६	६ बजे अपरान्ह के बाद से ६.५० रु० प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया।
						६.००	१२–५–६६	
२२	सिवरही	..	..	१,५२४	२–५–६६	१०.००	६–१२–६८	

रजिस्टर्ड पेराई क्षमता की सूचना भारत सरकार से १६६७–६८ सत्र के लिये प्राप्त है जो स्तम्भ ३ में दी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ब"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

अतिरिक्त सिविल सर्जनों को जिला अस्पतालों से संबंधित मुख्यतया निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं :—

१—प्रशासनिक अधिकार—

१—जिला अस्पताल का प्रशासनिक अधिकारी होना और कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। अस्पताल से सम्बद्ध समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां करना तथा राजपत्रित अधिकारियों के विषय में अपनी संस्तुति सिविल सर्जन को देना।

२—अस्पताल के सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका एवं अन्य रिकार्ड का अनुरक्षण करना।

३—जिला अस्पताल के लेबोरेटरी टैक्निशियन तथा चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी होना।

४—जिले से सिविल सर्जन की अनुपस्थिति में अपने कार्यभार के अतिरिक्त उनके कार्यभार को भी देखना।

२—वित्तीय अधिकार—

अस्पताल के कर्मचारियों के वेतन, यात्रिक भत्ते, आकस्मिक व्यय आदि के संबंध में आहरण तथा वितरण अधिकारी होना। प्रतिबन्ध यह है कि आकस्मिक व्यय एक समय में ५०० रु० तक ही कर सकेंगे और इस से अधिक व्यय करने के लिये सिविल सर्जन की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

३—अस्पताल का प्रबन्ध—

१—जिला अस्पताल के अधीक्षक की हैसियत से काम करना और उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये और कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिये पूर्णतया उत्तरदायी होना।

२—अस्पताल के मेडिकल, नर्सिंग, लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना तथा डाक्टरों, नर्सों और तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की ड्यूटी का प्रबन्ध करना।

३—जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं के निरीक्षण एवं जांचों में सिविल सर्जन की सहायता करना।

४—कर्मचारियों पर नियन्त्रण—

१—अस्पताल के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।

२—लेबोरेटरी टेक्नीशियन तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश स्वीकृत करना और शेष कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अर्जित अवकाश के प्रार्थना-पत्रों को सिविल सर्जन को स्वीकृत के लिये अग्रसित करना।

५—चिकित्सा विधिक कार्य (मेडिको लीगल वर्क)

१—चिकित्सा विधिक कार्य में सिविल सर्जन की सहायता करना।

६—औषधि भण्डार—

१—जिला अस्पताल तथा अन्य डिस्पेन्सरियों से प्राप्त दवाइयों तथा अन्य सामग्रियों के मांग-पत्रों को संकलित करना, औषधियों और अन्य चीजों का क्रय तथा केन्द्रीय औषधि भंडार डिपो से मंगवाने की व्यवस्था करना।

७—सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं एवं प्रमाण-पत्र

१—उन सभी सरकारी कर्मचारियों का प्राधिकृत चिकित्सक होना जिनका वेतन मान ७५० रु० से अधिक न हो।

८—अन्य कार्य—

सिविल सर्जन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य एवं कर्तव्यों का पालन करना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४–५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

अलीगढ़ जिला के थाना अतरौली दादों तथा बरला में १ जनवरी, १९६८ से ३० जून १९६९ तक दर्ज हत्या, लूट, राहजनी और डकैती की घटनाओं से सम्बन्धित तालिका

थाना	अपराध	१–१–६८ से ३१–१२–६८ तक		१–१–६९ से ३०–६–६९ तक	
		मामलों की संख्या जो दर्ज हुई	की गई कार्यवाही का विवरण	मामलों की संख्या जो दर्ज हुई	की गई कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५	६
अतरौली	हत्या ..	५	३ मामले चालान हुये जो न्यायालय के विचाराधीन हैं। २ मामले लापता रहे ।	३	२ मामले चालान हुये जो न्यायालय के विचाराधीन हैं । १ मामला लापता रहा ।
	लूट ..	..	..	..	..
	राहजनी ..	२	१ मामला लापता रहा, १ मामला खारिज हुआ ।	..	..
	डकैती ..	१	अभियुक्तगण धारा १६९ जा० फ० के अधीन रिहा हुये ।	..	..
दादों ..	हत्या ..	४	सभी मामले चालान किये गये जिनमें से १ सजायाब हुआ । १ छूट गया तथा, २ न्यायालय के विचाराधीन हैं।	१	लापता रहा ।
	लूट ..	..	..	..	..
	राहजनी ..	४	३ मामले लापता रहे । १मामला चालान हुआ जो सजायाब हुआ ।	२	दोनों मामले चालान किये जो न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

	डकैती	..	३	तीनों मामले चालान किये गये। १ सजायाब हुआ, १ छूट गया तथा १ न्यायालय के विचाराधीन हैं।	..	..	
बरला	.. हत्या	..	१	चालान हुआ तथा सजायाब हुआ	..	४	३ मामले चालान हुए जो न्यायालय के विचाराधीन हैं। १ मामला जेरतफ्तीस है।
	लूट	..	..	..	..	..	..
	राहजनी	..	२	दोनों मामले लापता रहे	..	३	२ मामले चालान हुये जो न्यायालय के विचाराधीन हैं १ मामला खारिज हुआ।
	डकैती	..	३	तीनों मामले चालान किये गये। १ मामला न्यायालय से छूट गया और २ न्यायालय के विचाराधीन हैं।	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(दाखय अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

गैर सरकारी सदस्यों के नाम तथा पते	रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटीज के नाम
१	२
१--श्री पीतम सिंह प्रधान, परिनगा, पोस्ट दतियाना, मेरठ २--श्री राजेन्द्र दत्त त्यागी, भूतपूर्व एम०एल०ए०, मुजफ्फरनगर, तथा ३--(यह स्थान रिक्त है)	रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, मेरठ
१--श्री कन्हैया लाल, एम०एल०ए०, मथुरा २--श्री मंसा राम, एम०एल०ए०, मैनपुरी, तथा ३--श्री अहमद लूत खां, एम०एल०ए०, अलीगढ़	रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, आगरा
१--श्री राम गोपाल गुप्ता, अध्यक्ष, जिला परिषद्, हमीरपुर । २--श्रीमती सिया दुलारी, एम०एल०ए०, बांदा, तथा ३--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील, एम०एल०ए०, कानपुर	रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, कानपुर
१--श्रीमती कमला बहुगुणा, १२-बी हेस्टिंग रोड, इलाहाबाद । २--श्री उमा शंकर तिवारी, एम०एल०ए०, वाराणसी तथा ३--श्री राजनाथ सिंह, एम०एल०ए०, गाजीपुर	रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, इलाहाबाद
१--श्री विष्णु प्रतापसिंह, भूतपूर्व एम०एल०ए०, गोंडा २--श्री महातम तिवारी, एम०एल०ए०, गोरखपुर तथा ३--श्री सोहन लाल घुसिया, एम०एल०ए०, बस्ती	रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, गोरखपुर
१--श्री बालक राम वैश्य, भूतपूर्व एम०एल०ए०, लखनऊ । २--श्री गिरजा शंकर तिवारी, एम०एल०ए० बाराबंकी तथा । ३--श्री विश्वनाथ कपूर, एम०एल०ए०, फैजाबाद	रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, लखनऊ

१—श्री ऋषिपाल सिंह, एल०एल०ए०, बदायूं .. रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, रुहेलखंड

२—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, एम०एल०ए०, शाहजहांपुर तथा

३—श्री भानुप्रताप सिंह, एम०एल०ए०, बरेली

१—श्री डूंगर सिंह, एम०एल०ए०, नैनीताल .. रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, कुमायूं ।

२—श्री बाल कृष्ण सनवाल, अध्यक्ष नगरपालिका, नैनीताल तथा

३—श्री श्रीप्रकाश कांडपाल, एडवोकट रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ।

१—श्री कृष्णचन्द्र सिंहल, नेता जी मोहल्ला, देहरादून रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, देहरादून

२—श्री मेहरबान सिंह, एम०एल०ए० कोटद्वारा, जिला गढ़वाल तथा

३—श्री इन्द्रमणी, एम०एल०ए०, टेहरी-गढ़वाल ..

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७५ एस० ए०—१९७०-८७० ।